मैं और मेरा संघर्ष

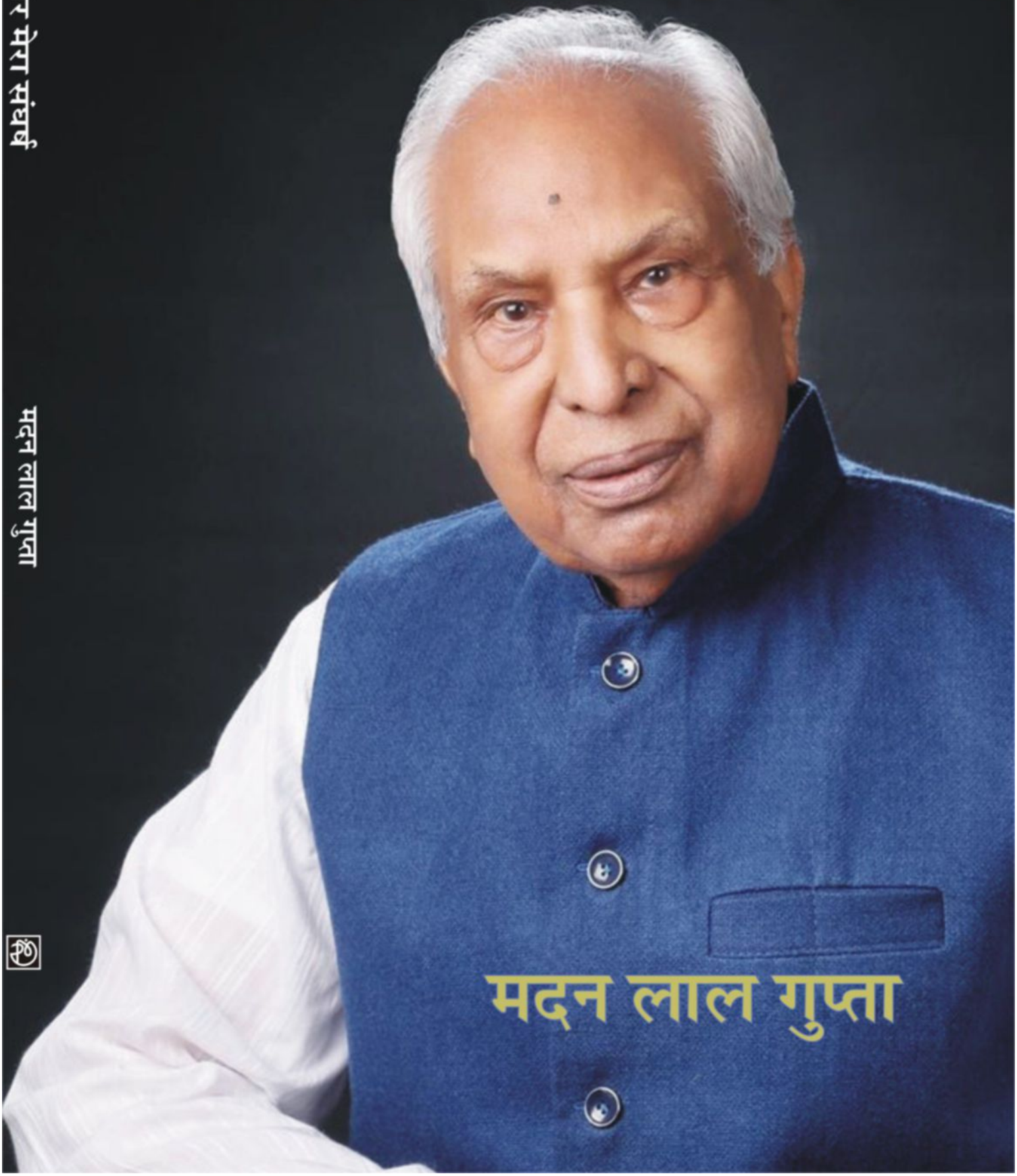

मदन लाल गुप्ता

मैं और मेरा संघर्ष
मदन लाल गुप्ता

ईश्वर सर्व शक्तिमान है, उसकी इच्छा के बिना इस सृष्टि में एक पत्ता भी नहीं हिल पाएगा। मैं या कोई भी व्यक्ति या जीव कुछ नहीं कर सका है, ना कर रहा है, न ही करेगा। मेरे अंदर भी वह आत्मा के रूप में विद्यमान है और आपके अंदर भी। उसकी इच्छा हुई जिसने आदेश बनकर मुझे आत्मकथा लिखने की प्रेरणा दी। मेरे एक बेटे प्रोफेसर स्वदेश कुमार गुप्ता ने भी मुझसे आत्मकथा लिखने को कहा था। मेरे कई मित्रों ने भी मुझसे कहा है।

मैं एक छोटा व्यक्ति हूं। छोटे व्यक्ति के जीवन में भी सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है, कभी-कभी तो उससे बहुत ही अधिक प्रेरणा मिलती है। छोटा व्यक्ति साधनहीन होने के कारण गुमनामी में ही जीता है और मर भी जाता है भले ही वह बड़े-बड़े कार्य कर ले। बड़े व्यक्ति के छोटे कार्य भी बड़े बन जाते हैं। आम आदमी के जीवन से न तो कोई परिचित होना चाहता है न ही उसके महान कार्यों से। मैं अपनी प्रसिद्धि पाने हेतु यह आत्मकथा नहीं लिख रहा हूं और न उसकी लालसा है। मैं चाहता हूं कि मेरी जन्मभूमि का नाम ऊंचा हो और मेरे साधारण जीवनदायी मां-बाप का भी नाम हो।

- **मदन लाल गुप्ता** (फोन: 9910228863)

9 788195 424627

मैं और मेरा संघर्ष

मदन लाल गुप्ता

राजमंगल एसोसिएटस प्रा. लिमिटेड
258, मेट्रो अपार्टमेंटस, दिल्ली-110033
फोन: 9999566005, 9810234094
Email : books@rajmangal.com

पुस्तक का नाम:	मैं और मेरा संघर्ष
लेखक:	मदन लाल गुप्ता (फोन: 9910228863)
कॉपीराइट:	© लेखकाधीन
मूल्य:	रु. 240/- (दौ सौ चालीस रुपये)
संस्करण:	प्रथम (सितंबर 2021)
ISBN:	978-81-954246-2-7

मुद्रक-प्रकाशक:

राजमंगल एसोसिएटस प्राइवेट लिमिटेड

258, मेट्रो अपार्टमेंटस, दिल्ली-110033

फोन: 9810234094, 9999566005

Email : books@rajmangal.com

FOREWORD

Mr. M.L. Gupta, a trained graduate teacher (TGT) Retd. 1997, from the Patrachar Vidyalaya, run by the Directorate of Education, Delhi Government, worked in different schools with great sense of dedication and hard work. I have had the opportunity to interact with him and observe his contribution to the school education system, during my tenure as Director of Education during 1986-89.

Mr. Gupta not only taught in the schools, but also did lot of social work. He was editor of Guru Drishti, DASTA Times and Advisor to Rajmangal Times (Hindi) and Indian Times (English) and all these publications were dedicated to the cause of furtherance of education and instilling a sense of duty, not only among the teachers but also the students. He was also closely associated, with the Delhi School Teachers Association, as its General Secretary. His contribution for the Education Department in general and the students and teachers in particular were noteworthy. He worked almost like an activist, championing the cause of the teachers and the students and fought

immensely against any type of corruption or injustice. He was instrumental in removing many encroachments on govt. land successfully.

His contribution in the Partachar Vidyalaya was greatly appreciated by all including students and parents.

I wish him all the best.

- **Dev Singh Negi**, *IAS (Retd.)*
Former Director Education Delhi (1986-89)
IP Extention, Delhi 110092

प्रकाशकीय

वैसे तो मैंने कई पुस्तकें, पत्रिकाएं व समाचार-पत्र प्रकाशित किये हैं परंतु इस पुस्तक का प्रकाशन मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण और एक विशेष अनुभव दायक है। यह पुस्तक मात्र एक पुस्तक नहीं बल्कि मेरे पिता की जीवनी है। इस पुस्तक के प्रकाशन के दौरान मैंने जाना कि मेरे पिता को व उनके कार्यों को जितना मैं जानता या समझता था वे उससे भी कई गुना हैं। मेरी समझ आने से पूर्व उनके द्वारा किये गए अनेक कार्यों की जानकारी मुझे इस पुस्तक से मिली।

बचपन में जब तक मैं स्कूल में पढ़ता था, केवल इतना ही जानता था कि वे लोगों की सेवा में ही सारा वक्त बिताते हैं, घर की ओर उनका ध्यान कम और दूसरों की सेवा में ज्यादा है। वे जब घर आते तो हम सभी पांचों भाई-बहन अक्सर सो चुके होते थे और जब हम सुबह सोकर उठते थे तो पिताजी घर से निकल चुके होते थे। बचपन में उनसे दूरी रही जिस कारण हम उनसे बात करने में भी डरते थे। हम सभी उनके कार्यकलापों से अनभिज्ञ रहते थे। लेकिन स्कूल में अन्य अध्यापक पिताजी को अच्छी तरह जानते थे, उनकी इज्जत करते थे, इसलिए सभी अध्यापकों द्वारा हमें विशेष प्रेम मिलता था। स्कूल में हम अपने नामों से कम और "गुप्ता जी के लड़के" के नाम से ज्यादा जाने जाते थे। उस समय घर में आर्थिक तंगी रहती थी फिर भी हमारी शिक्षा में पिताजी ने कभी कमी नहीं आने दी और सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाई।

अपनी बड़ी बहन के बाद मैं घर में सबसे बड़ा लड़का था जिस कारण बाहर के कामों के लिए मुझे ही ज्यादा भेजा जाता था। पिताजी के अनेक कार्यों के लिए भी वे अक्सर मुझे भेजते थे। हालांकि मैं उनके

कार्यों को तो नहीं समझ पाता था मगर इतना जरूर समझता था कि समाज में उनके प्रति लोगों के मन में अन्य अध्यापकों की अपेक्षा अधिक इज्जत है। अपने स्कूल के छात्रों की दृष्टि में भी वे लोकप्रिय शिक्षक थे। मैंने देखा कि जिस पिता से बचपन में हम बात करने से डरते थे वे एक कोमल और निष्कपट हृदय के मालिक हैं।

जब मैं युवावस्था में आया तो अच्छी तरह समझ चुका था कि पिताजी निस्वार्थ होकर लोगों की मदद में व्यस्त रहते हैं। स्कूल के बाद अधिकांश शिक्षक ट्यूशन पढ़ाकर अपनी आय बढ़ा लेते हैं मगर पिताजी ने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ाई। यदि कभी किसी को पढ़ाया तो वह भी निशुल्क। उनकी इसी भावना का असर था कि मेरे मन में भी कभी शिक्षा को बेचने का खयाल नहीं आया। एक बार पिताजी के एक मित्र बंसल जी ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा कि या तो आप पढ़ा दिया करो या फिर अपने बेटे को ट्यूशन के लिए भेज दो। पिताजी ने मुझ से कहा तो मैंने साफ कह दिया कि बंसल अंकल के बच्चे मेरे छोटे भाई-बहन हैं, उन्हे पढ़ा तो दूंगा मगर पैसे नहीं लूँगा।

अक्सर माँ-बाप अपने नौजवान बच्चों को केवल पढ़ाई और रोजगार पर ध्यान देने के लिए जोर देते हैं। इधर-उधर की समाज सेवा आदि को फालतू में समय की बर्बादी मानते हैं और बच्चों को भी उनसे दूर रहने को कहते हैं। मगर मेरे पिताजी ने कभी मुझे समाज के हित में कार्य करने से नहीं रोका बल्कि मेरा पूरा मार्गदर्शन और सहयोग किया। 1980 में जब मैं 'नारी रक्षा समिति' से जुड़ा, 'कल्याणी' संस्था का गठन किया तो पिताजी ने उन संस्थाओं में मुझसे ज्यादा अपना सहयोग दिया। उनके कामों से मुझे गर्व महसूस होता था। मैं और अधिक जोश से काम करता था।

सामाजिक कार्य करते-करते मेरी पहचान कुछ पत्रकारों से हुई और मेरी रुचि पत्रकारिता में बढ़ने लगी। मुझे लगा कि पत्रकारिता के

माध्यम से मैं समाजसेवा और स्वयं का जीवनयापन दोनों ही काम एक साथ कर सकता हूँ। इसी भावना से जब मैंने मासिक पत्रिका व दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया तो पिताजी मेरे सबसे बड़े मार्गदर्शक बनकर मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने भी शिक्षा जगत के लिए अलग से पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी अनेक समस्याओं को हमारे प्रकाशनों में प्रकाशित करवाते और संबंधित विभागों में उन समस्याओं का समाधान भी कराते थे।

कहते हैं जब हमारे सर पर एक मजबूत वट-वृक्ष की छाया हो तो हम आने वाली हर समस्या से निश्चिंत रहते हैं, किसी प्रकार का भय नहीं रहता। वही छाया मुझे पिताजी से भी मिली जिसके कारण मैंने अपने पत्रकारिता जीवन में कभी समझौता नहीं किया और न ही कभी किसी से भयभीत हुआ।

मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे ऊपर मेरे पिता का साया सदैव बना रहे।

- राजेश मंगल

प्रकाशक

निवेदन

मुझे बेहद खुशी है कि पिताजी ने समय निकाला और अपने जीवन भर के कार्यकलापों को एक सूत्र में पिरोया।

उनके कार्य और उनका सारा जीवन दूसरों के लिए समर्पित और दूसरों के हित के लिए रहा। उनकी यह जीवनी उनके कार्यकलापों का लेखा जोखा मात्र नहीं अपितु एक प्रेरणास्रोत है आज के उन सभी नौजवानों के लिए जिन्हे गलतफहमी है कि तरक्की केवल झूठ और फरेब से ही हासिल की जा सकती है। यह जीवनी एक दिशा है उन सभी भटके हुए युवाओं के लिए जिनके पास उनकी मेहनत, लगन और समर्पण की जो अतुल्य दौलत है वह न केवल उनके, अपितु इस पूरे समाज के बहुत काम आ सकती है।

मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस जीवनी को केवल एक लेखनी मात्र ना समझें, इसकी गहराइयों में जाएं और इसका भरपूर लाभ उठाएं।

धन्यवाद।

- उमेश गुप्ता

ईस्ट एंड अपार्टमेंट, दिल्ली

प्रस्तावना

आज मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि श्री मदन लाल गुप्ता जी, जिन्हें हम सब पिताजी कहकर संबोधित करते हैं, मुझे उनकी पुस्तक की प्रस्तावना लिखने का अवसर मिला। पिताजी ने एक ससुर की तरह नहीं अपितु एक पिता के रूप में मेरे जीवन की अनेक कठिनाईयों में मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। पिताजी ने सदैव अपनी संतानों को निष्कपटता का पाठ पढ़ाया। एक शिक्षक के रूप में जिस लग्न से उन्होंने अपने छात्रों का मार्गदर्शन किया वह प्रशंसनीय है। पैसे की तंगी होने के बावजूद भी दुखियों का दर्द देख कर उनका हृदय संवेदना से भर जाता है। इसलिए उन्होंने सदाचार को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। बहुत बार अपनी जेब से पैसे खर्च कर अनजान लोगों की भी सहायता की। पिताजी न केवल न्यायप्रिय अपितु दयालु और कृपालु भी हैं।

आज के समाज को पिताजी के जीवन से कुछ सीखने की आवश्यकता है। इस पुस्तक में वर्णित उनके सिद्धांतों को मैंने निम्नलिखित कुछ शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास किया है जिन्हें पढ़कर बच्चे, युवा, और वृद्ध उन्हें अपने आचरण में सम्मिलित कर सकते हैं-

1. **संकल्पशक्ति:** पिताजी ने एक बार अपने मन मस्तिष्क में जो ठान लिया उसे वे अंजाम तक पहुँचा कर ही मानते हैं। आज 85 वर्ष की उम्र में अपनी जीवन कथा लिखना इसी विशेषता का प्रमाण है।
2. **स्वयं सशक्तिकरण:** आज के समय में जब मनुष्य गतिहीन जीवनशैली की ओर अग्रसर है तब पिताजी ने नित प्रतिदिन व्यायाम करने से लेकर एक क्रियाशील दिनचर्या का अनुसरण

किया। पाँच बार एंजियोप्लास्टी होने के बावजूद वे हमेशा गतिशील रहे और अपने आपको सशक्त बनाया ताकि वे दूसरों की सेवा कर सकें। मुझे आज भी वह दिन याद है जब अस्पताल से छुट्टी मिलते ही शाम को मैंने उन्हें अपनी फ़ाइलों के ढेर को पढ़ते हुए पाया।

3. **समाज सुधारक:** समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध उन्होंने समय-समय पर आवाज उठाई। बिना किसी स्वार्थ और लालच के कई अवसरों पर दूसरों का मार्ग दर्शन और सहयोग करते रहे। बिना किसी भय के लगातार अपने मार्ग पर डटे रहे। जिस समय समाज में दहेज जैसी कुरीतियाँ व्याप्त थीं तब पिताजी ने अपने सभी बच्चों की शादियों में किसी भी प्रकार की कोई मांग नहीं की और सादगीपूर्ण तरीके से सभी कार्यों को सम्पन्न किया। "सादा जीवन उच्च विचार" के सिद्धांत पर चलकर उन्होंने कई बार अनेक चुनौतियों का सामना निडरता के साथ किया।

मुझे आशा है कि इस पुस्तक में वर्णित उनकी जीवन यात्रा से सभी को प्रेरणा मिलेगी और उनकी नेतृत्व क्षमता से सब लाभ उठा पाएंगे।

- प्रो. नीरा जैन

Thanks

Dear readers, thank you so much for your interest in reading this book and we are glad my grandfather, Mr. Madan Lal Gupta (Pitaji, as we call him), took time to pen down his life story which has inspired many of us to lead a life full of strong values, humility, compassion, grateful-ness and always ready to help others.

As I am living together with him ever since I was born, I have personally experienced most of his and our family's ups and downs through the last four decades. I have grown up seeing him every day and witnessed how he would always go that extra mile to help people in need, fight for them to get justice, wouldn't care for his family, not worried about what is happening at home and always running around to help any who comes to him. Interestingly, I have studied in the same school where he was the teacher, so I have also been through the other side of his leadership at work, making huge impact on the teachers' community, enhancing the education system, and fighting for their rights. He was able to make huge positive impact on 1000s of people who needed some or other help during their difficult times and this is something he continues to do even

today. He has always adopted and truly demonstrated the values and qualities of a teacher which are expected by the society.

Both of us feel extremely happy, content, and blessed that Pitaji is with us, we got the responsibility to care for him during the times when he needed the most, we are able to prioritize his well-being over anything else and more importantly, our son, Aayush, is growing up with Pitaji around at home and he sees Pitaji as his responsibility now. We never regret giving up several high-profile career opportunities on professional front just to ensure we could make our Pitaji feel safe, cared, and live a dignified life like he has always lived.

In this book, he has shared many such examples, situations and real-life experiences which will inspire us to learn critical skills of authentic leadership required to make positive impact, build mental and emotional resilience, get out of comfort zone, speak-up, challenge the status quo, foster social collaboration, and lead a selfless meaningful life.

We welcome you to enjoy reading this book and experience this interesting life journey. We hope it will help you in some way as it has helped so many of us.

Best wishes and regards

- **Ashish and Anisha**

अनुक्रम

साथियों की नजर में :

1. एल पी वर्मा, उपशिक्षा निदेशक . . . 15
2. तसनीम अहमद . . . 17
3. वी के अग्रवाल . . . 21
4. श्री अविनाश कुमार अग्रवाल . . . 25
5. डॉ. राजेन्द्र दयाल . . . 26
6. सतीश चंद शर्मा . . . 29
7. कृष्ण गोपाल वर्मा . . . 30

मैं और मेरा संघर्ष . . . 31

साथियों की नजर में

एल पी वर्मा
(उपशिक्षा निदेशक, दिल्ली सरकार)

श्री एमएल गुप्ता शिक्षा विभाग मे अध्यापक के पद पर सेवा करते कार्यमुक्त हुए। इन्होंने शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अध्यापकों द्वारा की गयी अनियमितताओ का सदा विरोध किया। एक दिन गुप्ता जी एक अध्यापक की शिकायत लेकर माल रोड स्थित उपशिक्षा निदेशक ऑफिस आये। मैं उस समय शिक्षा अधिकारी ज़ोन-1 का कार्य कर रहा था। मेरा ऑफिस भी इसी कार्यालय में था। मैंने भी अध्यापक द्वारा की गयी अनियमितताओं को देखा। अध्यापक द्वारा कक्षा 8 का प्रश्न पत्र बहुत आसान बनाया गया था जिसको आधे घंटे में ही हल किया जा सकता था तथा मूल्यांकन में भी अनियमितता की गयी थी। गलत उत्तर पर भी पूरे अंक दिए गये थे। उत्तर पुस्तिकाओं में इसी प्रकार मूल्यांकन किया गया था। इस प्रकार बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा था। गुप्ता जी के इस कार्ये से मैं बहुत प्रभावित हुआ। समय समय पर गुप्ता जी से संपर्क होता था तथा शिक्षा के सुधार पर चर्चा होती थी।

गुप्ता जी के रिटाइरमेंट के कुछ वर्ष पहले उनका स्थानांतरण पत्राचार विद्यालय तीमारपुर कर दिया गया। उस समय मैं पत्राचार विद्यालय में उपशिक्षा निदेशक नियुक्त था। पत्राचार विद्यालय की काफी जमीन पर झुग्गियां बनी हुई थीं। वहाँ पर एक डॉक्टर ने क्लिनिक बना लिया था तथा असामाजिक तत्वों का अधिकार बढ़ता जा रहा था। यह शिक्षा विभाग तथा मेरे लिए मुसीबत बना हुआ था। मैंने

इसके लिए गुप्ता जी से सहयोग लिया। इन्होंने संबंधित अधिकारियों से संपर्क करके विद्यालय की जमीन का नक्शा प्राप्त किया और कोर्ट द्वारा खाली करा कर प्रयोगशाला कॉम्प्लेक्स बनवाया। जो कार्य वर्षों तक शिक्षा विभाग नहीं करा सका वह गुप्ता जी के प्रयास से सम्पन्न हो गया। इनका ये कार्य सदा याद आयेगा। इन्होंने यह कार्य अपने और अपने परिवार की जान और माल को खतरे में डालकर किया था। 1986 में लगभग सभी शिक्षा अधिकारी उनकी एसोसिएशन के सदस्य बने थे। उन्होंने सात शैक्षिक सेमिनारों का भी आयोजन किया था। उनके कई कार्य बहुत ही विस्मणीय हैं। शिक्षा संबंधी कई कार्य बहुत प्रशंसनीय हैं। अपने निजी पैसे से दो पत्रिकाओं का सम्पादन भी किया था। गुप्ता जी ने समाज सुधार के कई कार्य किये हैं। वे दहेज विरोधी रहे हैं।

तसनीम अहमद

अध्यक्ष - M&TDS (Regd.)

मैं एम एल गुप्ता जी को नहीं जानता था, ना ही उनके बारे में कोई जानकारी थी। मैं मालवीय नगर स्कूल से लाजपत नगर स्कूल ट्रांसफर होकर आया। यहाँ अक्सर GSTA नेताओं की मीटिंग होती रहती थीं जिनमें भारत भूषण, बिजेंदर भी आते रहते थे। मीटिंग में चर्चा करते रहते एक दिन मैं भी मीटिंग मे बैठ गया। यहाँ एमएल गुप्ता के बारे में पहली बार सुना कि वे अकेले ही बिना अध्यापकों के समर्थन के बहुत कुछ करने का दमखम रखते हैं, अकेले ही शिक्षा निदेशक की करोड़ों की जमीन को भू माफियाओं के कब्जे से कानून द्वारा मुक्त कराया। शिक्षा विभाग के आईएएस जैसे बड़े अधिकारी भू माफिया से डरते थे, परंतु गुप्ता जी ने अकेले ही उनसे टक्कर ली तथा बिना हिंसा कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ी तथा जमीन मुक्त कर शिक्षा विभाग को दी। दो साल बाद पत्राचार विद्यालय की ओर से गुप्ता जी लाजपत नगर स्कूल आए। पत्राचार की कक्षाएं छुट्टियों में चलायी जाती थीं। उनको कई स्कूलों में कक्षाएं चलवाने का दायित्व मिला था। वो हमारे प्रधानचार्य से इस पर चर्चा कर रहे थे तभी मैं डायरी साइन कराने ऑफिस गया। साइन करते हुए चर्चा के दौरान एमएल गुप्ता का नाम आया कि ये हमारे विद्यालय मे कक्षाएं चलाएंगे। वाइस प्रिन्सिपल से पता चला कि ये गुप्ता जी हैं। मैं तो पहले से उनसे मिलने को उत्साहित था। मैं फिर दोबारा ऑफिस मे घुसा और नमस्ते से अभिवादन किया और बैठ गया। न जाने क्यों मैं उनकी ओर आकर्षित हो रहा था तथा उनसे बातचीत

को लालयित था। परंतु संभव न हो सका क्योंकि कक्षा में पढ़ाने के लिये जाना था।

लगभग 10 दिनों के बाद गुप्ता जी दोबारा आए। प्रधानचार्य को ऑर्डर की कॉपी दे रहे थे कि अगले सप्ताह से कक्षाएं प्रारंभ होनी हैं तो आप मुझे एक अध्यापक डेप्युट करें जिससे मैं अध्यापकों की स्वीकृत व टाइम टेबल बनवा सकूँ। भाग्यवश मैं प्रधानचार्य के साइन कराने ऑफिस में घुसा था। साइन करने के बाद प्रधानाचार्य ने मुझे बैठने को कहा तथा गुप्ता जी से परिचय कराया तथा सारे कार्यक्रम के बारे में विस्तार से मुझे बताया और स्वीकृति चाही। मैंने ये प्रस्ताव स्वीकार करके गुप्ता जी के पास एक घंटा बैठकर सारे कार्यक्रम को समझ लिया। संडे को कक्षाएं चलाने के लिये टाइम टेबल बना दिया। संबंधित अध्यापकों से स्वीकृति लेकर कक्षाएं दी जानी थी। सुबह आठ बजे के समय की सूचना सभी अध्यापकों को देनी बाकी थी। गुप्ता जी चले गए। संडे को 7:30 बजे स्कूल पहुचकर कक्षाओं का प्रबंध किया। बच्चे आते गए और हम उनका पंजीकरण करके कक्षाओं मे भेजते गए। कक्षाएं सुचारु रूप चलने लगीं। इस प्रकार हर संडे गुप्ता जी के पास बैठने का अवसर मिलता रहा और विचारों का आदान प्रदान होता रहा। हमने था एक दूसरे को पहचाना। मुझे महसूस हुआ कि मेरे विचार गुप्ता जी के विचारों से बहुत मात्रा में मिलते हैं तो समन्वय होना स्वाभाविक था।

एक दिन मैंने अपनी एक समस्या गुप्ता जी से साझा की कि एक मुकदमे में एक मेट्रोपॉलिटेन मैजिस्ट्रैट मुझे किस प्रकार परेशान कर रहा है और बहस के बाद ऑर्डर की डेट लगाने के बावजूद दो महीने बाद फिर केस आर्गयुमेंट पर लगा दिया, कई बार ऐसा हुआ। समस्या सुनकर गुप्ता जी ने डिक्टैशन देकर मुझसे एक कम्प्लैन्ट तैयार कराई

तथा कहा कि इसे हाई कोर्ट के रेजिस्ट्रार को दे आना। कम्प्लैन्ट देते ही मैजिस्ट्रैट ने एक महीने से पहले ही ऑर्डर कर दिया। मेरी समस्या का समाधान हो गया। उस दिन से मैं उनसे व्ययक्तिगत रूप से जुड़ गया। स्कूल से संबंधित समस्याओं को साझा करता तो उसका समाधान के लिये मार्गदर्शन करते। धीरे-धीरे मुझे उन पर बहुत विश्वास बढ़ गया। कक्षाएं खत्म होने पर मैं उनसे घर पर जाकर मिलने लगा। मैं उनकी ड्राफ्टिंग से बहुत प्रभावित था। जब भी कोई कम्प्लैन्ट तैयार करनी होती साथ बैठकर तैयार करते। मैंने उन्हें अपने बड़े भाई का सम्मान दिया और M.&T.D.S. नामक एक एनजीओ हम दोनों अपने पेंशन के पैसों से चलाने लगे। हम आरटीआई के माध्यम से प्रमाण जुटाते फिर शिक्षा विभाग में भ्रस्टाचार के खिलाफ लड़ते। गुप्ता जी को हमारी संस्था का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने उसका कार्य अच्छी प्रकार संभाला था। हमने हमारे स्कूल के प्रधानचार्य मुकेश चंद की शिकायत की, अखबारों में निकलवाया, जांच बैठी जिसमें आरोप सही साबित हुए और प्रधानाचार्य सस्पेन्ड हो गए। फिर विभाग ने उन्हें कंपलसरी रिटाइरमेंट दे दी क्यूंकि उसने 40 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। उसके बाद दूसरे प्रधानाचार्य श्री बीके शर्मा और डीडीई श्रीमती एसएम स्टेला ने स्कूल का कई लाखों का लोहा बेचकर अपनी जेब भर ली। सरकारी खजाने में एक रुपया भी जमा नहीं कराया, उसकी शिकायत की, सुनवाई नहीं हुई। C.I.C. के ऑर्डर के बाद भी जांच नहीं की गई। मजबूर होकर प्रधानाचार्य और उपनिदेशक पर कोर्ट में मुकदमा डाला गया जो अभी लंबित है। C.I.C. से अधिकतम पेनल्टी भी लगवा चुके हैं।

उनकी ड्राफ्टिंग की प्रसंशा शिक्षा विभाग के अनेकों अधिकारी तथा C.I.C. के अधिकारी भी करते हैं क्योंकि वे ड्राफ्ट में ग्रामर का बहुत

ध्यान रखते हैं। मैंने भी बहुत कुछ सीखा, परंतु अभी तक उनके मानक अनुसार मैं आधी विशेषताएं भी ग्रहण नहीं कर सका। इसी कारण मैंने उनसे बहुत डांट-फटकार सहीं हैं। मेरी सम्मानीय भाभी जी कि मृत्यु के बाद मेरी बैठक, चर्चाएं एवं शिकायत तैयार करने की क्रिया समाप्त हो गई। अब केवल दूरभाष (फोन) से बातचीत हो पाती है।

मैं उन्हें अपना आदर्श मानता हूँ और गर्व करता हूँ। उनके आदर्शों को अपने जीवन मे उतारने एवं अनुसरणों का प्रयास करता रहूँगा क्योंकि उन्हीं के कारण मैं शिक्षा विभाग में चर्चित हुआ। साथ ही साथ वो शिक्षक समाज जो उनसे परिचित था उनके लिए चर्चा का बिन्दु बना। वे किसी भी अध्यापक के साथ अन्याय के खिलाफ रात को भी अनजान व्यक्ति के साथ चलने को तत्पर रहते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि एमएल गुप्ता जैसी आत्मा शिक्षक समाज में प्रेषित करे तथा उन्हें दीर्घायु व अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। उन्हें आत्मकथा लिखने के लिए हम कई साथियों ने मजबूर किया है ताकि लोग उनके कार्यों से प्रेरणा पा सकें।

वी के अग्रवाल

पूर्व अध्यक्ष - ईस्ट एंड अपार्टमेंट ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी

यों तो आदरणीय गुप्ता जी का व्यक्तित्व और उनके द्वारा किए गए कार्य बहु आयामी हैं, वह अध्यापकों के बड़े नेता रहे हैं, पत्रकार रहे हैं आदि आदि, लेकिन मेरा निजी अनुभव सरस्वती कुंज कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी (वर्तमान में ईस्ट एंड अपार्टमेंट कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी) से संबंधित उनके अविस्मरणीय योगदान से रहा है।

श्री गुप्ता जी इस सोसायटी के फाउंडर मेंबर थे। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन 1980 में सरस्वती कुंज कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के नाम से हुआ था। वे प्रारम्भ से ही सोसायटी की प्रबंध समिति के सदस्य रहे थे। 1983 में डीडीए ने सोसाइटी को 5 एकड़ का एक प्लॉट पटपड़गंज में और 22 एकड़ का प्लॉट चिल्ला में आवंटित किया। 22 एकड़ का प्लाट किसी भी सोसाइटी को मिलने वाला सबसे बड़ा प्लाट था पर यह संभव हुआ श्री गुप्ता जी के प्रयासों से। उनके ही प्रयासों से इस प्लॉट पर कुछ अवैध कब्जे हटाए गए। 1987 के बाद से दोनों प्लॉटों पर निर्माण कार्य शुरू हुआ। गुप्ता जी अपने घर तिमारपुर से करीब 22 किलोमीटर स्कूटर चला कर हफ्ते में एक बार साइट पर आकर कार्य की प्रगति और गुणवत्ता की देखरेख करते रहे।

1988 में सोसाइटी पर प्रशासक की नियुक्ति हो गई लेकिन जब तक चिल्ला साइट पर 4 मंजिल वाले 348 फ्लैट तैयार हो चुके थे और 1989 के अंत में उनका आवंटन भी हो गया। 1993 में सोसाइटी का विभाजन हो गया और चिल्ला साइट का नाम "ईस्ट एंड अपार्टमेंट

कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी" हो गया।

चिल्ला साइट पर अगस्त 1990 के बाद से लोगों ने रहना शुरू किया। मैं भी अप्रैल 1991 में आ गया। लेकिन गुप्ता जी बहुत बाद में रहने आए।

मेरा उनसे पहला परिचय 1993 में हुआ। हम आवासियों ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बना रखी थी। मैं उसका उस समय अध्यक्ष था। सोसायटी का प्रबंधन डीडीए के अफसर श्री जगदीश चन्द्र के पास था। लेकिन अपार्टमेंट की मेंटीनेंस का काम एसोसिएशन देखती थी। उस समय श्री एमएल गुप्ता अपने फ्लैट में नहीं रह रहे थे। एसोसिएशन ने उनके फ्लैट में कार्यालय बना रखा था। बिना कोई किराए दिए। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के अनुपालन में रजिस्ट्रार ने सोसाइटी के प्रबंध समिति का चुनाव का कार्यक्रम भेज रखा था। हमने चुनाव के लिए अपनी एसोसिएशन की ओर से एक पैनल बना रखा था और गुप्ता जी का दूसरा पैनल था। हम दोनों के अलग अलग पैनल थे और हम उन्हीं के फ्लैट से उनके पैनल की हराने की कोशिश कर रहे थे। गुप्ता जी अपने पैनल को समर्थन मांगने हम लोगों के पास आए। अपने ही फ्लैट में हमारे साथ बैठे। अपनी बात रखी। हमें आशंका थी कि वह विरोधी गतिविधि देखकर हम से फ्लैट खाली करने को कहेंगे लेकिन वह हंसी मजाक करके चले गए। यह था इनके व्यक्तित्व का बड़प्पन।

सोसायटी के विभाजन के बाद 1995 में सोसाइटी के प्रबंधन के फिर चुनाव हुए। हमने उनके ग्रुप के साथ मिल कर चुनाव लड़ा और हमारा पूरा पैनल बड़े बहुमत के साथ जीत कर आया। इस दौरान मुझे अनुभव हुआ कि श्री गुप्ता जी बेहद ईमानदार, समर्पित, प्रभावशाली, निष्ठावान और भरोसा करने योग्य व्यक्ति हैं। मैं सोसायटी का अध्यक्ष

था लेकिन उम्र और अनुभव में उनसे छोटा था। मुझे पहली बार उनसे काफी कुछ सीखने का अवसर मिला।

2004 में सोसाइटी की प्रबंध समिति के चुनाव में मैं फिर अपने पैनल के साथ अध्यक्ष पद का उम्मीदवार था। श्री गुप्ता जी के समर्थन के कारण ही मैं अध्यक्ष निर्वाचित हो पाया। 2006 में फिर चुनाव हुए और मैं पुनः अध्यक्ष के लिए पूरे पैनल के साथ निर्वाचित हुआ जिसमें इस बार श्री एमएल गुप्ता जी भी थे। इस कमेटी ने 4 वर्ष तक काम किया और इन 4 वर्षों में श्री गुप्ता जी के माध्यम से जो कुछ हो पाया वह अविस्मरणीय है। कुछ घटनाओं का उल्लेख प्रासंगिक होगा।

सोसाइटी में सबसे कठिन काम सुरक्षा व्यवस्था था। विशाल परिसर, 1306 फ्लैट, रेजिडेंट की अपनी गाड़ियां, आगंतुक और गाड़ियां, घरेलू मेड, कर्मचारी आदि का प्रबंधन करना मुश्किल कार्य था। इसकी जिम्मेदारी श्री गुप्ता जी को दी गई। उन्होंने 2 वर्षो में हरेक बिंदु की निमायवली बना कर उसे कठोरता से लागू किया और अव्यवस्थित सुरक्षा व्यवस्था को एक नया स्वरूप दिया। रात को जाग जाग कर स्वयं चक्कर लगाते थे जिससे सुरक्षाकर्मी भी चाक-चौबंद रहते थे। बाहर की गाड़ियां की सोसाइटी परिसर में पार्किंग बहुत सख्ती से बंद कर दीं। कुछ लोगों ने बेसमेंट और छत पर कमरा बना कर व्यापारिक गतिविधियां चला रखी थीं उन्हें तुड़वा दिया। कुछ लोगों ने अपने फ्लैटों में स्कूल और पीजी चला रखे थे जिनके कारण बाहर के लोग बड़ी संख्या में अंदर आते थे, गुप्ता जी ने बंद करा दिये। उनकी इस सख्ती से नाराज होकर कुछ लोगों ने दिल्ली महिला आयोग को फर्जी शिकायतें करके तंग करने की भी कोशिश की।

प्रबंध समिति ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए परिसर में दो स्टिल्ट को कवर करके एक फिजियोथैरेपिस्ट केंद्र और एक उनके मिलने जुलने के

लिए सीनियर सिटीजन रूम बनाने का निर्णय किया। जिस बिल्डिंग के स्टिल्ट को कवर करना था उसके आवासी आपत्ति कर रहे थे। यह मुश्किल कार्य भी श्री गुप्ता जी को सौंपा गया। गुप्ता जी ने स्वयं खड़े होकर निर्माण कराया, मशीनों और संचालन की व्यवस्था की। इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ती गई, बार-बार कहने के बावजूद भी अस्पताल नहीं गए। कार्य के पूर्ण होने पर हवन कराया, हवन की अंतिम आहुति के बाद उन्हें सीधे हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उनका हृदय का ऑपरेशन किया गया।

सोसाइटी के गेट नंबर दो के सामने डीडीए की करीब 100 करोड़ की जमीन थी जिस पर मेट्रो स्टेशन बनना था। कुछ भू-माफियों ने अदालत को गुमराह कर उस पर कब्जा ले लिया और मकान बनाने शुरू कर दिए। मैंने इसके विरुद्ध दिल्ली हाईकोर्ट में एक रिट पिटिशन फाइल किया हुआ था। मुझे भू-माफियाओं की ओर से लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी। श्री गुप्ता जी उस दौरान मेरी सुरक्षा कवच थे। मेरे साथ प्रत्येक तारीख पर हाई कोर्ट जाते थे। अंततः हम जीते और वहां मेट्रो स्टेशन बनवाने में सफल रहे।

श्री गुप्ता जी के सोसाइटी में आने से पहले उनके फ्लैट में महिलाएं शाम को एकत्रित होकर कीर्तन/भजन करती थीं। उनकी इच्छा के अनुसार सोसाइटी परिसर में एक मंदिर स्थापित हुआ। लेकिन कुछ प्रभावी लोग मंदिर के खिलाफ मुकदमा और शिकायतें करते रहते थे। आए दिन डीडीए और पुलिस को बुलाते रहते थे। उन सब पर अकेले गुप्ता जी की दहाड़ भारी पड़ती थी।

गलत बात को देख पाना और सहन कर पाना उनके स्वभाव के विपरीत है। उनका पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा है उनके साथ मेरी बहुत सी यादें है जिन्हें शब्द देना संभव नहीं है।

अविनाश कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष - एसोसिएशन ऑफ ईस्ट एंड अपार्टमेंटस

मेरा श्री एमएल गुप्ता जी के साथ लगभग 30 साल पुराना परिचय है। मैं लंबे समय तक ईस्टएंड अपार्टमेंट की वेलफेयर एसोसिएशन का महामंत्री और अध्यक्ष और सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी का कई बार भी कई बार सदस्य रहा हूं। श्री एमएल गुप्ता जी ने इन दोनों ही संस्थाओं में एक-एक बार मेरे साथ काम किया है। उनके साथ काम करते हुए मुझे बहुत सुखद अनुभव हुए थे और मैंने काफी कुछ उनसे सीखा है। श्री गुप्ता जी को जिस काम के लिए जिम्मेदारी दी गई उन्होंने उस काम को बहुत बेहतरीन ढंग से किया।

वे समाज के प्रति समर्पित, काम के प्रति निष्ठावान और सब के लिए मदद करने वाले व्यक्ति हैं।

मेरी भगवान से प्रार्थना है उन्हें शतायु करे और वे स्वस्थ रहें।

Dr. Rajendra Dayal
Associate Professor, Delhi University

Writing about Guptaji has turned out to more difficult than I had initially thought of when I agreed to write. One reason for this difficulty is of course his multi-dimensional persona, and several layers to his self such that in him more than one person reside. Over the years I have begun to appreciate and respect him as I have known him better, but there is something in him that eludes grasp and that is the other reason, why writing about him has proved difficult.

I first met Guptaji, when he had come to my flat inquirying after my car that was stollen from the basement parking of our society. He spoke a few words, and assured help in pursuing the matter with the police. To a person like me who was new to the society and not known to him, his coming to my flat, and assuring help seemed a bit of oddity. But it did not take long for me to realise that Guptaji actually has public persona, who bothers about what happening around, especially when it is concerning East End Cooperative Society.

Often, he would be seen raising issues and problems related to East End, in open letters to residents, and in general body meetings, he would speak with force and emotion, chastising the managing committee for its supposed acts of omission and commissions. He would speak with clarity and purpose, with uncanny frankness, not mincing words. Often his speeches and interjections, I would find to be outrageous, perhaps too histrionic, but only to realize later that his oratorial performance would not be possible without the courage of convictions, and readiness to face consequence for what he thought was truth that needed to be said.

I had the privilege of working with him as a member of the Society's managing committee, at a time when Society was facing many challenges of governance. More and more members or tenants were coming to reside, which brought its own shares of issues such as regulating contractors redoing, refurbishing flats, regulation of domestic helps and workers, management of car parking, regulating entry of all kinds of vistors, and agencies laying down cables, pipe lines etc. At that time DMRC construction work had shut the main road, as a result there was a heavy transit pressure to pass

through or trespass our Gates. GuptaJi was looking after the security at that point in time, and he managed that difficult phase for us. Besides security, there were many matters on which the MC benefited from his counsels and observations. I was particularly touched by his sincerity, capacity of hard work and matchless perseverance. To many he may appear to be rude and short tempered in his dealings, but more often than not, that situation arose as he cannot tolerate others 'non-sense' or 'airs'.

I have had the good fortune of interacting with him, of listening to his trials and tribulation of life and drawing my own lessons from the conduct of his life, which in many sence is iconoclastic. It is his life and activities of the past outside the limited template of managing Society and its affairs that really fascinates me. He is a saga of an ordinary man about whom there is no ordinariness in his endeavours, pursuits, struggles and 'being and becomingness'. And that is inspiring.

I see in him a father-like figure, kind, considerate and affectionate. Behind his stern exterior, I know there is a very gentle, kind-hearted person, willing to help and support the needy.

I wish him good health and happiness.

सतीश चंद शर्मा
सेवानिवृत्त पीजीटी

आदरणीय श्री मदन लाल गुप्ता जी का और मेरा संपर्क पिछले 25 वर्ष से है। हम दोनों परिवार सहित ईस्ट एंड अपार्टमेंट में आमने सामने रहते हैं। गुप्ताजी का व्यक्तित्व बहुआयामी रहा है। उनको मैंने जितना जाना और समझा उससे अनुभव किया कि वह केवल एक अध्यापक ही नहीं अपितु एक सफल पत्रकार, अच्छे मित्र, अच्छे सलाहकार, ईमानदार और मददगार रहे हैं। उन्होंने हर उस स्थान पर अपना विरोध जताया जहां उन्होंने गलत होते हुए देखा। उन्होंने अपने दुख-सुख और परिवार की परवाह न करते हुए भी लोगों की सहायता की। मैं 1994 में सेवानिवृत्त हुआ था। उस समय मेरे मूल वेतन के हिसाब से मेरी पेंशन का निर्धारण हो गया। बाद में दो लाभ मेरे मूल वेतन में और जोड़े गए जिनका एरियर मुझे मिला लेकिन पेंशन का रिवीजन नहीं किया। 14 वर्ष के बाद 2008 में यह मामला मैंने श्री गुप्ता जी के समक्ष समस्या रखी। उन्होंने मेरी नई सेवा पंजिका बनवाई और पेंशन का रिवीजन कराया। उनके प्रयासों के फलस्वरूप मुझे करीब पौने दो लाख रुपए एरियर के मिले और आगे से मुझे बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त हुई। इसी प्रकार मैंने रिटायर होते समय डीसीजीईएचएस का कैशलेस कार्ड नहीं बनवाया था उन्होंने इस कार्ड को बनवाने में भी मेरे और मेरे जैसे अन्य प्रभावित लोगों की भी बहुत सहायता की। मैं ऐसे सेवाभावी व्यक्तित्व के लिए शतायु होने की कामना करता हूं।

कृष्ण गोपाल वर्मा (अधिवक्ता)

सरस्वती कुंज की मीटिंग में पहली बार सम्मिलित हो रहा था। भीड़ बहुत थी पर परिचितों का अभाव था। अकेलेपन से मुक्ति के लिए कुछ लोगों के साथ घुलने-मिलने का प्रयास कर रहा। तभी एक भारी भरकम आवाज ने कंधे पर हाथ रखा। उस आवाज की भाषा-शैली मुझे खींच कर अपने गाँव ले गई। चेहरे पर दृष्टि पड़ी तो उसमें अपने चाचा का प्रतिबिंब दिखाई दिया। वही सहजता, वही खुलापन और वही अक्खड़पन। बस तभी से श्री मदन लाल गुप्ता के साथ भाई का रिश्ता कायम हो गया। वे मेरे बड़े भाई के हम उम्र हैं तो बड़े भाई साहब हुए। धीरे-धीरे निकटता बढ़ती गई और हम एक ही परिवार के सदस्य जैसे हो गए। सरस्वती कुंज बहुत बड़ी सोसाइटी थी। एक ही स्थान पर पर्याप्त जमीन उपलब्ध न होने के कारण दो भिन्न जगह पर जमीन मिली। दोनों स्थानों के बीच पाँच छह किलोमीटर की दूरी के कारण इसे दो अलग-अलग सोसाइटियों में विभाजित कर दिया गया। तीन सौ मकान वाली सोसाइटी सरस्वती कुंज बनी रही और उससे साढ़े चार गुणे भूखंड वाली जगह को नया नाम मिला, ईस्ट एंड अपार्टमेंट। हम दोनों ही ईस्ट एंड अपार्टमेंट के निवासी बने। दृढ़निश्चयी गुप्ता जी का मूलमंत्र है, गलत नहीं करूंगा और गलत होने भी नहीं दूंगा। ऐसे आदमी का जीवन संघर्षमय तो होगा ही। उनके संघर्ष की कहानियों को सुनकर लगा कि ये सब सार्वजनिक होनी चाहिए। मैंने उनसे अपनी आपबीती को लिपिबद्ध करने का आग्रह किया। उन्होंने जब बताया कि अपने जीवन की घटनाओं को उन्होंने भाषा दे दी है तो संतोष हुआ। संतोष का भाव उनमें भी था। मुझे विश्वास है कि पढ़ने वाले भी यह जानकर कि ऐसे लोग भी होते हैं, अच्छा महसूस करेंगे।

1

बचपन बुढ़ापे में बहुत याद आता है। छोटी-छोटी सभी बातें याद आने लगती हैं। जिस मिट्टी में कोई पैदा होता है, उसी मिट्टी में वह मरने की भी इच्छा करता है। अपने साथी बच्चों की तो बहुत ही याद आती है। जहां वह खेलता है, कूदता है वहां के दिन याद आते हैं। ठीक भी है, क्यों न ऐसा हो। वह भोले-भाले बच्चों में ही रह कर बड़ा होता है। बच्चे ईश्वर का रूप माने जाते हैं। उनमें छल-कपट की भावना नहीं होती। वह वातावरण कुछ ऐसा है जिसमें एक दूसरे के प्रति प्रेम-भाव अधिक होता है। उन दिनों को, उन बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों को कैसे भूल सकता है और मातृ भूमि को भूल जाए यह तो हो ही नहीं सकता। पूरे गांव में मेरा अब कोई नहीं रहा है। जो मेरे समय के बच्चे थे वे भी ज्यादातर स्वर्ग सिधार गए हैं, जो जवान हैं उनसे हमारा वास्ता नहीं पड़ा और जो बच्चे हैं उन्होंने तो नाम भी न सुना होगा। फिर भी गांव साल दो साल में जाता हूं और पूरे गांव का पूरा चक्कर लगाता हूं। किसी से राम-राम दुआ सलाम हो जाती है भले ही जानते न हों, फिर भी मन को सुकून मिलता है। दिल भी उछलने कूदने लगता है।

मेरा गांव मेरे लिए स्वर्ग समान है। मैंने जिला मेरठ अब गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश के एक गांव कलछीना में 13 जनवरी सन 1936 में लाला शंकर लाल के घर में जन्म लिया। नाम रखा गया मदन। यह गांव मोदी नगर के पूर्व में 6 किमी और पिलखुआ के पश्चिम में 8 किमी दूरी पर स्थित है। इस गांव की आबादी लगभग 8000 थी जिसमें 50 से 60 वैश्य, 150 से 160 कुम्हार व इतने ही जाटव व हरिजन रहते थे। बिजली भी न थी और कोई छोटा सा स्कूल भी न

था। राजपूत मुसलमानों (राजपूतों से मुसलमान बने लोग) का गांव है। तीन मस्जिदें थीं। मंदिर का नाम तक भी न था। सबसे अच्छी बात यह थी कि सभी जाति के लोगों में भाई-चारा था वह भी इतना अधिक कि आपस में सभी ऐसे बोलते थे जैसे सभी एक ही परिवार के हों। कोई बाबा, कोई ताऊ, कोई चाचा, कोई भाई आदि आपस में बोलते थे। अपने रिश्तेदारों को वे जिस तरह बोलते थे उसी प्रकार दूसरी जाति के लोगों को भी बोलते थे।

जब गांव में गन्नों से गुड़ बनाया जाता था तो हमारे घर भी गरम गरम गुड़ की भेली, गन्ने का रस, बागों से फल, खेतों से सब्जी मुफ्त में तोहफे के रुप में भी भेजते थे। गन्ना चूसने व रस पीने या खीर आदि बनाने के लिए जो रस वे लोग हमारे यहाँ भेजते थे, ऐसा लगता था यह सभी हमारे अपने खेतों या बागों से आ रहे हैं। एक दूसरे से इतना प्रेम कि जो आज सगे भाई-बहनों में भी नहीं देखने को मिलता। एक दूसरे की जाति अलग होते हुए भी ऐसा लगता था जैसे एक ही परिवार के हों। अब तो अधिकतर शत्रुता घर वालों से ही होती है प्यार कम, शत्रुता या जलन अधिक।

पिताजी सुबह चार बजे खाट छोड़ देते थे। स्नान आदि से निवृत्त होकर एक घंटा पूजा-पाठ करते थे, उससे पहले हम तीनों भाईयों को भी जगा देते थे। व्यायाम स्वयं भी करते थे और बच्चों को करवाते थे। सारे गांव में वे ही पढ़े-लिखे थे। हिंदी व उर्दू भाषा में मिडिल पास थे। बड़े-बड़े अधिकारियों को दरख्वास्त लिखवाने लोग पिताजी के पास आते थे। उन दिनों ज्यादातर दरख्वास्तें उर्दू में ही लिखी जाती थीं। वे और बड़े भाई दुकान करते थे। खोया, दूध व घी का व्यापार भी करते थे। मुझे भी अपने साथ काम में लगाते थे।

मेरे पिता जी दस प्रतिशत से अधिक कमाने की बात सोचते भी न

थे। सुबह उठकर भजन पूजन, शीर्ष आसन, दंड बैठक लगाते थे, हम बच्चों को साथ ही व्यायाम करके हमें भी करना सिखाते थे। झूठ और बेईमानी से पूरी नफरत करते थे। इसी लिए व्यापार के कारण पिलखुआ तक मशहूर थे। मुझे गर्व है उन पर। हमने जीवन में कभी भी उन्हें किसी गलत बात का पक्ष लेते नहीं देखा। वे बिल्कुल सरल स्वभाव के व्यक्ति थे।

मैं 2 किलोमीटर दूरी पर एक दौसा गांव में पहली कक्षा में दाखिल हुआ। स्कूल में हिंदी और रात को एक घंटा मस्जिद में उर्दू पढ़ने जाता था। पांचवी तक वहां पढ़ा। फिर 4 किलोमीटर दूर कस्बा फरीद नगर में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाने लगा। उस स्कूल के पंडित पृथ्वी सिंह मालिक भी थे और वहां के मुख्य अध्यापक भी थे। किसी छात्र की हिम्मत एक मिनट भी देर से स्कूल आने की न थी। सभी अभिभावक पंडित जी का सम्मान करते थे। सभी बच्चे उनके चरण स्पर्श करते थे। बच्चों को जो गृह कार्य मिलता, वह सभी समय पर करते थे। आधे से अधिक ग्रामर व टेंसस पंडित जी द्वारा छठी में ही पढ़ा दी जाती थी। उनका मान सम्मान काम के प्रति लगन देखकर मुझे प्रेरणा मिली कि मैं अध्यापक बनूंगा भले ही पैसे से गरीब रह जाऊं, मगर मान सम्मान जो एक ''गुरु'' का होता है, मुझे मिले। गुरु का मान सम्मान तो बड़े से बड़े पदाधिकारी से भी अधिक माना गया है। राजा हो या रंक सभी गुरु को अत्याधिक सम्मान देते थे। आज भी कुछ तो शेष है। पंडित जी कभी-कभी अपने छात्रों को लेकर प्रभात-फेरी करते थे। हाथ में हम बच्चे कांग्रेस का चरखे वाला झंडा लेकर भारत माता की जय, बड़े नेताओं की जय बोलते थे। हर व्यक्ति की जुबान पर 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' के नारे थे। बच्चों को नारे लगाने में बड़ा आनंद आता था।

पंडित जी न स्वयं झूठ बोलते थे, न बच्चों को बोलने देते थे। वे सदा सत्य बोलने उस पर चलने की शिक्षा देते थे। बच्चों में उनके गुण पैदा होने लगते थे। निर्भीक हो कर बच्चे विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य की राह पकड़ते थे। पंडित जी के संपर्क में जो भी आता वह कभी गलत रास्ते पर नहीं चलता था। मुझे विद्यार्थी जीवन में लगभग सभी अध्यापक गुणवान मिले। माता-पिता भी भोले-भाले ईमानदार व सत्यता की राह के राही। मुझे उनसे सदा सच बोलने, गलत कामों से दूर रहने की शिक्षा मिली थी। उनका बड़ा सम्मान था भले ही वह अमीर न थे परंतु उनको सभी सम्मान की दृष्टि से देखते थे। मुझे भी चाह थी कि मैं अध्यापक बनूं। छात्रों को अच्छी शिक्षा दूं चाहे गरीब रहूं कोई मलाल न होगा। मन में छल कपट न हो, किसी को धोखा न दूं ऐसे गुण परमात्मा मुझे दे ताकि मुझे समाज में सम्मान मिले। समाज सेवा अच्छी प्रकार कर सकूं।

मैं बड़ा ही भाग्यशाली रहा कि मुझे सभी स्कूल व कॉलेज में गुरु अच्छे ही मिले। मुझे 1947 में पिलखुआ में सातवीं कक्षा में मास्टर काली चरण जी के स्कूल में दाखिला कराया गया। मास्टरजी व मेरे पिता जी कभी किसी स्कूल में एक ही कक्षा के विद्यार्थी रह चुके थे। इसीलिए मुझे वे मास्टरजी के पास उनके घर पर ही रहने के लिए छोड़ गए थे। मास्टरजी भी बड़े मेहनती व ईमानदार थे। वे खेड़ा गांव के रहने वाले थे खेड़ा और पिलखुआ के बीच डेढ़-दो किलोमीटर का अंतर है। वे भी फरीद नगर वाले पंडित जी के समान मेहनतीव ईमानदार व्यक्ति थे। मैं मास्टरजी के घर पर उन्हीं के संरक्षण में रहने लगा था। मास्टरजी पत्नी के व्यवहार से तंग थे। मेरे बुरे दिन आ गए थे। मेरी आयु 11 वर्ष के करीब थी। उनके यहां मैं सुबह 5 बजे उठता था। उनके तीन बच्चे थे, वे 5 प्राणी थे। मैं सुबह सारे दिन के लिए उनके

नहाने और घर के खर्च हेतु उनके घर से 50-60 गज की दूरी पर कुंए से 10-15 बाल्टी पानी खींचकर लाता था और शाम को भी सात-आठ बाल्टी पानी लाता। स्कूल जाते समय अपने बस्ते के साथ मास्टरजी की बेटे का बस्ता भी उठाकर स्कूल ले जाता, वापसी में भी मैं ही उसका बस्ता लाता। उनका बेटा सतीश आठवीं में उन्हीं के स्कूल का छात्र था। पिलखुआ उस समय कस्बा था वहां से 5-7 सेर वजन का घर का सामान ''खेड़ा'' लाता था अर्थात 2 बस्ते और 5-7 सेर घर का सामान लेकर मैं चलता। मैं मास्टरजी के घर व सतीश के नौकर की तरह था। खाना खाकर मुझे उन लोगों के कपड़े धोकर लाना होता। पिताजी हफ्ते 15 दिन में मास्टर जी से मिल जाते थे। महीने में 25 सेर दूध की कीमत और लगभग एक सेर घी भी देकर जाते थे। वहां जलाने हेतु लकड़ी व उपले गांव से बाहर खरीदे जाते थे। वह भी कई-कई दिन तक मैं ही ढोकर लाता था। ग्यारह-साढ़े ग्यारह वर्ष का बच्चा और इतना काम। नौकर से भी बदतर मेरे साथ रवैया था। दूध पीने को नहीं, साग-सब्जी में घी तक नहीं डाला जाता था। मास्टरजी व उनकी पत्नी में कभी-कभी झगड़ा होता था तो मास्टरनी रस्सी लगाकर फांसी लगाने का ड्रामा किया करती थी। मास्टरजी परेशान थे केवल पत्नी की ओर से। वे बहुत मेहनती, ईमानदार व प्रतिष्ठित व्यक्ति थे।

मास्टरजी के घर के बराबर में एक सेना के रिटायर्ड सूबेदार तुंगल सिंह रहते थे। वह मुझसे बहुत प्यार करने लगे थे। वे और उनके दो भाई इकट्ठे रहते थे। उनके यहां 7-8 बैल व भैंसें भी थीं। उनका बेटा हरी सिंह सातवीं का छात्र था। कभी मैं हरी सिंह के साथ उनके यहां जानवरों के लिए कुट्टी कटवाता, कभी हरी सिंह मेरे साथ मिलकर मास्टरजी के घर हेतु पानी कुएं से ढुलवाता था।

उनके यहां एक सफेद कुत्ता भी था। उसका नाम लालू था। लालू

मेरा भी अच्छा मित्र बन गया था। मैं कभी-कभी हरी सिंह के साथ उनके खेतों पर चला जाता था। एक दिन मैं और हरी सिंह उनके खेत के पास पेड़ के नीचे बैठ गए थे। गर्मी के दिन थे। हम दोनों ही सो गए। कुछ देर बाद कुत्ते की बहुत तेज बुरी तरह भौंकने की आवाज हमारे कानों में पड़ी। हमने कुत्ते की ओर ध्यान दिया तो देखा कि वह एक सांप से उलझा हुआ था। कुत्ते ने हमारी सांप से जान बचाई थी। एक दिन मैं और हरि सिंह एक रजवाहे में नहाने चले गए। कुत्ते लालू महाराज भी हमारे साथ चले आए। गाजियाबाद से हापुड़ जाते समय रास्ते में गंग नहर बहती है। गंग नहर पर एक झाल पड़ती है। वह मसूरी झील कहलाती है। मसूरी, डासना दोनों गांव इस नहर पर ही पास-पास बसे हैं। उस नहर से एक रजवाहा निकलता है। वह काफी गहरा है और वह काफी तेज पानी नहर से ले लेता था। वह रजवाहा खेड़ा गांव के पास हरि सिंह के खेतों के पास से बहता है। वहां रजवाहे का पुल भी है। कुछ ग्वाले पुल से रहवाहे में कूद रहे थे। पुल के पास रजवाहा बहुत गहरा था। ग्वाले खड़े होकर नहा रहे थे, तैरते हुए पानी उन सबकी छाती तक ही था। मैंने समझा कि पानी चार फुट ही गहरा होगा। मैंने छलांग लगा दी और मैं डूबने लगा। तैरना मुझे आता न था। मैं पानी के बहाव के साथ साथ बहने भी लगा। तब लालू महाराज आए और मेरे हाथ की कलाई उन्होंने अपने मुंह में दबाई और मुझे किनारे तक खींच कर ले गए। एक कुत्ता दो बार मेरी जान बचा गया, कितनी बड़ी बात है। मास्टरजी की पत्नी मेरी जान की दुश्मन थी। कितना बड़ा अंतर है कुत्ते की सोच और मेरे गुरू की पत्नी की सोच में। कृपया आप तय करें, उन दोना में कौन इंसान है और कौन हैवान। हमें सोचना चाहिए कि हम इंसानियत कर रहे हैं या हैवानियत। देखने में इंसान मगर कार्य हैवानों जैसे।

रामलीला के दशहरे के दिन थे। मास्टरजी की चैपाल थी वहां हम लोग रामलीला नाटक देखने हेतु शाम ही स्टेज के आगे ही अपने बैठने हेतु बोरी बिछा देते थे। सतीश मुझ से जलता था। उसकी बोरी किसी ने वहां से उठा ली। गुरूआनी जी ने मुझे चोर बता दिया। मेरा दिल वहां से हट गया था। सब कुछ बर्दाश्त किया वहां लेकिन मुझे चोर बता देना, बड़ा दुख हुआ। आज तक भी उन शब्दों को नहीं भूला उस दिन के बाद मैं एक दिन भी कालीचरन जी के घर न रहा। वर्ष में चार महीने शेष रह गये थे। उनके यहाँ रहना छोड़ दिया। तीन चार माह तक रोज गांव से 8 किमी जाने और 8 किमी पिलखुआ स्कूल से वापस पैदल घर आने में परेशानी तो अवश्य हुई मगर सुकून मिला। आजादी मिली और गुलामी न करनी पड़ी।

गांव से रास्ते में तीन-चार गांव पड़ते थे। उन गांव के कुछ बच्चे भी पिलखुआ पढ़ने जाते थे। रास्ते में आम, अमरूद, बेर के पेड़ भी थे और खरबूजे व तरबूज की पलेज भी थी। उन गांवों के लगभग सभी लोग मेरे पिताजी को जानते थे क्योंकि पिताजी इन गांव से घी, दूध खरीदते रहते थे। बच्चों की माताएं मुझे रोक लेतीं और खाना तक खिला देती थीं। रास्ते में कभी-कभी फल, खरबूजा, तरबूज खाने को बाग व खेतों में वहां के मालिक मुझे खिला देते थे। कितना प्यार था मुझ से अन्य छात्रों के माता और पिता का। 16 किलोमीटर का रास्ता, रास्ता नहीं लगता था। ऐसा लगता था जैसे दो चार किलोमीटर ही चलना पड़ रहा है। उन छात्रों के परिवारों का मैं एक अंग हूं, ऐसा प्रतीत होता था। आज ऐसा प्यार देखने सुनने में भी नहीं आता।

मुझे 8 किलोमीटर का रास्ता कभी ऐसे रूट से जाना पड़ता था कि उस रूट से जाने वाला केवल मैं ही अकेला छात्र था। सन् 1947 का कालांश था यह। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। हिंदू

मुस्लिमानों के अंदर नफरत इतनी अधिक बढ़ चुकी थी कि आपस में कट मर रहे थे। लाखों व्यक्ति व बच्चे मार दिए गए थे। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। अगस्त 1947 के बाद कई साल मार-काट मची रही। मैंने मास्टर कालीचरण जी के घर दिसंबर 1947 से रहना बंद कर दिया था और मैं अपने गांव से अप्रैल-मई 1948 तक 5 माह अकेला ही स्कूल आता जाता रहा मगर मेरे पिताजी ने मुझे स्कूल जाने से न रोका यद्यपि हमारे क्षेत्र में मुस्लिम जनसंख्या बहुत अधिक थी। मुझे यदि कोई मार देता तो पता भी ना चलता पर पिताजी कहते थे कि जब तक का जीवन है, उतना तो काटना है ही, अधिक या कम नहीं हो सकता। मैं भी निडर हो गया, मौत आनी ही है और जब तक का जीवन लिखा है ईश्वर ने, तब तक तो अवश्य ही जिंदा रहूंगा फिर डर काहे का।

हमारे यहां दुकान पर हर चीज मिलती थी। घी, दूध व खोया बनाने का काम भी हो रहा था। मेरी आवश्यकता पिताजी के कारोबार में सहयोग देने की अधिक हो चुकी थी। पिताजी मुझे लगभग 5 बजे उठा देते थे। मैं नौकरों को 4-5 बजे जगाकर लाता था और दूध के काम में छह बजे तक सहयोग करता था। फिर स्कूल जाने की तैयारी करता था। डेढ़ घंटे में 8 किमी सफर तय करके स्कूल 7:30 बजे तक पिलखुआ पहुंचना आवश्यक था। वापिस घर लगभग 3:00 बजे तक पहुंच जाता था। शाम को कुछ भैसों का दूध मैं भी निकाल कर लाता था। 8:00 बजे तक खोया भूनता था। नौकरों के लाये दूध की चेकिंग करनी होती थी। दुकान पर भी बैठना पड़ता था। एक घंटा पढ़ाई हेतु मिलता था। किसी दिन नौकरों के साथ दिल्ली भी आना पड़ता था। खोया व दूध बेचने। स्कूल न जा पाता था। छोटी आयु काम बड़े-बड़े आदमियों के जैसे। नतीजा मैं हर काम करने को तैयार व निपुण था।

हमारा घर मिट्टी का बना था। कई-कई दिन मिट्टी लगभग आधा किलोमीटर दूरी पर जोहर से ढोकर लाता था और सारे घर की हर वर्ष लेहसायी करनी पड़ती थी बाजारों से दुकान का सामान साइकिल से लाना पड़ता था। शरीर काफी मजबूत बन गया था। स्कूल तो पैदल ही जाना पड़ता था। कभी-कभी 5 से 10 सेर वजन भी लेकर चलना पड़ता था। मुझे हर काम करने में आनंद आता था। मैं काम चोर नहीं था। छोटे से छोटे काम भी मैं कर लेता था। पिता जी किसी कारणवश कभी-कभी पिटाई भी कर देते थे। कभी-कभी स्कूल भी नंगे पैर ही भेजते थे। सर्दी के दिनों स्कूल जाते समय पैर ठंड हो जाते थे और गर्मियों में स्कूल से घर जाते समय पर गर्मी में भुन जाते थे। पिता जी ने हम तीनों भाइयों को खूब मेहनती और हर परिस्थिति का सामना करने लायक बना दिया था। दुकान के लिए मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद से जो क्रमश 20 मील, 15 मील व 25 मील दूर हमारे गांव से थे, साइकिल पर ढोकर सामान लाना पड़ता था। खाने के लिए ताजा व बिल्कुल असली दूध, खोया हमें खूब मिलता था।

उनमें ईमानदारी कूट-कूट कर ईश्वर ने भर रखी थी। गर्मी में दूध न फट जाए, दिल्ली तक लाने में तो वे 20 सेर के डिब्बे में दो सेर ठंडा पानी मिला देते थे और दिल्ली दुकानदारों से कह रखा था कि हमारा हर डिब्बे में से 2 सेर दूध अपने यहां कम जमा करें। इतना पानी डालने पर दूध का सैंपल फेल नहीं होता। जिस दिन मैं दूध दिल्ली लाता तो मुझे सैंपल भर जाने का नगर पालिका से कोई डर न था। एक दिन 8 डिब्बों का सैंपल लिया। सैंपल पास हो गए थे मगर नगर पालिका ने दूध बेचने का मेरे पास लाइसेंस न होने के कारण ₹10 जुर्माना लगा दिया।

मैं स्कूल बहुत कम जा पाता था। कभी कभी कुछ कमी अध्यापकों

के घर जाकर उनसे पूछ कर पूरी कर लेता था। वे मुझे घर पर पढ़ाने को मना नहीं करते थे। कारण था मेरे पिता जी उनका बहुत आदर करते थे। बड़े त्योहारों पर वे उनके घर नौकर भेजकर दूध व खोया गिफ्ट के तौर पर भेजते थे। मैं तो उनके चरणों में पड़ा रहता था। मैं दो दिन प्रैक्टिकल वाले दिनों में ही स्कूल जाता था। मेरी हाजिरी कम न हो जाए, वे ध्यान रखते थे। मेरे सारे अध्यापक मेहनती व कर्तव्य परायण व्यक्ति थे। उनमें एक तो बहुत ही गजब के व्यक्ति थे उनका नाम ए एन चटर्जी था। वे परीक्षा के दिनों में बुखार से पीड़ित हो गए। बच्चे उनसे गणित पढ़ते थे। वह छुट्टी पर थे फिर भी परीक्षार्थियों को पढ़ाने स्कूल आ गए थे। वह कभी कक्षा में देर से नहीं आए थे। उनका मुझ पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि मैंने अपना व्यवसाय अध्यापन ही चुना और अपनी 40 वर्ष की नौकरी में उन्हीं के तरीके से पढ़ाता रहा। अच्छे परिणाम प्राप्त किए। मैंने सदैव अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाया है। मैंने हर जगह समय की पाबंदी राखी।

मैं जुलाई 1948 में मोदीनगर, मोदी कॉलेज में दाखिल हो गया। कॉलेज अकेला ही जाता था। 6-7 किलोमीटर जाना, उतना ही वापस पैदल आना, जान का खतरा तो तब भी था। नवंबर 1948 में पूर्णमासी को गढ़गंगा मेले में हिंदू मुसलमान दंगे हो गए थे। मैं, मेरी मां, छोटा भाई, मेरी भाभी और मेरे एक ताऊजी गांव से एक मुसलमान की गाड़ी किराए पर ले गए थे, गंगा स्नान पर। उस मुसलमान को हम चाचा कहते थे। चाचा व उसका बेटा दोनों बैलगाड़ी चला कर ले गए थे। गंगा जी पर वे दोनों हिंदुओं द्वारा मार डाले गए थे। जब हरियाणा, दिल्ली व पंजाब क्षेत्र के हिंदू गाड़ियों या रेल से वापस गढ़ से लौटकर अपने घरों को जा रहे थे तो वे सब हिंदू, डासना व मसूरी के इलाके में मुसलमानों ने मार डाले। कुछ मुसलमान भी मरे। जब हम अपने गांव

पहुंचे तो गांव के कुछ गुंडे मुसलमानों ने हमारे परिवार को मारने की कोशिश की थी। हमारे गांव की गिनती 84 गांव के संगठन में आती थी और हमारे गांव का नंबरदार भी उस संगठन में एक बड़े पद पर था। उनका नाम बाबू मस्तउल्ला खान था। बाबू जी की जायदाद में 6-7 हजार बीघा जमीन भी थी। इसलिए बाबूजी का रूतवा काफी ऊंचा था। उन्होंने यह कहा कि यदि गांव में किसी हिंदू को कोई हानि पहुंची तो आरोपी को वह स्वयं मार डालेंगे। इसलिए हम में से किसी हिंदू को किसी किस्म की हानि न हुई। भाईचारा जैसा पहले था वैसा ही तब भी बना रहा। एक ही आदमी ने इतने सारे हिंदुओं की रक्षा कर डाली और भाईचारे पर आंच न आने दी। मेरा पालन-पोषण ऐसे वातावरण में हुआ। मुझे जीवन भर अन्याय कभी बर्दाश्त न हुआ है।

हमारे कालेज के लड़कों की कबड्डी टीम यूपी में प्रथम या द्वितीय स्थान पर रहती थी। एक दिन उस टीम के दो तीन खिलाड़ियों ने एक ट्रक के ड्राइवर को मेरठ चलने को कहा। ड्राइवर ने मना कर दिया तो वे उसे पीटने लगे। इत्तेफाक से मैं वहां से गुजर रहा था। वह मुझे देखकर खुश हुए क्योंकि उनको लगा कि मैं उनका साथ दूंगा। मगर मैंने विरोध किया, ड्राइवर का पूरा पक्ष लिया। उनमें और मुझ में लड़ाई हो गई। कालेज में यह मामला पहुँच गया तो प्रधानाचार्य ने मेरा पक्ष लिया। उन लड़कों ने छात्रों को डरा धमका कर कालेज में दो दिन हड़ताल करा डाली। प्रधानाचार्य जी भी अड़ गए और उन दोनों लड़कों को 10 दिन के लिए कालेज से निकाल दिया। मेरा नाम सम्मान बढ़ा और मेरा मन नेतागिरी में लगने लगा। मैं तभी से हर स्थान पर अपनी क्षमता अनुसार जहां कोई भ्रष्टाचार व अन्याय होता देखता वहीं मैं विरोध करता और आजतक भी यही हाल है। नेतागिरी में अपने बच्चों पर पूरा ध्यान न दे सका।

सन 1951 में मेरे पिताजी ने राब (खंडसारी) का अत्याधिक मोटा काम कर लिया और लगभग ₹30000 का नुकसान उठाया। खाने के भी लाले पड़ गए। जैसे तैसे 1953 में इंटरमीडिएट पास किया और मेरठ कॉलेज में बीएससी में दाखिला ले लिया। अक्टूबर तक एक भी किताब ना खरीद सका। ₹5 महावार का एक कमरा किराए पर लिया था। खाना अपने आप बनाया करता था। आखिर नवंबर में पढ़ाई छोड़ दी। मेरी आयु 18 वर्ष भी ना हुई थी। मैं पिलखुआ में श्री चंडी हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रधानाचार्य जी से मिला। वह स्कूल नया-नया खुला था। उन्होंने सातवीं आठवीं से कई कई वर्ष पहले पढ़ाई छोड़ चुके लड़कों को नवीं और दसवीं में दाखिला दिया हुआ था। उनको पढ़ाने वाले अध्यापक की आवश्यकता थी। मुझे वहां आठवीं, नौवीं, दसवीं को विज्ञान व गणित पढ़ाने को कहा गया। मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया। खूब मेहनत की। स्कूल के समय के बाद भी दो ढाई घंटे का समय बच्चों को मुफ़्त दिया। रात को भी मेरे घर छात्र आ जाते थे। नतीजा यह हुआ कि परिणाम शत-प्रतिशत आ गए। मैंने वह नौकरी छोड़ दी और दिल्ली चला आया। मेरी चांदनी चौक के पंजाब नेशनल बैंक में ₹150 माहवार पर खजांची की नौकरी लग गई थी। श्री आदेश्वर दयाल मुख्य खजांची थे। उन्होंने ही नौकरी दी थी। 21 दिन काम किया। ₹250 सिक्योरिटी जमा करनी थी, किसी ने उधार भी नहीं दिए, नौकरी छोड़नी पड़ी। 21 दिन का वेतन भी नहीं मिला। मैंने यह भी कहा था कि दो माह का वेतन ₹300, मैं नहीं लूंगा वह ₹250 मूल व ₹50 ब्याज लगाकर खत्म कर दूंगा। सभी रिश्तेदारों को जलन हो रही थी कि इतनी अच्छी नौकरी क्यों मिल गई। एक घी वाले की दुकान पर ₹70 माह वार की नौकरी मिली। खारी बावली में घी की ट्रक द्वारा डिलीवरी करनी थी। दो दिन तो ट्रक द्वारा घी बेचा परंतु तीसरे

दिन मुझ से साइकिल से सुजान सिंह पार्क व मोती बाग में होम डिलीवरी कराई। मैंने वह नौकरी भी छोड़ दी और गांव चला आया। मुझे मेरे रिश्तेदार ने दिल्ली बुलाया और कपड़े वालों की एसोसिएशन में ₹70 माह वार की नौकरी पर लगवा दिया।

मेरे ताऊ जी के बेटे की खारी बावली में खोए की दुकान थी। उन्होंने शक्ति नगर के एक हलवाई की बेटी से अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया। कुछ दिन बाद रिश्ता टूट गया। भाई ने कसम उठाली की वह उस लड़की को अपने ही घर में लाएगा। एक दिन मुझे भाई ने अपनी दुकान पर बुलाकर हलवाई की बेटी से मेरा रिश्ता तय कर दिया और सगाई व शादी की तारीख भी तय कर दी और गांव में पिता जी को इस संबंध के बारे में बताया। पिता जी भाई से मिले और बताया कि हमारे पास रुपए नहीं है। भाई ने कहा कि वह मेरी शादी स्वयं कराएगा व पूरा खर्च स्वयं देगा। सगाई की तारीख से 1 दिन पहले पिता जी भाई के पास आए और सगाई का सामान खरीदने को कहा। भाई ने बताया कि उसने सारा रुपया अपने बेटे की शादी में लगा दिया है। पिता जी ने शक्ति नगर हलवाई के यहां खबर भिजवा दी कि हम सगाई नहीं कर रहे हैं। हलवाई अपने साढू के साथ मेरे दफ्तर में आ गए और बताया कि मेरे पिता जी ने सगाई तोड़ दी है। इस तरह क्या यह अच्छी बात हुई? सगाई नहीं टूटनी चाहिए इस तरह लड़की की काफी बदनामी हो जाएगी। मैंने अपनी गरीबी के बारे में उन्हें बताया और कहा कि हमारे घर में कुल ₹200-250 का ही प्रबंध है। जिसमें शादी नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि मेरी नौकरी कुल ₹70 माह वार है, वह भी कच्ची है। मैं आपकी बेटी को कहां से खिलाऊंगा? मैं उस लड़की के जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकता। शादी यदि मंदिर में पाँच-सात आदमियों की मौजूदगी में ही, केवल फूलों की

माला डाल कर ही हो तो संभव हो सकती है। उन्होंने कहा कि ₹500 वह मुझे सगाई पर वह खेत की रसम पर देंगे। इस बात को आप लोग मेरे पिताजी से कह कर शादी तय कर लो। उन्होंने पिताजी से शादी की बात ते कर ली। शादी में उन्होंने हमें केवल ₹300 ही दिए। पिताजी इस प्रकार ₹550 ही खर्च कर के शादी करके ले गए थे। मैंने पुराने कपड़े ही पहने थे। मेरे ससुर मुझे ₹2 गज के भाव से सूट के लिए 4 गज कपड़ा देना चाहते थे व एक साइकिल और एक घड़ी। मैंने यह दहेज नहीं लिया। मैंने उन्हें कह दिया कि मैं तुम्हारा भिखारी नहीं हूं। मैं नहीं चाहता था कि मेरे माता-पिता या सास-ससुर मेरी शादी के कारण कर्जदार बन जाए।

मेरी पत्नी का नाम शकुंतला था। वह लगभग 27 माह, गांव में मेरे मां-बाप के पास रही। शादी 18.6.1955 को हुई थी। शकुंतला की जन्म तिथि 1.9.1940 थी। उसने मेरी मां के साथ आटा पीसना और कुएं से पानी खींच कर लाने का काम सहर्ष किया था। शहर की लड़की इस प्रकार गांव में रहे, बहुत बड़ी बात थी। मैंने प्राइमरी स्कूल के अध्यापक का जे. वी. प्रशिक्षण दिल्ली में लिया। मेरे पास दाखिले की फीस के लिए ₹56 भी ना थे। किसी ने उधार भी न दिए। एक टीका बेचा 6 रुपये हमारे प्रिंसिपल सी के मलिक ने दिए थे। एक लड़का महेश चंद शर्मा मेरा क्लास का साथी था। उसके पिता नगर पालिका दिल्ली के मुख्य अध्यापक थे। वह स्कूल, न्यू अमर सिनेमा के बराबर में, प्रथम तल पर था जहां अब मेट्रो रेल का चावड़ी बाजार स्टेशन है। जे. वी. भी 1956 में पास कर लिया। दिल्ली में महेश के पिता के स्कूल में रहा था और रोटी का प्रबंध महेश ने किया था। उसी की किताब कॉपी प्रयोग में लाकर जे. वी. पूरी की थी।

मैं जुलाई 1956 से गांव में ही रह रहा था। एक दिन मेरे गांव के

12 मुसलमान दिल्ली में खोया बेच कर दिन के 1:30 बजे के बजाय रात्रि 11:00 बजे गांव में पहुंचे। मुझे उन्होंने बताया कि वे लोग रेल से 12:30 बजे मोदी नगर स्टेशन पर पहुंचे ही थे कि पुलिस उन्हें थाने ले गई। पुलिस ने उन्हें छोड़ने के ₹500 रिश्वत के मांगे। हमें 10:00 बजे छोड़ा। कल जैसे ही 12:30 बजे दिल्ली से चल कर हम मोदी नगर आएंगे तो हम उन्हें ₹500 दे देंगे। पुलिस ने उन्हें फंसाने के लिए एक झूठी रिपोर्ट, एक खोए वाले से लिखवा ली कि दूसरे 12 आदमियों ने उसकी साइकिल छीन ली है। मैंने उन्हें कहा कि सुबह मेरे साथ दो आदमी मेरठ, कलेक्टर से मिलने चलेंगे। पुलिस को बहाना लगाकर 2 दिन के लिए रुपए देने को मना कर दें। अगले रोज हम लोग मेरठ कांग्रेस के दफ्तर में मेरठ कांग्रेस के महामंत्री चैधरी शिवदयाल सिंह से मिले। उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि तुम हिंदू हो, 20 वर्ष की आयु है, मुसलमानों का केस है, तुम क्यों लफड़े में पढ़ रहे हो? तो मेरा उत्तर था कि मैं इन्हीं लोगों में पैदा हुआ हूं, पला बड़ा हुआ हूं, यह मेरे भाई बंधु हैं। इनको आप के माध्यम से एक रास्ता दिखाना चाहता हूं कि पुलिस को भी कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। चैधरी साहब ने कलेक्टर साहब को फोन पर हमारी समस्या बताई। कलेक्टर साहब ने एस पी मिर्जा मोहम्मद एहसान को हमारे साथ मोदी नगर भेज दिया। वे स्टेशन पर सादे कपड़ों में जाकर खड़े हो गए। पुलिसवाले वहां रुपए लेने ना आए। उन्होंने हमारे गांव के बदमाशों को भेज दिया था। बदमाश से पूछा कि तुम्हें यहां पुलिस ने कितने रुपए लेने भेजा है? तो उनका जवाब था कि हमारी पुलिस से कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है। उनके पास साइकिल और दो लाठियां थाने की थी। साजिश सामने आ गई थी। आधा थाना निलंबित हुआ। उसमें एसएचओ व दीवान भी निलंबित हुए थे। हमारे गांव के पास 8-9 किलोमीटर दूरी पर चौधरी

चरण सिंह का गांव था। वहां के लोग हमारे गांव के चौधरियों के पास आए थे और कहा था कि मदन से कह कर पुलिस के विरुद्ध बयान बदलवा दो। मैंने किसी के भी बयान बदलवाने से इंकार कर दिया। पुलिस ने बदमाश से मुझ पर रात्रि में 10:00 बजे गोली चलवा दी थी। मैंने बदमाश की टांग में अपनी लात मार दी थी। निशाना चूक गया। आवाज सुनकर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे। पुलिस और बदमाश दोनों भाग गए थे। इसकी शिकायत अगले दिन एसपी साहब को कर दी गई थी। पुलिस ने सबको मोदी नगर स्टेशन पर पकड़ने का प्लान बनाया था। मैंने उन्हें गाड़ी से मुराद नगर उतर जाने को कहा। अगले रोज पुलिस ने उन्हें मुराद नगर घेरने की सोची। मैंने उन्हें गाजियाबाद ना उतरने को कहा और उन्हें दिल्ली से पिलखुआ वाली गाड़ी पकड़ने की सलाह दी। पुलिस उन्हें 3 दिन ना पकड़ सकी न उनके बयान बदलवा सकी। हमने एसपी साहब को यह शिकायत भी कर दी थी।

इस घटना के बाद हमारे गांव में एक पार्चा जी साहब आए थे। वे हापुड़ नगर पालिका के अध्यक्ष थे। मुझे नौकरी दिलाने हेतु हापुड़ ले गए थे। उन्होंने मुझे एक बड़े कपड़ा व्यापारी से महाशय प्यारे लाल भूदानी से मिलवाया। वे पढ़े-लिखे ना थे। उनका बेटा दसवीं फेल था। उसने कहा कि वह मेरा इम्तिहान लेगा। मैंने कहा कि मैं पिलखुवा में दसवीं को पढ़ा चुका हूं। तुम मेरी परीक्षा कैसे ले सकते हो? मुझसे कपड़े की दुकान पर काम करने की नौकरी देने की बात हुई। ₹25 महीने, सोने को जगह मजदूरों के साथ, जो दुकान के फड़ पर सोते थे। दुकान रात 11 बजे बंद होती। सुबह 5 बजे दुकान खोल कर झाड़ू लगाना, कपड़ों के थानों से धूल झाड़ना आदि काम करना भी शामिल था। मैंने लालाजी से कहा मैं बनिए का बेटा हूं गज से नापने का काम

क्या मायने है मेरे लिए। ₹25 तो ढाबे में रोटी खाने में ही खर्च हो जाएंगे। मेरी बीवी है, गोद में लड़की भी है। उनके खर्चे का पैसा कहां से आएगा? सोने तक का ठिकाना नहीं है, क्यों एक बनिए के लड़के का मजाक उड़ा रहे हो? मेरा उनका झगड़ा हो गया। हम वहां से चले आए।

पार्चा जी ने फिर पक्के बाग में एक आढती भूदानी लाला फकीर चंद से मुझे मिलाया। लाला जी ने मेरे लिए अपनी दुकान के ऊपर एक कमरा खुलवा दिया। खाने के लिए कुछ फल मंगवाए और उन्होंने मुझसे अपने बेटे को पढ़ाने के लिए कहा। 150 रुपए महीने ट्यूशन फीस देने को कहा। मैंने उन्हें बताया कि मैं यहां नहीं रह सकता। गांव में बीवी और गोद में बच्ची है। उन्होंने मुझे 10 दिन बाद आने को कहा। वह उत्तरप्रदेश की गौशालाओं के प्रधान थे और 2 दिन पहले ही उन्होंने गौशालाओं के लिए कर्मचारियों की भर्ती की थी। मैं 10 दिन बाद गया। वहां एक व्यक्ति भूदानी बैठा मिला। लाला जी उन्हें 'शिक्षार्थी जी' कह कर पुकार रहे थे। उन्होंने शिक्षार्थी जी से कहा कि उन्होंने 200 गज का प्लॉट, एक कोल्हू और दो बैल खरीद लिए है और वहां सरसों का तेल निकलवाएंगे और आपकी देखरेख में मैं प्रबंधक के तौर पर ₹200 वेतन पर काम करूंगा। यह बात हो गई।

शिक्षार्थी जी मुझे लेकर हापुड़ में मेरठ जिला परिषद के माध्यमिक विद्यालय में ले गए। वहां मेरठ जिला परिषद के स्कूलों के मुख्य अध्यापकों की ट्रेनिंग चल रही थी। एक अध्यापक ने मुझ से पूछा कि तुम इस भूदानी के साथ कैसे घूम रहे हो? मैंने उन्हें सारा माजरा बता दिया। उन्होंने कहा कि मेरा भूदानी वालों के साथ रहना ठीक नहीं है यदि लाला फकीर चंद मुझ पर मेहरबान है तो उनसे कहो कि मुझे वह किसी माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान अध्यापक लगवा दें। मैंने लाला

जी से प्रार्थना की। उन्होंने जिला परिषद के एक सदस्य को बुलाया और मुझे उनके साथ मेरठ जिला परिषद के कार्यालय भेज दिया। वहां जिला परिषद के प्रधान की कुर्सी पर चैधरी शिव दयाल सिंह बैठे मिले। उन्होंने सदस्य से कहा कि यह लड़का तो मुझे जानता है आपको आने की जरूरत न थी और अधिकारियों को बुलाकर मुझे गाजियाबाद के माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान अध्यापक के पद पर लगाने का आदेश दिलवा दिया। मैंने गाजियाबाद में अगले दिन विज्ञान अध्यापक का पद संभाल लिया मगर मुख्य अध्यापक अंदर अंदर जल भुन रहा था। यह पद वहीं के अंग्रेजी अध्यापक के बेटे के लिए तय किया हुआ था। मुख्य अध्यापक रामचंद्र शर्मा रहीसपुर के निवासी थे। मुख्याध्यापक व अंग्रेजी अध्यापक 40-50 छात्रों को रोज शाम को दो घंटा अपने पास ट्यूशन के नाम पर बैठा लेते थे। हुक्का गुड़गुड़ाते रहते थे मगर पढ़ाते कुछ ना थे। मैं अपने विज्ञान के पीरियड में कक्षा में उन्हें कभी अंग्रेजी और कभी गणित पढ़ा देता था। मैंने उन अध्यापकों से भी कहा कि शाम को मैं 2 घंटे छात्रों को आप के स्थान पर निशुल्क पढ़ा दिया करूंगा यदि आपकी अनुमति हो तो। इस तरह छात्रों के दिलों पर मेरा राज हो गया और मुख्य अध्यापक और अधिक जलने लगे।

एक दिन मुख्य अध्यापक ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे गाल पर थप्पड़ मारा। मैं मेरठ शिव दयाल सिंह जी के पास पहुंचा। वह फौरन ही इंस्पेक्टर (शिक्षा) व इंजीनियर को लेकर जीप से गाजियाबाद आ गए और मुख्य अध्यापक को निलंबित कर दिया। उसके स्थान पर मुरादनगर के मुख्य अध्यापक को कार्यभार दे दिया। इस तरह का एक्शन जिला परिषद मेरठ में पहले कभी ना हुआ था। सारे जिले में राम चंद्र शर्मा की भद पिट गई जबकि उसकी एसडीआई के पद पर पदोन्नति होनी थी।

मैं मेरठ बी.टी. कर रहा था तो गाँव का एक मुसलमान मेरे पास पहुंचा उसने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ गांव जा रहा था तो एक पुलिसवाले ने मोदी नगर में उससे ₹50 मांगे उसके पास ना थे तो वह उन्हें थाना ले चलने लगा तो उसने पत्नी का जेवर गिरवी के तौर पर दे दिए। सिपाही ने वे जेवर एक दुकानदार को दे दिया और कहा कि ये आएगा, ₹50 रुपए देगा तो जेवर दे देना। मैं उस व्यक्ति को एसपी के पास ले गया। हमारे साथ डीएसपी मोदी नगर आ गया सिपाही को दुकानदार ने बुलाया। ₹50 दिए गए। डीएसपी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। जेवर का लेन-देन न हो पाया था। डीएसपी ने रिपोर्ट लिखी और मुझे गवाह बनाने हेतु मेरे हस्ताक्षर कराने चाहे मैंने मना कर दिया। मैंने सिपाही से पूछा कि कितना वेतन मिलता है उसने बताया कि कुल ₹60, मैंने डीएसपी से कहा कि इतनी कम वेतन में चार बच्चों के साथ गुजारा कैसे कोई कर सकता है, कृपया इस का ट्रांसफर कर दें, यही सजा समझ लीजिए जो कि काफी हानिकारक सिद्ध होगी। डीएसपी ने खुशी जताई और मुझे धन्यवाद दिया और मुझसे कहा कि कभी कोई उसके योग्य काम हो तो फौरन उसके पास चला आऊं।

मेरे गांव में कोई स्कूल नहीं था। काफी बच्चे जानवर चराने जाते थे। 1956 में मैंने गांव के बड़ों को कहा कि स्कूलों में बच्चे बिना जाति भेद भाव इकट्ठे बैठते हैं, खेलते हैं। वहां भेद भाव नहीं है। गांव में भी छोटा सा स्कूल हो जाए और चारों जाति के बच्चे इकट्ठे पढ़ लें तो क्या परेशानी है? वह मान गए। मैंने चारों जाति के बच्चों को दो माह पढ़ाया। गांव के प्रधान ने प्रबंध करके एक अध्यापक को वहां रख दिया। धीरे-धीरे बच्चों में पढ़ने का शौक पैदा हो गया। 15 वर्ष पहले वहां इंटर कॉलेज बन गया है।

2

सितंबर 1957 में स्कूल की नौकरी का आदेश पश्चिम दिल्ली नगर पालिका से आ गया, मैंने हरिनगर घंटा घर में कार्यभार संभाल लिया। नया स्कूल खुला था। हरिनगर व अशोक नगर के लगभग हर घर का बच्चा पहली कक्षा से पांचवी तक दाखिल हुआ था। वहां दसवीं तक स्कूल समय के बाद 2 घंटे की फ्री क्लास लगाई। सारे हरीनगर में मेरा नाम और काम प्रसिद्ध हो गया था।

कुछ दिन बाद मेरे घर में एक फूल खिला। मुझे बताए बिना ही कुछ साथी अध्यापकों ने सारे हरिनगर में मनादी पिटवा दी कि मेरे घर नया बच्चा आया है। इस खुशी में सभी गरीबों को अमुक ढाबे से रोटी बांटी जाएगी। उन टीचरों ने 1 बोरी आटा और 40 किलो आलू अमुक ढाबे पर रखवा दिए। 3:00 बजे तक भंडारा लगा रहा। इसके पश्चात मुझे खयाल आया कि मुझे अपने मित्रों, रिश्तेदारों व साथियों को भी प्रसाद खिलाना चाहिए। बच्चे का जसूटन भी कराया जिसमें बहुत से अभिभावक भी शामिल हुए। वहां अभिभावकों ने मुझसे कुछ भी खर्च न लिया बल्कि आशीर्वाद देते समय कुछ राशि भी दी। मेरे पास यद्यपि एक पैसा भी ना था फिर भी बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। इसका कारण था उनके बच्चों को स्कूल में मेहनत से अच्छी प्रकार और स्कूल के और अन्य बच्चों को 2 घंटे मुफ्त में पढ़ाना। इतना ही नहीं कॉलोनाइजर मुझे 200 गज का प्लॉट फ्री देने पर जोर देता रहा। उस समय हरी नगर में ₹4 गज की दर थी। श्री गिरधर गोपाल जी की जमीन हरि नगर, तिहाड, राजौरी गार्डन और अशोक नगर में थी। उनके सात पुत्र थे। वह बल्ली मारान के निवासी थे। एक बेटा तो मजिस्ट्रेट भी था।

राजीव मोटर कंपनी भी उन्हीं की थी। उनके एक सुपुत्र मदन गोपाल थे। वह मुझसे बहुत प्यार करते थे। वह एक प्लॉट मेरे नाम कर लाए और मुझ पर हस्ताक्षर करने के लिए जोर डालने लगे। मैंने मना कर दिया। करता भी क्या? मुझे लग रहा था कि मैं घर बनाने लायक रुपए जमा नहीं कर पाऊंगा। मकान बनाने की कभी इच्छा हुई ही नहीं। आदमी कुछ दिन के लिए संसार में आता है और सब कुछ यहीं छोड़ कर चला जाता है। कितने ही लोग बिना मकान बनाए ही चले जाते हैं। मैं भी चला जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है।

मैंने नगर निगम बनते ही अपना तबादला कटरा बड़ीयान करा लिया था। स्कूल में कुछ समय बाद एक रामचरण अभय नामक मुख्य अध्यापक आया था। उसने स्कूल के कुछ हिस्से का पुनः र्निमाण कराया था जिसमें पुराना सामान, लोहा आदि बेचकर वह पैसा खा गया था। उसने मिड डे मील में दिए हुए दूध को बेचना शुरू कर दिया। रविवार को छुट्टी के दिन भी बच्चों को दूध पिलाना दिखा दिया। कुछ लोगों से ₹500-500, अध्यापक की नौकरी लगवाने के नाम से भी लिए थे। नगर निगम बनते ही सभी कमेटियों के स्कूलों का वेतन पुराने हिंदू कॉलेज से दिया जाने लगा। अभय ने झूठ बोलकर कि वह अमुक स्कूल का मुख्य अध्यापक है, उस स्कूल के स्टाफ का पूरा वेतन लाकर हड़प लिया। जांच नहीं हो पाई। विभाग में शोर मचकर रह गया।

एक कमाल उसने और भी किया कि एक अध्यापक गर्मी की छुट्टियों के होने से चार-पांच दिन पहले अपने घर चला गया, सोचा था की छुट्टियां खत्म होते ही जुलाई में स्कूल ज्वाइन कर लेगा मगर छुट्टी खत्म होने से दो-चार दिन पहले गांव में उस अध्यापक को डाकू ने टांग में गोली मार दी। अभय उस अध्यापक के 2 माह के वेतन को हड़प गया। अध्यापक के जाली हस्ताक्षर, वेतन प्राप्ति के दिखा दिए। गर्मी

की छुट्टियों से पहले अध्यापक के जाली हस्ताक्षर कर दिए और इस तरह अध्यापक की एक ही तरफ की छुट्टी रह गई। हिंदू कॉलेज से पे बिल गायब करा दिए। मैंने उसका तबादला कटरा बड़ीयान से करवा दिया। इस अभय के द्वारा स्कूल का पुराना लोहा, कुछ फर्नीचर का गायब होना, रविवार को दूध का बच्चों को वितरण, जैसे सबूत तो जिंदा थे ही।

कुछ महीने बाद झंडेवालन माता मंदिर के सामने एक नया स्कूल खुलने पर मेरा वहां तबादला कर दिया गया। चार टेंट लग गए। पास ही एक जोहड़ (तालाब) भी था। दाखिले की अंतिम तारीख समाप्त हो चुकी थी। एक आदमी अपने दो बेटों को दाखिल करने लाया था। वह बच्चे दाखिल तो हो नहीं सके मगर मैंने उन्हें अपने उपरोक्त स्कूल में बैठने की अनुमति दे दी। एक दिन छोटा लड़का स्कूल से अपने भाई को या अध्यापक को बताए बिना खिसक गया और तालाब में डूब गया। पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने रात्रि में अपने साथ मुझे भी ले लिया। वहीं झुग्गियों के बच्चों से पूछताछ की तो एक बच्चे ने बताया कि वह लड़का तालाब में डूब गया है। तब लाश को ढूंढने का प्रयत्न प्रारंभ हुआ। लाश मिल गई। किसी ने कोशिश की कि मुझे जिम्मेदार ठहराया जाए। मैंने कहा कि मैं किसी प्रकार से भी जिम्मेदार नहीं हूं। वह स्कूल का विद्यार्थी नहीं था। पुलिस ने भी हमें क्लीन चिट दे दी। इस घटना से मैं अत्यधिक आहत हुआ। गलती मेरी थी कि उन बच्चों को क्लास में बैठने की अनुमति दी। उसके मरने का बड़ा दुख हुआ।

मुझे रोशनारा बाग में विभाग में नेशनल डिसिप्लिन स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण दिलाया गया। 21 अध्यापक इस प्रशिक्षण हेतु चुने गए थे। मैं बच्चों को पीटी वगैरह कराता रहता था इसलिए मेरा चुनाव हुआ था।

मैंने अपना तबादला कमला नगर करा लिया था। 1959 में मैंने कैंप कॉलेज B.A (Maths, A&B Course, English) में दाखिला सबसे पहले लिया। बीए करने के बाद 1963 में बी.टी. करने हेतु मेरठ कॉलेज में दाखिला ले लिया। मेरे पास मेरठ जाने से पहले दूध (मिड डे मील के लिए) का चार्ज था। मैंने मेरठ से बी. टी. करके लौटने के बाद वह चार्ज फिर से लिया। स्टोर की मैंने न चीनी देखी, न दूध। कोई गिनती न की। जिस से चार्ज लिया था उससे चार्ज लेने के हस्ताक्षर भी कर दिए। विश्वास कर लिया कि सब ठीक होगा, विश्वास नहीं करना चाहिए था। मुझे मुख्याध्यापक ने बता दिया कि छापा पड़ने वाला है। स्टोर में दोनों चीज कुछ कम थी। दूध की कमी मैंने फटाफट पूरी कर ली। छापा पड़ा, मैं बच गया। चार्ज लेते समय चौकन्ने रहें, किसी का विश्वास न करें। यहां पर विशेष बात यह है कि मुझे सतर्कता अधिकारी दोबारा चीनी तोलने के लिए कह रहे थे। मैंने कहा आपने ही पहले तोली थी तो ठीक ही होगी, दोबारा नहीं तोले। इस पर ड्राइवर ने मुझे चांटा मारा और कहा हरिश्चंद्र की औलाद बनता है। ड्राइवर बुजुर्ग व्यक्ति था। एक मामला और भी है चार्ज देने वाले धोखे से बहुत सी चीजें नहीं देते। कम, घटिया व नई के बदले, पुरानी चीजें थोप देते हैं। चार्ज लेने वाले को शर्म आ जाती है, ध्यान पूरा नहीं देता है। कृपया चार्ज लेते समय हर वस्तु की ओर ध्यान दें। कुछ लोग अपने पापों को छिपाने हेतु दूसरे शरीफ व बेकसूर को फंसाते हैं। भले ही दूसरों की नौकरी चली जाए, भले ही दूसरे जेल चले जाएं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए।

मेरे एक बेटे को पोलियो हो गया था मगर मुझे पता ना था। एक अध्यापक, सोमदत्त शर्मा जी को निलंबित करने की कोशिश की जा रही थी। श्री दीपचंद बंधु ने मुझे आदेश दिया था कि इस केस को ठीक

करना है। बंधु जी एसोसिएशन के महासचिव थे। बच्चे को काफी तेज बुखार था। मैं बच्चे को डॉक्टर को दिखाकर दवाई ले आया था। मैं सोमदत्त के केस के चक्कर में भाग दौड़ कर रहा था। पत्नी ने बताया कि बच्चा पेशाब नहीं कर रहा है। मैंने कहा कि शरीर में पानी की कमी की वजह से ऐसा हो सकता है। शाम को जब घर पहुंचा तो बताया गया कि बच्चा बैठ भी नहीं रहा है। मैंने फिर लापरवाही की और कहा कि कमजोरी के कारण नहीं बैठ रहा होगा। डॉक्टर इलाज कर ही रहा है। अगले रोज मुझे बताया गया कि इसकी टांग लटक रही है। मैंने बच्चे का बाजू पकड़ कर जैसे ही उठाया तो बच्चे की टांग बिल्कुल बेजान थी, वह लटक रही थी। यह 1965 की बात है। पोलियो का नाम तक ना सुना था। मैं रात को राम मनोहर लोहिया और हिंदूराव अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने ताकत की दवाइयां विटामिन दीं और बताया फिजियोथेरेपी होगी, शायद ठीक हो जाए। अगले दिन एम्स में दिखाया। वहां एक डॉक्टरनी ने आलपिन से बच्चे की टांग रगड़ने शुरू की तो उस से खून निकलने लगा। मैंने पूछा कि यह पता करने के लिए कि पैर में सेंसेशन है या नहीं, आप ऐसा कर रही हैं। सुई चुभाने या नाखून चुभान से भी पता लग सकता है। वह कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाली छात्रा थी। ऐसी लापरवाही से मैं डर कर बच्चे को कलावती सरन अस्पताल ले गया।

मेरी बुराड़ी में टीजीटी पद पर पदोन्नति हुई। बुराड़ी से मैंने शक्ति नगर तबादला कराने की कोशिश की पर कोई पद खाली न था। राजनैतिक दबाव डलवाया। मीठा कुआं के मुख्य अध्यापक ने एक अध्यापक को सरप्लस दिखाया। पद खाली कराया गया। दो-चार दिन बाद अध्यापक की कमी दिखा कर रिक्त स्थान भरने हेतु मुझे तब्दील कर दिया गया। मैं रोज बच्चे को कलावती सरन अस्पताल ले जाता

था। बहुत परेशान था। कभी शेर की, कभी सूअर की चर्बी की मालिश करने का प्रबंध करता था। महीनों निकल गए कोई लाभ नहीं हो रहा था।

मुख्याध्यापक श्री कृष्ण गर्ग एम.एड. करने हेतु मुझे इंचार्ज बनाकर लंबी छुट्टी पर चले गए। मीठा कुआं स्कूल के पास, नगर निगम के जेई का कार्यालय था। वहां सड़क बनने का सामान पड़ा रहता था। एक दिन जेई अपनी लेबर लेकर स्कूल में आया। बिना मुझे कुछ बताए, लेबर को दीवार तोड़ने के लिए कह दिया। मैंने पूछा तो उसने कहा कि मैं यहां अपना दफ्तर बनाऊंगा। मैंने इस संबंध में शिक्षा विभाग से मेरे नाम आदेश लाने को कहा। वह चला गया। अगले दिन जब मैं स्कूल पहुंचा तो दीवार टूटी हुई देखी और मलबा भी गायब था। मैंने पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दी। साथ ही शिक्षा विभाग को भी रिपोर्ट कर दी। मैंने नगर निगम की रेहडी भी, जिस से मलबा उठाया होगा, पकड़ कर स्कूल में रखी ली। नतीजा यह हुआ कि जेई ने माफी मांग ली और दीवार जैसे पहले थी, फिर से बना दी।

हमारे स्कूल की पहली शिफ्ट में नत्थो नाम की जमादारनी काम करती थी। हमारी शिफ्ट में हमारे रजिस्टर में नत्थो के बेटे हरिकिशन का नाम था और काम नत्थो की बेटी कैलाशो करती थी। एक दिन मैं छुट्टी कर के स्कूल बंद करके घर चला गया था। कुछ जरूरी कागज अपने कमरे की मेज पर रख कर छोड़ गया था। जब यह बात याद आई, मैं स्कूल पहुंच गया। चैकीदार बाहर खड़ा था और स्कूल पर ताला लगा था। मैंने दरवाजा खोलने को कहा वह दरवाजा खोलना नहीं चाहता था। बड़ी कठिनाई से दरवाजा खोला। मैंने वहां कैलाशो से मस्ती करते 3 अध्यापक भूप सिंह राठी, कालीराम, दयाराम देखे। उन चारों को वहां से भगाकर मैं घर चला गया। अगले रोज़ मैं सुबह के

समय स्कूल में नत्थो से मिला और कहा कि कैलाशो को प्रथम पाली में काम करने भेजे और स्वयं या हरि किशन हमारी पाली में काम करें। यह मामला तूल पकड़ रहा था। कैलाशो ही हमारी पाली में आती रही। मैंने उसकी हाजिरी न लगाई और वेतन भी नहीं दिया। मेरा कहना था कि मेरा कर्मचारी हरि किशन है। हमारे स्कूल के अलावा वह कहीं और जगह भी कर्मचारी है। मैंने धमकी दी कि उस दफतर में और यहां भी, दो जगह काम नहीं कर सकता। शिक्षा अधिकारी व निगम पार्षद ने भी मेरा पक्ष लिया। कई जमादार इकठा होकर हरि किशन का ही पक्ष ले रह थे। कैलाशो सुबह को ही काम करने लगी। मैंने तीनों अध्यापकों का तबादला करवाने का यत्न किया और उन्होंने मेरा। हम में से कोई सफल न हुआ। फिर मैंने विभाग को लिख कर दिया कि मेरा तबादला कर दिया जाए मगर यह शर्त है कि इस स्कूल से उन तीनों का भी तबादला हो। भूप सिंह राठी, कमिश्नर के एल राठी का रिश्तेदार था और काली राम वॉलीबॉल का अच्छा खिलाड़ी। फिर उन तीनों का आजादपुर के आसपास और मेरा रानी बाग तबादला हो गया। वे अपने-अपने घरों के पास और मुझे काफी दूर। मेरे घर से वहां जाने के लिए दो बसें बदलकऱ कर जाना पड़ता था। मुझे रोज अपने बेटे को कलावती सरन अस्पताल ले जाना पड़ता था। मैं बच्चे को गोद में लेकर शिक्षा अधिकारी डी एल शर्मा से मिलने गया। वहां महिला अध्यापिकाओं की भर्ती हेतु साक्षात्कार चल रहे थे। मुझसे मिलने को मनाही हो गई। मैंने दरवाजे में लात मारी और बच्चे को शिक्षा अधिकारी की मेज पर बिठा दिया। उप-शिक्षा अधिकारी दीन दयाल जी और एक अधिकारी लाल चंद कौल बैठे थे। मुझे समझा रहे थे कि मेरा इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं। मैं गुस्से में था कि इस शिक्षा अधिकारी को मेरी परेशानी व बच्चे की बीमारी का बिल्कुल एहसास

नहीं है। मुझसे शिक्षा अधिकारी ने कहा कि मैं किसी ऐसे अध्यापक से पारस्पारिक तबादला कर लूं जिसके बच्चे की टांग ना मरी हो। मुझे इतना अधिक गुस्सा आया कि मैंने शिक्षा अधिकारी की इस बदतमीजी के लिए अपनी चप्पल निकाल कर उसके सिर पर लगा दी और उसकी मेज से एक कागज उठाकर अपना नौकरी का त्याग पत्र लिखकर दे दिया। सब मुझे समझा रहे थे। सभी मुझे अच्छी प्रकार से जानते थे। शिक्षा अधिकारी ने कहा कि मदन लाल होश में आओ, नौकरी नहीं मिल पाएगी, बच्चे भूखे मर जाएंगे इतना गुस्सा ठीक नहीं होता। मेरा त्याग पत्र उन्होंने फाड़ दिया। मैंने दूसरा लिखा, उन्होंने वह भी फाड़ दिया और कहा कि बेटे जाओ गुस्सा थूको, तुम्हारा तबादला शीध्र कर दूंगा। उस व्यक्ति की बड़ी महानता थी। वह तो देवता तुल्य ही निकले। मैं अपनी गलती मानते हुए उनका चरण छूकर वहां से वापस लौटकर चला गया। हिंदूराव में तबादला हो गया।

सन 1970 में मैं शक्ति नगर बस स्टैंड पर बस की प्रतीक्षा कर रहा था। वहां पर एक जोड़ा पति-पत्नी ही खड़े थे उन्होंने मुझ से हिंदू कॉलेज का पता पूछा। मैंने पूछा कि कौन सा कॉलेज जाना है मौरिस नगर या कश्मीरी गेट। उत्तर में मुझे कहा गया कि मेरी पत्नी की नर्सरी की नौकरी हेतु वहां काम है। मैंने उन्हें रास्ता बताते समय अपनी ओर से कह दिया कि यदि वहां कोई दिक्कत आए तो मुझसे मिल लेना शायद मैं कुछ काम आ जाऊं उन्होंने मेरा पता ले लिया।

शाम को वह दोनों मेरे घर आए। परिचय हुआ तो पता लगा कि पति का नाम भीमसेन था। वे लोग भारत नगर रहते थे। वह आदमी पहलवान था। छाती पर पत्थर रखकर पत्थर तुड़वाना आदि जैसे स्टंट कर के घर की रोजी रोटी चलाता था। उसे मिस्टर पटियाला, मिस्टर पेपसू के टाइटल मिले थे। उसने बताया कि पत्नी को साक्षात्कार में तो

पास कर दिया गया था मगर 33 वर्ष अधिकतम आयु पार करने के कारण नौकरी की हकदार नहीं है। उसकी आयु लगभग 34 वर्ष हो चुकी थी। नौकरी कार्यालय में नाम रजिस्ट्रेशन करवाते समय उसकी आयु 30 वर्ष थी।

उस अवधि में नगर निगम की शिक्षा समिति के अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद जैन थे जो गांधी नगर के निवासी थे। मैंने अपने कुछ परिचितों से जो ज्ञान चंद जी के अच्छे परिचित थे समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करने को कहा। कुछ और महिलाएं जो साल 2 साल अधिक आयु की थी, वे भी कोशिश कर रही थी। समिति में हल निकाला गया और नौकरी की अधिकतम आयु 35 वर्ष कर दी गई। उस महिला की नौकरी लग गई। मैंने फिर उस नियुक्ति श्री दीपचंद बंधु के द्वारा भारत नगर के पास जे जे कॉलोनी के स्कूल में करा दी। वे मुझे अपना बड़ा भाई व गहरा मित्र मानने लगे।

भीमसेन का एक भाई मुंबई में टैक्सी चलाता था। उसने भीमसेन को एक कार दे दी थी। वह उसे टैक्सी के तौर पर चलाने लगा। उसके कुछ साथियों ने उसे एक शाम शराब पिला कर उससे उसकी कार की चाबी ले ली थी। शराब में धुत होने के कारण भीमसेन को साथियों के अड्डे पर ही रहना पड़ा। उसकी कार से कई कारों की स्टेपनी चोरी करके ढोई गई थीं। सराय रोहिल्ला थाना पुलिस ने वह कार जब्त कर ली मगर ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भागने में सफल हो गया था। भीमसेन अपनी कार छुड़ाने और अपने को निर्दोष साबित करने का प्रयास कर रहा था। मैं सराय रोहिल्ला थाना प्रभारी डीडी शर्मा के पुत्र को उनके घर पर पढ़ा रहा था तो भीमसेन व उसकी पत्नी एक वकील को साथ लेकर शर्मा जी से मिलने वहाँ पहुंचे। वकील शर्मा जी की पत्नी को बार-बार भाभी जी कह कर संबोधित करके बातें कर रहा था। शर्मा जी

घर पर नहीं थे। इन लोगों से मैंने पूछ लिया कि क्या मामला है तो उन्होंने मुझे सारी कहानी शर्मा जी की पत्नी के सामने ही सुना डाली। शर्मा जी की पत्नी ने मुझ से पूछा कि आप इनको कैसे जानते हो तो मैंने बता दिया कि इस महिला की नौकरी लगवाने व उसकी नियुक्ति नजदीकी स्कूल में दिलाने में मेरा हाथ है और यह आदमी मेरा गहरा मित्र भी है, बिल्कुल सगे भाई जैसा है।

वे लोग उसी दिन रात्रि में मेरे घर आए और कहा कि जो वकील शर्मा जी के घर हमारे साथ गया था उसने हमें कहा है कि शर्मा जी को मास्टर जी की सिफारिश ज्यादा उपयोगी होगी। इसीलिए अगले दिन भीमसेन के साथ मैं थाना सराय रोहिल्ला गया। शर्मा जी को उनकी पत्नी ने रात को सब बातें बता दी थी। शर्मा जी ने मुझसे कहा कि आमतौर पर वकील बदमाश होते हैं बिना पैसे दिए किसी की सहायता नहीं करते। मैं निस्वार्थ भाव से भीमसेन की सहायता कर रहा था। इसीलिए शर्मा जी ने मेरी मदद की और भीमसेन की कार भीमसेन को कोर्ट से आदेश लेकर वापस दे दी।

मैं हरिद्वार कुंभ मेले में स्काउट मास्टर के तौर पर जन सेवा हेतु गया था। वहां भीमसेन मिला। उसने बताया कि वह यहां काम के लिए आया था पर काम नहीं मिला घर वापस जा रहा हूं यहां न किराया पास है और न ही खाने का पैसा। मैंने कुछ रुपया उसे दिया उसके बाद मुझे कभी नहीं मिला।

3

मैंने शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन में नौकरी ढूंढ ली और 24-10-1965 को त्याग पत्र देकर दिल्ली कैंट में ज्वाइन कर लिया। मैं शक्ति नगर रहता था। कैंट जाने में कठिनाई थी। बच्चे की समस्या थी। मेरी मोरी गेट ग्राउंड में हायर सेकेंडरी स्कूल बल्लीमारान तब्दीली हो गई। कुछ महीने बाद वह स्कूल, मोरी गेट के स्कूल में मर्ज हो गया और मेरी तबदीली सब्जी मंडी स्कूल में कर दी गयी। हमारे स्कूल में परीक्षा चल रही थी। मै स्टाफ सेक्रेट्री था। वहां एक अध्यापक श्री लक्ष्मी नारायण थे। उनका बेटा 11वीं में पढ़ता था। लक्ष्मी नारायण व जगदीश गौड का आपसी कोई झगड़ा था। लक्ष्मी नारायण के बेटे को परीक्षा के समय दो बार जाकर धमकाया और उसको एक थप्पड़ भी मार दिया। लक्ष्मी नारायण रो पड़े, बोले कि यह लोग बार-बार इस तरह की हरकत करेंगे तो मेरे बेटे का दिमाग खराब हो जाएगा। क्या परीक्षा देगा वह लड़का? उसे यह लोग फेल कर के ही रहेंगे।

मैंने उन्हें कहा कि लड़के को फेल करके तुम्हें क्या मिलेगा? वे फिर भी बाज नहीं आए। मैंने अध्यापकों की मीटिंग बुला ली। उसमें एजेंडा नहीं लिखा था। मीटिंग का एजेंडा ना बताने से प्रधानाचार्य नाराज थे। मैंने मीटिंग में यही एजेंडा लिया था। प्रधानाचार्य को कहना पड़ा कि लड़के की कापी किसी अन्य स्कूल के अध्यापक से जांच करवाएंगे। लड़का तो पास हो गया मगर प्रधानाचार्य मेरे विरुद्ध शिकायत कर के ग्रीष्म अवकाश में मेरी तब्दीली पूँठकला करवा लाये। मैं शिक्षा निदेशक श्री बीडी भट्ट से मिला। उन्होंने कहा कि तुम लोग हड़ताल करने जा रहे हो। यदि तुम हड़ताल में शामिल होना चाहोगे तो तब्दीली नहीं रुकेगी।

मैंने कहा कि हड़ताल तो हम लोग करेंगे ही। हमारी 98% हड़ताल थी। इस हड़ताल में नगर निगम, दिल्ली प्रशासन, एनडीएमसी व सभी एसोसिएशन ने भाग लिया था। केवल पब्लिक स्कूलों ने भाग नहीं लिया। जब तक दिल्ली प्रशासन ने मुझे स्थाई नहीं किया था। पहले तो मुझे निलंबित किया। कुछ दिन बाद मुझे तिहाड़ जेल में बंद किया गया था। लगभग 200 अध्यापक जेल गए थे। रोज गिरफ्तारियां हो रही थीं। लगभग 20 दिन हड़ताल चली थी। हड़ताल समाप्त हुई। सभी के सभी आदेश वापस ले लिए गए।

पूठकलां गांव के मुखिया का बेटा पूठकलां स्कूल में नवीं में पढ़ता था। मुझे 8-10 दिन ही तबदील हुए गुजरे थे। परीक्षाएं शुरू हो गई थीं। वह लड़का नकल करने लगा। मैं उस लड़के के पीछे खड़ा था। मैंने उसे नकल करने से मना किया। वह फिर भी ना माना। मैंने उसके थप्पड़ मार दिया। वह शोर मचाते हुए मुझे बेटी की गालियां देने लगा। मैंने उसे एक और थप्पड़ मारा। वह गाली देते हुए, प्रधानाचार्य एम सी सूरी के कमरे में घुस गया। मैंने सूरी साहब के हाथ से डंडा छीन कर 2-4 डंडे उसे लगा दिए। प्रधानाचार्य उसे बचाने में लगे थे। वह लड़का अपना बस्ता लेकर चला गया। परीक्षा समाप्त होते ही स्टाफ मीटिंग हुई। सब अध्यापकों ने कहा कि यह लड़का अक्सर अध्यापकों से बदतमीजी करता है। उस लड़के ने एक अध्यापिका को धमकाते हुए कभी हाथ पकड़ कर उसके हाथ की चूड़ियां तोड़ते हुए कहा था कि मैं तेरी साड़ी उठा दूंगा। सभी स्टाफ पूरी तरह डरा हुआ था। खतरा था कि अगले दिन गांव का मुखिया और अन्य लोग मुझसे लड़ने स्कूल में आएंगे। मेरी कक्षा में एक कल्याणी नामक लड़की पढ़ती थी। घर जाते समय उस लड़की से मैंने पूछा कि बेटा यह लड़का क्या सदा ऐसे ही झगड़े गाली गलौज स्टाफ से करता रहता है? उसने और दूसरी

लड़कियों ने मुझे बताया कि सर यह लड़का हम लड़कियों के सामने दूसरे लड़कों के साथ बदतमीजी करता है। हम लड़कियों के सामने बहुत बुरी-बुरी मां-बहन की गालियां देता है। मैंने पूछा कि क्या तुमने कभी अपने माता पिता को बताई? उनका उत्तर न में था। मैंने उनसे कहा कि आज अपने घरों में अवश्य इस लड़के की हरकतों के विषय में अवश्य अपने माता पिता को बताएं।

अगले दिन कुछ लोगों के साथ उस लड़के का पिता स्कूल आया। उसने पूछा कि मेरे लड़के को गुप्ता जी ने क्यों मारा? मैंने उस लड़के के द्वारा मुझसे व अन्य अध्यापकों से की गई बदतमीजी और अध्यापिका की चूड़ी तोड़ने की बात उन व्यक्तियों से कही। मैंने उनसे कहा कि पूरा स्टाफ 15-20 किलोमीटर दूरी से यहां आते हैं, सभी स्कूल समय पर पहुंचते हैं और आपके बेटे-बेटियों को ही मेहनत से पढ़ाते हैं। ग्रामीण होने के कारण आप लोगों के बच्चों की भलाई हेतु बहुत ही मेहनत करते हैं। हम यहां गाली खाने के लिए तो नहीं आते। किसी लेडी की चूड़ी तोड़ना व साड़ी उठाने की धमकी देना, क्या उचित है? क्या हम लोग उस लड़के के माता-पिता समान नहीं होते? क्या मेरी बेटी तुम्हारे बेटे की बहन नहीं है? क्या यहां पढ़ने वाली लड़कियां इनकी बहनें नहीं हैं जो यह उनके सामने गंदी-गंदी गाली बकता है। मेरी बेटी क्या आपकी बेटी नहीं है? इतनी गंदी गाली कौन बर्दाश्त करेगा? वे शांत हो गए और चले गए। फिर उस लड़के का चाचा आया जो एक अध्यापक भी था। उसने मुझे वहाँ देखकर नमस्ते कर के मेरा हालचाल पूछा। बच्चों का हालचाल पूछा। यह भी पूछा कि आप यहां कब आए? उसने मुझ से पूछा कि किसी अध्यापक का इस लड़के से कल काफी झगड़ा हुआ है। मैंने उसे बताया कि कल इस लड़के का झगड़ा मुझसे ही हुआ है। इसने मुझे गाली दी थी। मेरा इतना ही कहना था कि उसने उस

लड़के को पीटना शुरू कर दिया। वह व्यक्ति जो लड़के का चाचा था, आजाद पुर स्कूल में अध्यापक था। मेरी बहुत इज्जत करता था। हम उस लड़के का नाम भी स्कूल से काट चुके थे। वह बहुत शर्मसार था। उसने लड़के को पुनः दाखिल करने की प्रार्थना की। मैंने उससे एक शर्त रखी कि यह लड़का लेडी टीचर से पूरे हफ्ते, प्रार्थना के समय, सभी छात्र-छात्राओं के सामने, अध्यापिका के चरणों को छूकर माफी मांगेगा। शर्त मान ली गई। उसके बाद लड़के को दाखिल कर लिया गया।

1970 में मैं आदर्श नगर में कार्यरत था। वहाँ रसायन शास्त्र के पीजीटी हरीकिशन लाल कथूरिया थे। उन्होंने कुछ लड़कों से ट्यूशन पढ़ने हेतु कुछ बच्चों से एडवांस रुपया ले लिया था मगर उन्हें एक-दो दिन ही पढ़ाया। बच्चों के घरवालों ने उन्हें घेरने की कोशिश की थी। 8-10 दिन मिस्टर कथूरिया मेरे घर मेरे साथ ही रहे और स्कूल मेरे साथ ही जाते थे और मेरे साथ ही आते थे। मैं उस मामले को सुलझाने में कामयाब रहा। दो अभिभावकों से मेरी बात हुई थी। बच्चों को रोज पढ़ाने की शर्त पर फैसला हुआ था। यदि उनको ठीक तरह न पढ़ाया जाता तो शायद कई छात्र फेल हो जाते। अध्यापक को अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए। यहां पैसे या किसी और प्रकार की मामूली ही हानि ना होनी थी यहाँ तो कुछ बच्चों की जिंदगी व कैरियर की हानि थी।

उस वर्ष आठवीं परीक्षा के लिए बोर्ड बना था। परीक्षा मार्च में हुई थी। मैं गणित में परीक्षक बना था। एक दिन अलीपुर गांव का एक निवासी गुलाब सिंह मेरे घर एक लड़के अनिल कुमार और उसके पिता के साथ स्टेट बैंक कॉलोनी में आया। वह अध्यापक था। मेरे साथ 1968 की हड़ताल में तिहाड़ जेल में रहा था। मैं उसका इसी कारण

बड़ा आदर करता था। उसने मुझे बताया कि साथ आए छात्र की गणित की परीक्षा की कॉपी मेरे पास जांचने हेतु आई हुई है। उसका बदला हुआ रोल नंबर भी उसने मुझे बताया। गुलाब सिंह का भाई रोल नंबर बदलने वाले विभाग में क्लर्क था। गुलाब सिंह ने मुझसे उस लड़के की कॉपी में लड़के से कुछ प्रश्न हल करवाकर 40-45 अंक दिलवाने को कह रहा था। मैंने मना कर दिया। पत्नी ने उनके लिए चाय बनाई थी, उसने चाय भी न पी और मुझसे लड़ने लगा। झगड़ा बढ़ गया और उसे मैंने घर से धक्के देकर चलता किया। कुछ लोग इकट्ठे हो गए थे।

तीन-चार दिन बाद मेरे स्कूल में शिक्षाधिकारी बीके अग्रवाल आए और मुझसे कहा कि तुम अलीपुर गांव गए थे और बहुत से छात्रों से मिल कर उनके नंबर बढ़ाने के लिए रुपए लिए हैं। मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास गुलाब सिंह एक लड़के को लेकर आया था। उससे झगड़ा हो गया था। इसलिए मेरे विरुद्ध की शिकायत की गई है। लेकिन इसके तीन चार दिन बाद ही मेरे निलंबन के आदेश आ गए।

आदेश के बाद चार्जशीट मिली। चार्ज था कि मैं कॉपी का बंडल लेकर अलीपुर के छात्रों से मिला, उनकी कॉपियों में पैसे लेकर अंक बढ़ाए हैं। यह चार्ज भी था कि यदि किसी छात्र को नंबर बढ़वाने के लिए मुझसे मिलना हो तो वह मुझे रूप नगर थाना अध्यक्ष के घर पर 6-7 बजे शाम को फोन पर संपर्क करें। दो फोन नंबर भी दिए गए थे कि मैं वहां थानाध्यक्ष के बेटे को पढ़ाने रोज जाता हूं। मुझ पर दीपचंद बंधु का कर्जा भी बताया गया था जिसे चुकाने हेतु मैं नंबर बढ़ा-बढ़ा कर रुपए इकट्ठे कर रहा हूं। श्री केडी गुप्ता संयुक्त निदेशक थे, मैं उनसे मिला। उन्होंने मुझे बहाल तो कर दिया मगर जांच जारी रखी। मैंने गुप्ता जी से प्रार्थना की कि मुझे शक्ति नगर प्रोढ़ शिक्षा विद्यालय में तब्दील कर दें। मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई थी।

जांच अधिकारी श्री वीपी सिंह शिक्षा अधिकारी को नियुक्त किया गया था। उन्होंने अनिल के पिता को बुलाया। वह उनके सामने कभी बयान देने नहीं आया। थानाध्यक्ष का बयान था कि उनका बेटा कुल 2 वर्ष का है जो पढ़ने योग्य नहीं है और न ही फोन उठाकर बातें करने योग्य। फोन भी दो नहीं केवल एक ही है जो थाने में लगा है। घर पर उसका कनेक्शन नहीं है। साथ में उन्होंने बयान में लिखा कि मैं कानून का रक्षक हूं ना कि कानून तोड़ने वाला। सिंह साहब के सामने मेरे दो पड़ोसी भी मेरे हक में गवाही देकर गए थे। दीपचंद बंधु जी ने बयान दिए कि उनका मुझ पर कोई कर्ज नहीं है और न ही मैं नगर निगम की ग्रामीण कमेटी का अध्यक्ष हूं। मैं उनके छोटे भाई की तरह हूँ, अध्यापकों की सेवा करता रहता हूँ और समाजसेवी भी हूँ जो ऐसा काम नहीं कर सकता। सिंह साहब ने रिपोर्ट में लिखा कि बीके अग्रवाल ने अपनी रिपोर्ट पूरी तरह झूठी पेश की है उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही होनी चाहिए और मुझे पूरे लाभ देने की भी सिफारिश की गई।

जब मैं 1958 में कटड़ा ब़िडयान स्कूल में था तो एक लाला गंगा राम अग्रवाल हमारे स्कूल में आया। उसका बच्चा दाखिल होना था। कुछ कठिनता थी। मेरे जोर देने पर उसे मेरे सेक्शन में दाखिल कर लिया गया। लाला जी ने मुझसे ट्यूशन पढ़ाने की प्रार्थना की थी। मैंने स्वयं पढ़ाने के लिए मना कर दिया था और मुख्याध्यापक को वह ट्यूशन करा दिया था। 1959 में मैं शक्ति नगर रहा था, कमला नगर स्कूल में काम कर रहा था। लाला गंगा राम अपना मकान शक्ति नगर में बना रहे थे। मैंने लाला जी से बात की कि क्या उस मकान में मुझे एक कमरा, किराए पर मिलने की गुंजाइश है? उन्होंने मुझे पहचान लिया और काफी सम्मान दिया। पत्नी मेरे साथ थी। लाला जी ने एक

बरसाती बनवाई थी। मुझे बताया कि वह बरसाती उन्होंने अपने नौकर के लिए बनवाई है, उसे न देकर मुझे दे देंगें। दो दिन बाद लाला जी मेरे फ्लैट में आए। मेरा सामान थोड़ा ही था। सारा सामान उठवा कर बरसाती में रखवा दिया। मुझे ना किराया बताया, ना बिजली-पानी का खर्च। मैं वहां रहने लगा। कई महीने बाद मैं किराया तय करने में सफल रहा। कुल ₹40 महावार, बिजली पानी का कुछ नहीं। मैं उनकी शराफत का कायल था। उन्हें सगे बड़े भाई की तरह मानने लगा। उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि तुम्हारे साथी मास्टर स्वरूप सिंह कटरा ईश्वर, खारी बावली में रहते हैं। 25-30 वर्ष हो गए हैं हमने उनसे कभी किराया नहीं लिया, यदि तुमसे भी नहीं लेंगें, तो क्या फर्क पड़ता है? आपने मेरे बच्चों को शिक्षा दी। मुझे बच्चों को ट्यूशन का भी मना कर दिया। आप में लालच नही है। बच्चों को कक्षा में मेहनत से पढाया। मैं आप का एहसान मंद हूं। अध्यापक बच्चों को ट्यूशन करने के लिए मजबूर करते हैं। अजीब हथकंडे अपनाते हैं। मैंने अपना सामान उठाकर ले जाने की धमकी दी, तब कहीं वह बड़ी कठिनता से ₹40 लेने पर राजी हुए थे।

उसी मकान में एक दो कमरों के फ्लैट में एक देशबंधु अग्रवाल नामक वैज्ञानिक तिमारपुर में डिफेंस लेबोरेटरी में अधिकारी थे। उनकी पत्नी का स्वभाव सास व देवर के साथ कुछ अनुकूल ना था। वे लोग, मुझे और मेरी पत्नी को, उसकी बदतमीजीयों की बातें बताते रहते थे। मैंने अग्रवाल की पत्नी को कभी-कभी उसकी गलत बात पर टोका-टाकी शुरू कर दी थी। उसकी सास और देवर दोनो उससे तंग आकर वहाँ से चले गए थे। एक दिन वह मुझ पर थूक कर चली गई थी। लाला जी वहां आए तो उन्होंने कहा कि मैं उसे छेड़ता हूं। लाला जी को गुस्सा आना स्वाभाविक था। 26 दिसंबर 1966 की शाम 5:00

बजे का समय था। उन्होंने मुझे कमरे के बाहर खींचना शुरू कर दिया। मुझे दो थप्पड़ भी मारे और गाली गलौज भी की। मुझे तेज बुखार था। मुझसे किसी भी तरह की कोई बात नहीं बताई थी। अग्रवाल, लाला जी और दो व्यक्ति और, चारों ने मिलकर मुझे छत से लटका दिया। सेकंड फ्लोर था। यदि मैं गिर जाता तो मौत भी हो सकती थी। स्थिति ऐसी बन गई थी कि यदि मैं गिरता तो एक आदमी भी मेरे साथ नीचे गिरता इसीलिए उन लोगों को मुझे ऊपर खींचना पड़ा। वे मुझ से हातापाई करने लगे। मेरी पीठ पर किसी ने चार-पांच बार दातों से काटा। मेरा एक दांत भी हिल गया था। एफआईआर हुई, मगर पुलिस ने कोई खास केस न बनाया। मुझे लटका कर मारने की कोशिश आदि के बारे में कुछ नहीं था। डॉक्टरी भी पुरानी पुलिस लाइन में हुई थी। डॉ. खोसला न्यू पुलिस लाइन में तैनात थे। मैं और मेरे बच्चों का वह इलाज करते थे। डॉ. खोसला ने मुझसे कहा कि डॉक्टरी की रिपोर्ट कल दूंगा और तुम यदि अपने पक्ष में रिपोर्ट चाहते हो तो ₹500 सुबह पहुंचा देना। मेरा 2 महीने का वेतन लगभग ₹500 था। घर में पैसा ना था। रात को अपने एक साथी चौधरी हरस्वरूप से ₹500 उधार लिए। सुबह मैं और पत्नी, डॉक्टर के घर न्यू पुलिस लाइन पहुंचे। डॉ. खोसला सोए हुए थे। मैंने उनके सामने ₹500 मेज पर रख दिए। जैसे ही डॉक्टर साहब ने उठाने के लिए हाथ बढाया, मैंने कहा, डॉक्टर साहब उठाने से पहले आंखों में झांक कर देखिए मेरी आंखों में अब खून के आंसू बह रहे हैं। डॉक्टर ने रुपए नहीं लिए और मुझसे वादा किया कि वह बिल्कुल ठीक-ठाक रिपोर्ट बनाएंगे। मैंने अगले दिन एक शिकायत एसडीएम की कोर्ट में डाल दी थी। दो दिन बाद बुधवार को राज्यपाल के दरबार में पेश हुआ और सब कपड़े उतार कर कमर पर दाँतो के काटने के निशान और शरीर से बाहर हुआ खून के निशान

दिखाए। उप राज्यपाल महोदय ने कहा कि गलती तुम्हारी भी तो हो सकती है। मैंने कहा कि सर नहीं कदापि नहीं, पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है, लाला गंगा राम से मोटी रिश्वत खाई गई है। पुलिस का डॉक्टर ₹500 रिश्वत मांग रहा है, थाने वाले भी रिश्वत खा गए, कोई केस नहीं बनाया। मैं एक अध्यापक हूं मैं ऐसे पेशे से संबंध रखता हूं जिसने सभी को, आपको, राष्ट्रपति जी को पढ़ाया है। सभी को दुनिया में अध्यापक ने ही पढ़ाया है। हम किसी को झूठ बोलना, रिश्वत लेना आदि गलत काम करने का तो क्या, सोचने को भी नहीं कहते। मुझे उप राज्यपाल महोदय ने न्याय का भरोसा दिया। उसी शाम को इलाका मजिस्ट्रेट मेरे घर जांच करने पहुंचे। मुझे उन्होंने समझाया कि मुकदमेबाजी से नई-नई मुकदमों की शाखाएं निकलती है। मेरे ऊपर 12 मुकदमे बने। मुझे रोज रोज बिना वेतन भी छुट्टी लेनी पड़ी। वकीलों को भी पैसे देने पड़े परंतु ईश्वर ने मुझ पर एक बड़ी कृपा की थी कि हर एक मुकदमे में मुझे केवल ₹55 ही फीस के देनी पड़ी थी। कमला नगर में एक 75 वर्षीय श्री आर सी खन्ना नामक वकील थे।

मुझ पर लाला गंगा राम ने एक झूठी एफआईआर एक आदमी से कारवाई कि वह रात्रि को 11:00 बजे रेलवे स्टेशन के सामने कंपनी बाग में बैठा था। वहां से यह आदमी मदन लाल गुप्ता अध्यापक मेरे सामने से गुजर रहा था जिसने मुझे चाकू मारा। दो गवाह भी दिए गए थे। इस एफआईआर के बाद पुलिस रात्रि के 2:00 बजे के करीब मेरे घर आई और मुझे उठाकर थाने ले गई। पत्नी के पूछने पर भी नहीं बताया कि कहां ले जा रही है पत्नी रूप नगर थाने गई जहां उसे बताया गया कि हम तुम्हारे पति को नहीं लाए तो फिर वे कहां गए? एक प्रश्न पत्नी ने उठाया और कहा कि मेरे पति को हो सकता है कि लाला गंगाराम ने गुंडों को भेजकर उठवा लिया है और कहीं पे मरवा दिया

है। तब पुलिस ने गंगा राम पर दबाव डाला तो उसने बताया कि लाहोरी गेट पुलिस उठाकर ले गई है। धारा 324 आईपीसी के अंतर्गत केस दर्ज किया गया था। जमानत लेनी पड़ी।

इस घटना के बाद हिंदी प्रिंटिंग प्रेस के मालिक श्याम सुंदर गर्ग मेरी सहायता पर आगे आए। वे मुझे कई मजिस्ट्रेटों, आईजी लीला सिंह बिष्ट, डिप्टी कमिश्नर बीएन टंडन व उपराज्यपाल से मुझे मिलवाकर लाए। एडीएम श्री सोहन लाल ने मेरी बहुत मदद की।

एक दिन कुछ गुंडों को लेकर गंगा राम मेरे घर के पास गली में खड़ा हो गया। जब मैं आया तो घर में घुसने से पहले गली में लोगों ने पकड़ लिया और मेरे सिर पर लाठियां बरसा डालीं। मेरे दो बच्चों ने छत पर से ही उन लोगों पर छत पर रखी कुछ ईट मारनी शुरू कर दी। उन्होंने परवाह नहीं की कि ईंट मुझ पर भी गिर सकती थी। फिर वे लोग वहां से भाग गए। गंगा राम धोती पहनता था। उसकी धोती खुल गई थी, मैं चोट खाकर सड़क पर बेहोश हो कर गिर गया था। मेरा ससुराल पास ही था। पुलिस आई, मेरी डॉक्टरी हुई, पुलिस ने 107/151 धारा में हम दोनों पार्टियों के मुचलके कर दिए। अगले दिन श्री सोहन लाल अरोड़ा एडीएम की कोर्ट में जमानत होनी थी। मुझे काफी चोटें आई हुई थी मैं कोर्ट से बार-बार प्रार्थना कर रहा था कि हमारा केस शीघ्र ले लिया जाए। लंच में उन्होंने कहा कि मैं जल्दी ना करूं। लगभग शाम 4:30 बजे मेरे केस की सुनवाई हुई मेरे जमानत के कागजों की जांच की गई और लगभग 15 मिनट के बाद जमानत देकर कोर्ट ने मुझे वहां से जाने का आदेश दिया। गंगाराम व तीन व्यक्ति और थे जिनसे कोर्ट ने दो-दो जमानती देने को कहा। उनके वकीलों ने एक-एक जमानती के ही कागज तैयार किए थे। शुक्रवार का दिन था। अरोड़ा साहब ने कहा कि मैंने एमएल गुप्ता से भी दो जमानती लिए हैं

जबकि उसको काफी चोटें आई हैं इसीलिए मुझे आपसे 8 जमानती चाहिए। उन्होंने कहा कि वे चार जमानतियों से दो आरोपियों के लिए जमानत ले लें। थोड़ी देर में वे दो व्यक्तियों के जमानत हेतु कागज तैयार कर देते हैं। अरोड़ा साहब ने उन्हें घड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा कि 5:00 से ऊपर समय हो गया है, मैं जा रहा हूं। अगले दो दिन शनिवार और रविवार था। उन चारों को तिहाड़ जेल में तीन रात काटनी पड़ी।

सोमवार को उनकी जमानत हुई मगर कोर्ट से जो कागज तैयार हुए थे उनमें गंगा राम की जगह गंगा दास, इसी तरह नाम या पतों में छोटी-छोटी कुछ गलतियाँ कोर्ट में की गई। जमानत के कागज तिहाड़ जेल गए। कमियों के कारण उस दिन भी किसी को भी जेल से नहीं छोड़ा गया। मंगलवार को जमानत हुई मैं तारीख पर कोर्ट में गया। अरोड़ा साहब ने मुझे अपने चैंबर में बुलाकर बताया कि तुम्हें लाहौरी गेट थाने में गंगा राम ने चार-पांच घंटे तक हिरासत में रखवाया था। मैंने इन चार लोगों को चार रात तिहाड़ में रखवा दिया है। मुझे इतनी खुशी हुई जो बयान नहीं की जा सकती थी।

उपरोक्त झगड़े से पहले लाला गंगा राम सितंबर 1966 में एक दिन मेरे पास आए थे। उनके हाथ में किराया वसूली की रसीद बुक थी। उस घर में किराये दारों से किराया लेने आए थे। मैंने उस दिन अपने लिए भी रसीद मांगी। पहले कभी कोई रसीद न थी। लाला जी ने अगस्त 1966 तक की रसीद काट दी। मैंने एक पुरानी रसीद 1963 की मांगी। उन्होंने नवंबर तथा दिसंबर 1966 की रसीद दे दी। फिर उसे वापस लेकर 1966 का अंतिम 6 काटकर 3 लिख दिया दिसंबर 1966 में झगड़ा आरंभ हो गया था। मई 1967 में लालाजी ने मुझ पर सितंबर 1966 से अप्रैल 1967 तक ₹320 किराए का केस कोर्ट में

डाला। मैंने लाला जी से कहा कि मैं सितंबर व अक्टूबर का किराया तो दे चुका हूं। 6 महीने का किराया मुझ से ले लो। उन्होंने कहा कि 8 महीनों का ही लूँगा। मैंने कहा कि मैं जनवरी 67 से अप्रैल 67 तक का ही किराया दूंगा। मैंने कोर्ट में नवंबर तथा दिसंबर 1966 वाली रसीद पेश करके कहा कि मैं दिसंबर 66 तक किराया दे चुका हूं। मूँछों का प्रश्न पैदा हो गया। लाला जी ने वह रसीद जाली बता डाली। हम दोनों ने हस्तलेख विशेषज्ञ पेश किए। कोर्ट ने मुझे कई बार कहा कि चार माह का किराया जमा कर दो, हो सकता है कि जेल जाना पड़ जाए। रसीद कहीं जाली सिद्ध न हो जाए। बाद में केस मेरे पक्ष में आया। कोर्ट ने फरवरी 68 में मुझे अप-टू-डेट किराया जमा करने का आदेश दिया अर्थात सितंबर 66 से फरवरी 68 तक। लाला जी मुझ पर जालसाजी का मुकदमा भी बनाना चाहते थे। जबतक इस बात का फैसला नहीं हुआ था कि क्या मुझे सितंबर 66 से दिसंबर 66 का भी किराया देना है या नहीं। मैंने 4 माह कम करके 13 माह का जमा कर दिया था। उस जज ने मुझे मकान खाली करने का आदेश दिया जो मैंने नहीं माना। मैंने आदेश पढ़ा ही नहीं था। वैसे ही सोच था कि 4 महीने का कम करके ही जमा कराने का आदेश हुआ होगा। मैंने किराया नियंत्रक की कोर्ट में केस की अपील की। श्री मोहन लाल जैन जज थे। हमारे वकील जब बहस के लिए खड़े हुए तो उन्हे लाला जी के तीन वरिष्ठ वकीलों का सामना करना पड़ा। जज साहेब ने लाइब्रेरी से एक किताब मँगवाई और लाला जी के वकीलों को उच्चतम न्यायालय का एक फैसला पढ़वाया जिसमें लिखा था कि जितने रुपये का कोर्ट में नोटिस देकर केस किया जाता है उससे अधिक कोई डिक्री नहीं हो सकती। केस 8 माह के किराये का था। मैंने 13 माह का किराया जमा किया था। अतः मकान खाली नहीं हो सकता। अच्छे जज ने मुझ

गरीब को बचा लिया।

इस घटना के बाद मैंने इस घर पर ताला डाल दिया और उसे घड़िया के सट्टे वालों को दे दिया। लाला गंगा राम ने अंबा सिनेमा सब्जी मंडी घंटा घर के गुंडे बनारसी बौड़म को मुझे खत्म करने की सुपारी दे दी। मैं शक्ति नगर में रह रहा था और मेरे पास प्रेम नगर नं-1 में प्रीतम सिंह रहते थे जिनकी पत्नी बनारसी बौड़म को भाई मानती थी, मैं उन्हें चाची कहा करता था। एक दिन मुझे सुपारी देने का पता लगा तो रात्रि का शो खत्म होने से कुछ देर पहले अंबा सिनेमा के लॉन में जा बैठा। शो समाप्त हुआ, सभी दर्शक लगभग जा चुके थे। मेरे पास एक कर्मचारी आया कहने लगा कि यहां क्यों बैठे हो घर जाओ। मैंने कहा कि भैया शो देखने आया हूं। उत्तर था, शो अब और नहीं होगा। मैंने कहा भैया मुझे शो देखना है, नहीं दिखाओगे तो मैं तुम लोगों को शो दिखाऊंगा। तुम्हारा बड़ा बनारसी बौड़म कहां है। शोर सुनकर बनारसी वहां आ गया। उसको मैंने कहा कि मामा तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम अपने भांजे अर्थात मुझे मारने की सुपारी ले बैठे हो। पीतम सिंह मेरे चाचा हैं। बनारसी ने उस दिन मुझे कहा कि भविष्य में वह सदैव हर प्रकार से मेरी मदद करेगा।

मैं उन दिनों कुतुब रोड में कार्यरत था। मुझे पता लगा कि गंगा राम ने वेसटेंड सिनेमा, बारह टूटी के बदमाश ओमी पहलवान को मुझे समाप्त करने की सुपारी दी है। वह बारह टूटी के पास पहाड़ी धीरज का निवासी था। मैं 10 बजे रात्रि उसके घर पहुंचा। ओमी पहलवान के पोते ने दरवाजा खोला। वह लड़का मेरे स्कूल में आठवीं का छात्र था। उसने मेरा घर के सभी लोगों से परिचय कराया, मेरे लिए चाय बनाई पूछा कि किसलिए आए हो। मैंने पहलवान द्वारा सुपारी लेने की बात की। तब तक ओमी पहलवान भी आ गया। उससे उसके पोते ने मेरा

परिचय देते हुए उसे बताया कि सर मुझे गणित पढ़ाते हैं और फिर सभी घरवालों ने ओमी को जलील किया। उसने मुझसे माफी मांगी।

रूप नगर थानाध्यक्ष श्री केआर दत्त ने जो गीतकार आनंद बक्शी के बहनोई थे, गंगा राम से माफी मंगवाई। मैंने घर की चाबी गंगा राम को दे दी। सभी के सामने एक दूसरे के खिलाफ केस हमने वापस ले लिए। दत्त साहब ने मुझसे पूछा था कि मकान खाली करने के लिए तुमको कितना रुपया चाहिए। मैंने उनसे कहा कि मुझे केवल लाला जी से माफी मंगवानी है उन्होंने मुझ पर काफी एहसान किया है, कोई गलतफहमी लाला जी को अग्रवाल (दूसरे किरायेदार) की पत्नी ने पैदा कर दी थी। श्रीमती अग्रवाल ने लाला जी को कहा था कि मैं उस पर बुरी नजर रखता हूं। उस दिन लाला जी ने सच्चे ह्रदय से मुझ से माफी मांगी थी। केआर दत्त थाना प्रभारी पर मेरा इतना अच्छा असर पड़ा कि उनकी बेटी को कुछ दिन पढ़ाने के लिए मुझे ट्यूटर रखा गया। वह पांचवी में पढ़ रही थी। दत्त साहब के सामने के फ्लैट में थाना सराय रोहिल्ला थाना प्रभारी डीडी शर्मा रहते थे, उनके दो बच्चे थे। मुझे उनके बच्चे भी कुछ दिन पढ़ाने पड़े। उन दोनों से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मेरी माली हालत मुकदमा आदि के कारण बहुत खराब हो चुकी थी। मेरे 5 बच्चे थे, गुजारा नहीं चल पा रहा था। शर्मा जी व दत साहब दोनों ने रुपए देकर अपने बच्चे पढ़वाए थे।

1966-1967 में मेरे भाई ने प्रेम नगर में दूध की डेरी की दुकान खोली थी मैं उनकी सहायता करता था। प्रेम नगर में एक बिजली कर्मचारी मोहन लाल भाटिया नामक रहता था। उससे हम लोगों ने दुकान के लिए एक कमरा ₹40 किराए पर लिया था। भाटिया के घर में बराबर में एक बदमाश किशन पहलवान रहता था। भाटिया के मकान मालिक वकील ने किशन पहलवान को भाटिया को मारने की

सुपारी दी। एक दिन भाटिया घर पर ना था। लगभग 8:00 बजे शाम का समय था। किशन पहलवान ने भाटिया की पत्नी को गालियां बकनी शुरू कर दी, उसको दो चार थप्पड़ भी लगाए। इतनी देर में भाटिया भी आ गया। उसके कारण काफी भीड़ हो गई। मैं भी वहां पहुंच गया। किशन पहलवान ने चाकू निकाल लिया। मैंने सोचा कि किशन पहलवान मेरी शर्म करेगा, मैंने उसे ऐसा न करने की गुजारिश की मगर उसने भाटिया को चाकू मार दिया और मुझे थप्पड़। भाटिया के बाजू में चाकू हल्का सा लगा था। उसी गली में मेरी मौसी भी रहती थी। उनका एक बेटा जवान भी था और बदमाश भी, नाम था सोमदत्त। सोमदत्त भी वहाँ खड़ा था। उसने जब देखा कि किशन ने मुझे भी बीच-बचाव करने के कारण थप्पड़ मारा है तो सोमदत्त आग बबूला हो गया और उसने किशन पर लात-घूंसे बजा डाले और भागकर अपने घर में एक तलवार निकालकर लाया और किशन की तरफ दौड़ा। किशन इतना डर गया कि वह भागने लगा और उसके पीछे मेरा मौसेरा भाई। पुलिस बुलाई गई, धारा 324 आईपीसी में मुकदमा दर्ज हुआ। किशन पहलवान के खिलाफ कभी भी किसी ने कोई गवाही ना दी थी। इस केस में पुलिस ने भाटिया और मुझे गवाह बनाया। किशन को ढाई माह की सजा हुई थी। थाना प्रभारी केआर दत्त मेरी बहुत ही इज्जत करने लगे थे।

एक घटना और ऐसी हुई जिसमें दत्त साहब ने मेरी बहुत मदद की। एक मेरे मित्र की भांजी शक्ति नगर में स्कूल नंबर-1 में 11वीं में पढ़ती थी उसके पिता लक्ष्मी नारायण भी वहीं नागिया पार्क में 29 ब्लॉक में रहते थे। लक्ष्मी नारायण वाले घर के दरवाजे के पास एक महिला प्रेस करने का काम करती थी। वह शक्ति नगर-1 स्कूल की प्रिंसिपल की जेठानी थी और उसका एक नालायक बेटा था जो पांचवी पास ही था।

लक्ष्मी नारायण की लड़की उस नालायक लड़के के साथ भाग गई थी। घर से बसता लेकर स्कूल जाने के बहाने निकली और 9:00 बजे तक वापस न आई तो उन्होंने पुलिस के पास जाने की सोची।

लक्ष्मी नारायण ने मुझे किस्सा बताया। हम लोग थाना रूप नगर गए, वहां दत्त साहब तो कहीं गए हुए थे उनकी पत्नी ने दो सब इंस्पेक्टर को लड़की की तलाश में मेरी सहायता करने को कहा। दो टीम बनी, एक टीम अगले दिन मुझे आगरा ले गई थी। वहां 3 दिन तक कुछ पता ना चला। मेरे स्कूल में अफवाह फैल गई थी कि मेरी भांजी किसी लड़के के साथ भाग गई। काफी बदनामी उठानी पड़ी थी। कुछ दिन बाद दत्त साहब ने मुझे बुलाया और बताया कि तुम्हारी भांजी उस लड़के के गांव राजपुरा में मिल गई है। उसे मैं नारी निकेतन भेजने के बजाय अपने घर में ही रात को रखूंगा और कल सीधे घर से कोर्ट में पेश कर दूंगा। रात को लड़की को समझाएंगे। लड़की अभी तो यही कह रही थी कि वह उस लड़के से शादी करेगी। लड़की के मां-बाप व मेरे मित्र ने भी दत्त साहब के घर पर काफी समझाया लेकिन लड़की जिद पर अड़ी थी। अगले रोज कोर्ट में भी वह जिद पर अड़ी थी। लंच हो गया, दत्त साहब कोर्ट में मुझे साथ लेकर मैजिस्ट्रेट से मिले। दत्त साहब ने कोर्ट को बताया कि मैं उनके बच्चों का टीचर हूं, यह लड़की मेरी भांजी है, यदि लड़की उस लड़के से शादी की जिद पर अड़ी रही तो मास्टर जी की काफी बदनामी होगी और वे सारे जीवन इस लड़की के कारण दुखी रहेंगे जो उन्हें असहनीय है।

लंच के बाद फिर लड़की की पेशी हुई। मजिस्ट्रेट साहब ने उस लड़की को अपने चेंबर में ले जाकर अकेले में पता नहीं क्या कहा था कि लड़की ने कोर्ट में अपने मां बाप के साथ जाने की प्रार्थना की। वह मां-बाप के साथ घर आ गई और अगले दिन मां बाप के साथ

गाजियाबाद चली गई जहां 8 दिन में उसकी शादी हो गई। लक्ष्मी नारायण नगर निगम में सिविल कार्य, सड़क आदि बनाने के ठेकेदार थे। अमीर व्यक्ति थे जब कि वह लड़का एक चोर उचक्का था, बिना पढ़ा लिखा, फिर भी लड़की उस पर आसक्त थी, आखिर क्यों? उन परिस्थितियों को जन्म नहीं देना चाहिए जिनके कारण वह लड़की ऐसा व्यवहार कर रही थी। अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती है। मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं ऐसी हरकतों के पीछे अभिभावकों की भूमिका में कुछ कमी रह जाती है।

1969 की यह बात है। एक रात्रि को लगभग 9-10 बजे मैं शक्ति नगर के बस स्टैंड पर एक डीटीसी बस से जो भारत नगर जे जे कॉलोनी हो जा रही थी नीचे उतर रहा था। नीचे स्टैंड पर जोड़ा खड़ा था जो बस में चढ़ना चाहता था। काफी भीड़ थी, पुरुष तो बस में चढ़ गया मगर महिला ना चढ़ सकी। कंडक्टर ने डबल घंटी बजा दी। बस में पुरुष ने और नीचे महिला ने शोर मचाया। उनकी मदद हेतु मैंने बस में चढ़ना उचित समझा। उस पुरुष ने एक घंटी बजाई ताकि बस रुक जाए और वह बस से उतर जाए। मैंने भी कंडक्टर को बस रोकने पर जोर दिया मगर कंडक्टर ने दो घंटी बजाई। मैं भी उस पुरुष के साथ-साथ कंडक्टर से झगड़ा कर रहा था। मैं नागिया पार्क के बस स्टैन्ड पर उतरना चाहता था मगर कंडक्टर ने उस पुरुष से चिढ़ के कारण बस की बार-बार दो घंटियाँ बजाईं। नागिया पार्क के दूसरे स्टैन्ड पर भी बस को न रुकने दिया। कुछ दूरी पर रेलवे फाटक है जो बंद था। बस रुकी मगर पुरुष को ना उतरने दिया। मैं बस से उतर कर ड्राइवर के पास पहुंचा और उससे कहा कि भाई यह क्या बदतमीजी है। उसका उत्तर था कि मैं कंडक्टर की मर्जी से काम करता हूं। मैंने उससे बस को थाने चलने को कहा। वह बोला ठीक है फाटक पार कर के थाना सराय

रोहिल्ला बस को ले चलूंगा। मैंने उसे रूप नगर थाना चलने को कहा क्यूंकि झगड़ा शक्ति नगर का था। मैं दोनों थाने के प्रभारियों के बच्चे उन दिनों पढ़ा रहा था, इसलिए दोनों थानों में उस जोड़े की सहायता कर सकता था। फाटक खुलने पर बस चली मगर वह सीधी सराय रोहिल्ला की ओर चलने की बजाय जे जे कॉलोनी की ओर मुड़ी और स्टैंड पर सवारी उतारने लगी। यहां जैसे तैसे वह पुरुष बस से उतर पाया। मगर कंडक्टर ने नीचे उतर कर उस पुरुष के साथ मारपीट शुरू कर दी। कुछ यात्रियों ने भी उसे पीटना शुरू कर दिया। बहुत सी सवारी टिकट के आधे पैसे देकर ही बिना टिकट लिए उतर रहे थे। उस पुरुष को चोटें आ गई। वह चीखने लगा। मैंने उस पुरुष के ऊपर लेटकर उसे कवर किया। मुझे भी चोटें आई तब मेरे ऊपर एक बूढ़ी महिला ने लेट कर मुझे कवर किया और वह सब की बदतमीजी के कारण उन्हें धमकाने व गालियां देने लगी। तब कहीं जाकर उन लोगों ने उस पुरुष और मुझे छोड़ा। बस चली गई, हम दोनों ने वहां से एक थ्री व्हीलर पकड़ा शक्ति नगर बस स्टैंड से उसकी पत्नी को लिया। रूप नगर थाना पहुंचकर एफआईआर लिखवाई। उस पुरुष का नाम बीएस अग्रवाल था, सीए था। नई-नई प्रैक्टिस थी। आय कम थी, उसका भारत नगर में फ्लैट था। मैं उस केस में गवाह बना था। केआर दत्त साहब थानाध्यक्ष थे। अगले दिन हम दीपचन्द बंधु जी से भी मिले। डीटीसी नगर निगम के अंतर्गत थी। उन्होंने ड्राइवर को नौकरी से निकलवाया (वह अस्थाई था) और कंडक्टर को सस्पेंड करवाया। वह स्थाई था। अगले रोज ड्राइवर ने मेरे घर पर धरना दे दिया। वह कह रहा था कि उसका कोई कसूर नहीं था और वह बाल बच्चे वाला था। मैंने बंधु जी की सहायता ली और उसे नौकरी दिलाई। कंडक्टर अग्रवाल जी को बड़ी-बड़ी धमकियां देने लगे। पुलिस ने उसे धमकाया

था। कुछ समय बाद अग्रवाल ने केस वापस ले लिया। वह मेरा छोटा भाई की तरह बन गया।

1972 में हम लोगों को तीस हजारी ट्रेजरी में बिल पास करने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तीस हजारी से एक तारीख को वेतन मिलता था। काफी भीड़ हो जाती थी तीस हजारी ट्रेजरी व बैंक में। मैं कुतुब रोड हायर सेकेंडरी में नियुक्त था। हमारा क्लर्क व चपरासी 9 बजे स्कूल से बैंक वेतन लेने हेतु लाइन में लग जाते थे। एक बजे तक वेतन आ जाता था। हम वेतन ले लेकर छुट्टी समाप्त होने पर अपने-अपने घरों को चले जाते थे। एक बार वेतन ले चपरासी स्कूल 1:00 बजे तक नहीं लौटे। प्रधानाचार्य ने मुझे बैंक भेजा। मैंने देखा कि बैंक कर्मचारी हड़ताल पर थे। तीन-चार सौ की भीड़ जमा थी। मैंने कारण पूछा तो पता चला कि बैंक कर्मचारी वेतन बढ़ाने हेतु हड़ताल पर है। उन्होंने गलत दिन चुना, यदि किसी और दिन को चुन लेते तो क्लर्कों को परेशानी ना होती। सभी क्लर्कों को बैंक टोकन दे चुका था। मैंने वहां सब क्लर्कों को इस हड़ताल के विरुद्ध भड़काया। पुलिस भी आ गई और इलाका मजिस्ट्रेट भी। हम सभी लोग तभी राजनिवास पहुंच गए और उपराज्यपाल को हालात से अवगत कराया। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हुई और एक नया आदेश पास हुआ कि दिल्ली सरकार कर्मचारियों को माह की एक तारीख से पहले वाले महीने के आखिरी दिन को बैंक व ट्रेजरी से वेतन दिया जाए। आज भी वह आदेश बरकरार है।

1970 में हमारे प्रौढ़ स्कूल से छात्रों की दो बसें मथुरा तथा वृंदावन टूर पर गई थी जिनमें हम 5 अध्यापक भी गए थे। मैं पहले एक बार वहां जा चुका था। रात को एक धर्मशाला में हम लोग ठहरे थे सुबह उठकर शौच बाहर खेत में जाना पड़ा। धर्मशाला में पानी की कमी थी

बाहर एक पब्लिक प्लेस पर नल था। वह घटना कभी भूलने वाली नहीं है मेरे पास खाली लोटा था। नल पर मुझे लौटा मिट्टी से माँजना था। मैं नल पर पहुंचा तो देखा कि एक पंडित ने नल के नीचे बाल्टी रखी हुई थी। वह पंडित बाल्टी के पानी से नहा रहा था। पानी में साबुन के झाग भी थोड़ा सा घुल चुके थे। मैं वहां बहुत देर तक खड़ा रहा। आखिर मैंने पंडितों से बाल्टी हटाने को कहा। बाल्टी ना हटा कर खड़े हुए पंडित ने अपने लोटे में बाल्टी से पानी भरा और मेरे मांझी हुए लोटे को धोने के लिए मेरे लोटे पर पानी डाला। मैंने कहा कि पंडित जी बाल्टी हटाओ, मैं साफ पानी से ही लोटा धोऊँगा। मैं कौम से वैश्य हूं। अब मेरा लोटा पहले से भी ज्यादा खराब हो गया है। पहले पाँच बार माँजा था। अब 7-8 बार माँजना पड़ेगा तब कहीं जाकर यह पवित्र होगा। नल तुम्हारा नहीं है, पब्लिक प्लेस पर लगा है, पब्लिक का है। दो-तीन पंडित और भी आ गए और मुझ से उलझ गए। अपना बल दिखाने लगे। मैंने ऊंची आवाज में छात्रों को बुला लिया। अधिकतर छात्र 20 वर्ष की आयु से ऊपर थे। कई तो 50-55 की आयु के भी थे। दसवीं का प्रमाण पत्र चाहिए था ताकि उन्हें क्लर्क के पद पर पदोन्नत किया जा सके। 20-25 छात्र आगे आ गए थे। कुछ के हाथों में हाकियां भी थी। पंडितों की हिम्मत उलझने की ना रही। वह सब चले गए। नाश्ता आदि कर के हम सभी वृंदावन में मंदिरों को देखने व भगवान के दर्शन करने चल दिए।

रंगनाथ मंदिर में एक छोटा सा मंदिर था जिसमें केवल एक छोटी सी श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी थी और एक पंडित बैठा था। हम लगभग 100 के करीब थे। वहां भगवान जी के दर्शन करने के लिए लंबी पंक्ति लगी थी। दर्शनार्थियों से चार-चार आने लेकर ही भगवान के दर्शन कराए जा रहे थे। मैंने लड़कों से पैसे देने को मना कर दिया

और पंडित जी को उठाकर बाहर बिठवा दिया। फ्री दर्शन करने को कह दिया। ऐसा ही छात्रों ने करना शुरू कर दिया। वहां 50-60 पंडित इकट्ठे हो गए। सभी वहीं मंदिर में रहते थे। वे झगड़ा करने लगे और मंदिर के गेट उन्होंने बंद कर दिए। छात्रों ने जरा सी गर्मी दिखाई तो वह चुप रह गए। गेट खोल दिए और प्रसाद भी दिया। वहां बड़े छोटे बहुत से मंदिर थे। पंडित सवा-सवा रूपया हर छात्र से चढ़ावा चढ़वा कर ही प्रसाद दे रहे थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था और काफी गुस्सा आ रहा था। मैंने छात्रों को जबरदस्ती प्रसाद लेने के लिए कहा। छात्रों ने खूब प्रसाद खाया। उस समय मुझे अपनी करनी अच्छी लग रही थी मगर बाद में मुझे महसूस हुआ कि मैं गलत कर रहा था। मैंने वहां का कानून तोड़ा जो एक अध्यापक को शोभा नहीं देता। हो सकता कोई छात्र इतना झगड़ा कर डालता कि पुलिस को बुलाने की नौबत आ सकती थी, एफआईआर भी हो सकती थी।

प्रोढ़ स्कूल के डीडीओ सीताराम शर्मा मेरे मेडिकल बिल पास करवाने में मुझे तंग कर रहे थे। वह दूसरी शिफ्ट का प्रधानाचार्य था। पहली शिफ्ट में एक बददिमाग महिला प्रधानाचार्य थी। वे दोनों मिल गए। हमारी तीसरी शिफ्ट थी। हम उनके स्टाफ रूम में ही बैठे थे कि उन्होंने हमारे स्टाफ का वहां बैठना बंद करने का प्रयत्न किया। वे कमरे का ताला लगा कर चले गए थे। मैंने उनका ताला तोड़ दिया और उसमें ही हम लोग बैठे। झगड़ा उपशिक्षा निदेशक के पास गया था।

सालाना परीक्षा प्रारंभ हो गई। सीताराम एक लड़के को पास कराने हेतु नकल करवाना चाहता था। हमारे स्टाफ के अध्यापकों की कमरे में इनविजीलेशन की ड्यूटी थी। लड़के को हम लोगों ने नकल ना करने दिया। सीताराम शर्मा और जल-भून गया। मैं अपने मेडिकल बिल के बारे में सीताराम के कमरे में गया। उसने मुझे गेट-आउट कह दिया।

बर्दाश्त न हुआ और सीताराम द्वारा दुर्व्यवहार, लड़के को नकल कराने, बाल निधि से खरीदे गए कुछ गमलों को सीताराम के घर में बरामदगी होने के आरोप में तथा उसके और हमारे सारे स्टाफ का सपोर्ट होने के कारण श्री दीपचंद बंधु की सहायता से सीताराम की तब्दीली दो-तीन दिन में ही कराने में हम लोग सफल हो गए हुए।

मैंने कुछ माह बाद कुतुब रोड में तब्दीली कराली। वहां दो शिफ्ट लड़कों की होती थी। सुबह नवी से ग्यारहवीं तक और शाम को छठी से आठवीं तक। मुझे प्रधानाचार्य ने सुबह की शिफ्ट में एडजस्ट कराने हेतु 10वीं 11वीं को इतिहास पढ़ाने के लिए कुछ पीरियड दिए। मुझे इतिहास का कोई ज्ञान ना था। प्रधानाचार्य श्री दामोदर दास शर्मा ने मुझे समझाया कि छात्रों से केवल किताब को पढ़ाना है, तुम्हें कुछ जबानी याद कराने की आवश्यकता नहीं है, काम चल गया।

कुतुब रोड से दामोदर स्वरूप शर्मा तब्दील हो गए थे। उनकी जगह निहाल चंद सिंघल ने ली। स्कूल ज्वाइन करते ही पहले ही दिन सिंघल ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। मुझे घंटी बजने के फौरन बाद एक कक्षा से निकल कर दूसरी कक्षा में जाना था। परंतु मैं पेशाब करने के बाद कक्षा में पहुंचा था। पाँच मिनट देरी से पहुंचने का मुझे लिखित उत्तर देने को कहा गया। मेरे कोर्ट में उस समय 12 मुकदमे चल रहे थे, 8 फौजदारी के मुकदमे थे जिनमें कचहरी में जाना आवश्यक होता था। मैंने आधा दिन का आकस्मिक अवकाश मांगा उसने नहीं दिया। मामला बढ़ा तो स्टाफ ने उसे ठीक-ठाक व्यवहार करने को कहा मगर वह बाज नहीं आ रहा था।

1972 में एक दिन मुझे एस्टेट क्वार्टर का आवंटन का पत्र आया। तीन दिन के अंदर आवंटन संबंधी सभी कार्यवाही कराकर स्कूल से पत्र एस्टेट कार्यालय जाना होता है वरना आवेदन रद्द हो जाता है। उससे

अगले दिन माननीय उपराज्यपाल महोदय के निधन के कारण दिल्ली के सभी कार्यालयों में शोक के कारण अवकाश रहा। अगले दिन सिंघल ने जान बूझकर मेरा काम खराब करने के लिए छुट्टी ले ली। उस दिन मैं शिक्षा अधिकारी के पास गया। उन्होंने कहा कि अभी कल का दिन मेरे पास है यदि कल सिंगल हस्ताक्षर ना करें तों तुम मेरे पास आ जाना, मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। अगले रोज सिंगल ने हस्ताक्षर करके क्लर्क को कहा कि वह पत्र मुझे ना देकर डाक से भेजे। क्लर्क ने जैसे ही डिस्पैच नंबर उस पत्र पर लिखा मैंने उससे छीन लिया और एस्टेट कार्यालय जाकर दे आया। मामले ने तूल पकड़ा, मुझे काफी तंग किया, मुझसे तू तड़ाक करने लगा और गाली दे बैठा। मैंने भी जूता निकाल कर उसके सिर में दो-तीन जड़ दिए और गुस्से में यह भी कह बैठा कि तुझे 30 अप्रैल तक स्कूल से भगाकर छोडूंगा। उसने कहा कि यदि ऐसा ना हुआ तो तू क्या करेगा। मैंने कहा नौकरी छोड़ दूंगा और 1 मई को शक्ल ना दिखाऊंगा। उसने कहा कि 30 अप्रैल कल ही है और आज शनिवार है सभी कार्यालयों में हाफ-डे की छुट्टी है, कल रविवार है इसीलिए नौकरी से त्यागपत्र लिख ले और मुझे दे दे। मेरे होश उड़ गए। मैं श्री मीर मुस्ताक अहमद से मिला जो महानगर परिषद के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1 मई को तब्दील करने का आश्वासन दिया। मैं सीईसी राधारमण जी के पास गया उन्होंने भी यही कहा। मैं केंद्रीयमंत्री श्री शाहनवाज जी से मिला तो उन्होंने भी यही कहा। मन दुखी हो गया, पूर्ण तरह टूट गया था मैं। निराशा ही निराशा मेरे दिमाग में थी।

अगले रोज अपने साथी श्री गोकुल चंद शास्त्री के घर चावड़ी बाजार गया। उन्हें अपनी असफलता व निराशा से परिचित कराया। वह मुझे चावड़ी बाजार के चैमुखा मंदिर के पास ही श्री भूदेव शास्त्री के पास ले गए। वे दोनों मुझे जामा मस्जिद के पास श्री मीर मुस्ताक के

दफ्तर ले गए। मीर साहब ने कहा कि कल सिंगल की तब्दीली करवा दूंगा। मनु देव जी को गुस्सा आ गया और वे मीर साहब को खूब उल्टा सीधा कहने लगे। मीर साहब व मनु देव जी दोनों स्वतंत्राता सेनानी थे और जेल में इकट्ठा रहे थे। शास्त्री जी उठकर चल दिए और कहा कि मीर अब भविष्य में कभी तेरे पास ना आऊंगा।

मीर साहब ने गंभीरता दिखाई और फौरन शिक्षा निदेशक डी एस मिश्रा को फोन किया। इत्तेफाक से फोन मिश्रा जी ने ही उठाया। बात हुई मिश्रा जी मीर साहब के दफ्तर में आए और वहीं बैठकर सिंगल की तब्दीली के आदेश टाइप कराए गए। डिस्पैच नंबर लिखे गए। मिश्रा जी ने नंबर अपनी डायरी में भी लिख लिया। मैं कमला नगर में सिंगल के घर मीर साहब के पीए के साथ गया और आदेश सर्व कराए। दिन रविवार 30 अप्रैल 1972 था। यह शिक्षा निदेशालय का एतिहासिक दिन था।

यहां एक बात और बता दूं कि अक्सर सिंगल मुझसे कहता रहता था कि यदि वह इंस्पेक्टर होता तो मेरी तब्दीली सिंघु बॉर्डर पर कर देता। मैं भी फौरन उत्तर देता कि यदि मैं डायरेक्टर होता तो तुझे उजवा तब्दील कर देता। आदेश टाइप करते समय मिश्रा जी ने मीर साहब से कहा था कि आज 'उजवा' का प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त हो रहा है, यदि अनुमति दो तो सिंगल को उजवा ही तब्दील कर दूं। सिंगल वहां से सोमवार को रिलीव हो गया।

सिंगल से स्टाफ ने वेतन लाने को कहा मगर उसने कहा कि वह वेतन लाकर नहीं देगा। मदन लाल से ही मंगवाना। हम दो-तीन अध्यापक शिक्षा निदेशक से मिले। उन्होंने दामोदर स्वरूप को ही हमारा स्कूल का डीडीओ बनाया। अगले दिन ही वेतन आ गया।

पांच-सात दिन बाद श्री ओम प्रकाश मित्तल का तबादला हम लोगों

ने शिक्षा निदेशक से कुतुब रोड करा दिया। वह सीलम पुर स्कूल में थे। मित्तल साहब को स्काउटिंग के स्टाफ में घोटाले की गंध महसूस हुई। उसके इंचार्ज जेडी शर्मा नामक अध्यापक थे। जेडी शर्मा को आदेश दिया गया कि वह चार्ज मुझे दे। उसने 3 दिन बाद चार्ज देने की अनुमति मित्तल साहब से ले ली। उसने स्काउटिंग स्टाक का नया रजिस्टर बनाया और सामान के पृष्ठों का इंडेक्स पहले पृष्ठ पर बनाया तथा दामोदर स्वरूप प्रधानाचार्य से सब्जी मंडी स्कूल में जाकर हस्ताक्षर करवा लाया। इंडेक्स बनाकर वहीं नीचे एक नोट लिखा गया था कि पुराने सभी रेगीस्टरों से स्टॉक का बैलेंस नए रजिस्टर में लिया गया है। उसने हर वस्तु का स्टॉक चढ़ाने के लिए अलग-अलग पृष्ठ लिए।

उसने पहले कॉलम में क्रम संख्या लिखी, दूसरे कॉलम में वस्तु का नाम, तीसरे कॉलम में वस्तु की संख्या। और कोई कॉलम ना बनाया, ना वस्तु की कीमत, ना कैश मेमो संख्या, ना माप ना तोल, ना पुराने रजिस्टर का हवाला जहां से नए रजिस्टर में वस्तु लाई गई। मुझे बुला कर हर पृष्ठ पर सामान वसूली के हस्ताक्षर करा लिए। मैंने कुछ भी नहीं देखा। पुराना ना नया, सड़ा, फटा, पुराना, कितना होना चाहिए और कितना है, पूरा है या कम। एक पृष्ठ पर कैमरा चढ़ा रखा था। धोखे से उस पृष्ठ को आधा मोड़ कर मुझसे छुपा रखा था। परंतु आखिरी पृष्ठ पर सारे चार्ज का लेना-देना लिख लिया गया। मुझसे जेडी शर्मा ने दस्तखत करा लिए और स्वयं अपने भी कर दिए। हर पृष्ठ पर मुझसे लिखा लिया गया था। चार्ज लेने के बाद में जब बाहर निकला तो कुछ टीचर ने पूछा कि क्या तुम्हें चार्ज में कैमरा भी मिला है? मैंने बताया कि नहीं। रजिस्टर का हर पृष्ठ देखा। एक पृष्ठ आधा मुड़ा हुआ था जिसमें कैमरे की एंट्री छुपाई हुई थी। क्योंकि आखिरी पृष्ठ पर "चार्ज हेडिंड ओवर तथा टेकन ओवर" लिखा था, मेरे हस्ताक्षर थे।

इसलिए जेडी शर्मा ने कहा कि उसने मुझे कैमरा दे दिया है। मुझे उसने गोली मारने की धमकी भी दे डाली।

मैंने प्रधानाचार्य को यह मामला बताया। प्रधानाचार्य ने सारे सामान के निरीक्षण हेतु तीन अध्यापकों की कमेटी बना दी। सामान का निरीक्षण किया गया। सभी चीजें खराब, पुरानी व कुछ रेलवे लाइन के पास कूड़े से उठाया गया था। 12 स्काउट कमीज के स्थान पर चूहों द्वारा कटी हुई दो कमीजें जो बहुत मोटे आदमी की थी, मुझे दी गई। 16 जोड़ी जूते साल भर पहले खरीदे गए थे, उनके स्थान पर 4 जोड़ी जूते, कुछ सिले हुए, फटे हुए एक छोटे बच्चे का, दो बड़े आदमी के, 10 पैंटों की जगह 4 निकर, दो बड़े आदमियों के, एक 5 साल के बच्चे का और एक नीले रंग का था। जबकि सारे स्काउटों के लिए खाकी रंग के दो-तीन माह पहले ही खरीदे गए थे। मैंने हर पृष्ठ पर "रिसीव अनसर्विसेबल एंड इनकंप्लीट" लिख दिया और सभी कमेटी सदस्यों से वहां यह भी लिखवा लिया कि चार्ज उनके सामने ही मुझे दिया गया था। प्रधानाचार्य के भी हस्ताक्षर करा लिए। इस हेराफेरी की रिपोर्ट शिक्षा अधिकारी एचआर सैनी को कर दी गई। मिस्टर सैनी ने पिछले सभी रजिस्टरों व वाउचरों के हिसाब से सामान की मांग की। दो पीतल के 8 किलो वजन के भगौने खरीदे गए थे। परंतु चार्ज में केवल दो भगोने एलुमिनियम के दिए गए थे। एक का वजन 400 ग्राम था और दूसरा लगभग 1 किलो वजन का था। नई पेंटो के स्थान पर चूहों द्वारा कटे हुए कूड़े में से उठाए हुए निकर थे। कैमरा अगले दिन मुझे मिल गया था। दो पीतल के बर्तन पूर्व प्रधानाचार्य दामोदर स्वरूप के घर से मुझे मिल गए थे। जे डी शर्मा तबादला होकर गोंडा स्कूल में चले गए थे। पता चला था कि उनकी दो वेतनवृद्धि काट ली गई थी।

नवंबर 1972 में गढ़ गंगा के मेले में ढाई-तीन सौ छात्र दिल्ली के

सरकारी स्कूलों से जाने थे। सभी स्कूलों से ₹16 प्रति स्काउट, भारत स्काउट एवं गाइड के हेड क्वार्टर में जमा करा लिए गए थे। मुझे कैम्प का डिप्टी कमांडेंट बनाया गया था और खर्च के लिए कुल ₹2500 दिए गए थे। हेडक्वार्टर में सारे प्रशासनिक अधिकार रमाशंकर मिश्रा के पास थे। मिश्रा जी ने मुझे और धनराशि गढ़ गंगा पर आकर अगले दिन देने के लिए कहा था। मेले में कैम्प 7 नवंबर से 11 नवंबर तक लगा था। हम लोग रेल से गढ़ गंगा तक गए थे और मेले तक रहड़ों में गए थे। हम लोगों ने 40 रेहड़े बुक किए थे। रात्रि के एक बजे के लगभग हम मेले में पहुंचे थे। सड़कें सुनसान पड़ी थीं। घास-फूस व बांस से बनाई गई थी। दरवाजे भी सड़कों पर बांस के बने थे। पुलिस वाले भी वहां मौजूद थे। हम लोग जहां खड़े थे वहां से हमें दरवाजे के पार जाने हेतु सड़क क्रॉस न करने दी गई। हमारा कैंप उस दरवाजे को पार करके दाएं ओर यूटर्न लेकर लगभग 200 गज पर था। लेकिन पुलिसवालों का कहना था कि हम सड़क पर लगभग 100 गज दूर आगे बढ़ें तब यूटर्न दाएं ओर को हमारे पास से होते हुए कैंप जाएं। इस तरह कैम्प के लिए 400 गज चलना था। उन्होंने मुझे एसपी साहब से मिलने को कहा। पास ही मचान था, मैं एसपी से मिला और परेशानी बताई कि 300 छात्र मेरे साथ हैं, 40 रेहड़े रहे हैं, हमें वहां 10-15 फुट चैड़ी सड़क पार करके कुल 200 गज चल कर ही कैम्प मिल जाएगा मगर पुलिस वाले 100 गज आगे जाकर ही सड़क पार कर के दाएं मुड़ने को कह रहे हैं।

एसपी साहब ने कहा कि मेले में जगह-जगह से दल व वॉलिंटियर आते हैं। काम कोई करता नहीं। यहां उनको मुफ्त में तमाशे, सिनेमा मिल जाते हैं, अन्य सुविधाएं भी मिल जाती हैं। मैंने बताया कि मेरे साथ 300 छात्र हैं। 100 छात्र केवल कैम्प में रहेंगे और 200 छात्र

ड्यूटी पर 24 घंटे रहेंगे। सुबह 6:00 बजे मैं और तीन अध्यापक आ जाएंगे, आप जहां ड्यूटी लगाएंगे वहां हमारे छात्र रहेंगे, कोई भी हमारा स्काउट तमाशा आदि नहीं देखेगा। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात दरोगा को हमारी इच्छानुसार कैम्प जाने की अनुमति देने को कहा। सुबह को मैं 200 स्काउट लेकर एसपी साहेब के पास पहुंच गया। वे हमारे साथ घोड़े पर सवार हो कर चलते रहे व बच्चों की ड्यूटी पूरे मेले में लगा गए। इसी प्रकार 7 से 11 नवंबर तक हम लोगों ने ड्यूटी दी। रमा शंकर मेले में गए ही नहीं। हमारे पास रोटी खाने को भी पैसा ना था। तीन दिन सभी लड़कों ने अपना चंदा इकट्ठा किया, तब काम चलाया।

पूर्णमासी 11 नवंबर की थी, मेला दोपहर तक काफी छठ चुका था। मैं तीन दिन से नहा न सका था। मैं नहाने जाने लगा तो एक लड़का मेरे साथ नहाने चल दिया। हम लोग गंगाजी में कमर तक ही जल में डुबकी लगा रहे थे। बहुत से लोग और भी थे। दो-तीन डुबकी लगाने के बाद मुझे लड़का दिखाई ना दिया। वहां पर नहाने वालों से भी मैंने पूछा पर पता ना चला। मैं भागा-भागा एसपी साहब के पास गया एसडीएम (गाजियाबाद) बुखार से पीड़ित थे। खबर लगने पर जाल फेंके गए मगर लड़के की लाश ना मिली। वह लड़का नरेला स्कूल का था और उसके पिता नरेला स्टेशन पर स्टेशन मास्टर थे। उनको और दिल्ली के सीईसी (मुख्यमंत्री तुल्य) श्री राधारमण जी को समाचार वायरलेस द्वारा दिए गए। वे गंगा जी पहुंचे। हमारे और पुलिस कैंप में शोक व्याप्त था। पता चला कि उस लड़के के बड़े भाई की मृत्यु हरिद्वार गंगा जी में इसी तरह से हुई थी। स्टेशन मास्टर ने बताया कि उन्होंने लड़के को मेले में ना आने की सलाह दी थी परंतु लड़का जिद कर रहा था इसलिए लड़के को गंगाजी में ना घुसने की कसम दी गई थी और नरेला के जो अध्यापक गंगा जी आए थे उनसे भी प्रार्थना की

गई थी कि वे लड़के को गंगा जी में ना जाने दें।

एसपी साहब ने कहा था कि दिल्ली के बच्चे सच्चे स्काउट्स निकले। उन्होंने हमारी पुलिस से भी अच्छा काम किया है। जिस लड़के को ड्यूटी पर जहां लगाया गया वह वहीं पर ड्यूटी पर जमा रहा। एस पी साहब मिस्टर नसीम ने हम लोगों के काम की बड़ी प्रशंसा भी की थी और मुझे प्रशस्ति पत्र भी दिया था। लिखा था यदि गुप्ता जी जैसे युवक समाज में रहेंगे तो कोई भी बुराई समाज मैं नहीं होगी।

उससे अगले वर्ष लगभग ढाई सौ स्काउट्स गए। स्काउट्स एवं गाइड हेडक्वार्टर से फिर रु 1500 ही देकर कहा गया कि गंगाजी आकर शेष रुपया देंगे जो नहीं दिया गया। हम लोगों ने तीन दिन खूब दिल से काम किया। पूर्णमासी वाले दिन हमारे कुछ स्काउट ड्यूटी पर थे। उन्हें कुछ गुंडों से उलझते, मैंने दूर से देखा था। वहां महिलाओं के कपड़े गंगा किनारे रखे थे और महिलाएं स्नान कर रही थी। गुंडे उनके कपड़े उठाकर भाग रहे थे। हमारे स्काउट ने उन्हें रोकना चाहा। उन्होंने लड़कों को लाठियों से पीटा। हमारे एक लड़के को काफी चोटें आई। वे गुंडे महावीर दल के कैंप में ठहरे थे। पता लगने पर हम तीन-चार अध्यापक उनके कैंप में गए। बजाय इसके कि वे हम से माफी मांगते या पछतावा जाहिर करते, हमें ही मारने का इरादा करने लगे। हम उधर से अपने कैंप की तरफ भाग निकले। वह हमारे कैंप में घुस गए। हमारे स्काउटों में उनसे मुकाबला करने की क्षमता नहीं थी। वे कई लोग लाठियों से लैस थे। हमारे कैंप में से दो आदमी लाठी लेकर निकले और उन्होंने महावीर दल के लोगों को जमकर धूना। पुलिस आई सुलहनामा हो गया, लेकिन एक लड़का दिल्ली आकर कई दिन तक इलाज कराता रहा।

स्काउट गाइड का मुख्यालय स्कूल में जमा किए हुए रुपयों को

डकार जाता और गंगा जी पर लड़ाई झगड़ा या अन्य किसी प्रकार की दुर्घटना से दूर ही रहता। मुसीबत में वह व्यक्ति को जो व्यक्ति कमांडेंट होते थे, वह ही रहते। कमांडेंट तो कैंप में वीआईपी की तरह मजे लेते। उनका काम अच्छा खाना-पीना व अध्यापकों पर हुकुम पेलना था। उन्होंने जो घोटाले मुख्यालय में किए थे मुझे उन सबकी जानकारी हो चुकी थी। मैंने बाद में अपनी पत्रिका में सारी गड़बड़ी छापी थी।

एक बार हम कुछ अध्यापक दिल्ली से हरिद्वार कुंभ मेले में गए थे। 8-8 घंटे 10-10 व्यक्तियों को अलग-अलग राज्यों की भाषाओं के जानने वालों को मेले के कंट्रोल रूम में ड्यूटी पर तीन शिफ्टों में लगाया गया था। जिस भाषा की कोई बात कंट्रोल रूम में अनाउंस करने के लिए कोई बात होती, उसी भाषा के जानने वाले अध्यापकों से डील करते थे। वह उसी भाषा में अनाउंस करते थे। काम ठीक तरह चल जाता। वहां कुछ अधिकारी, सिपाही हमारे पास आते तो कभी-कभी वे हम लोगों को धमकाने की जुर्रत कर जाते जो असहनीय होता था। हमने एसएसपी व आईजी से काम करने को मना कर दिया। हमने प्रार्थना की कि हमें कम से कम डीएसपी के पद के अधिकार मेले के दौरान दिए जाएं ताकि हमें काम करने की हिम्मत व साहस मिले और हम पर कोई रौब ना गाठ सके। हमारी प्रार्थना मान ली गई और मुझे ही कंट्रोल रूम का इंचार्ज बनाया गया था। मैं मेले में घूम रहा था। गंगा जी पर इधर से उधर आने जाने के लिए कई पुल बनाए गए थे। एक पुल पर मैंने देखा कि कुछ पुलिस वालों ने पुल पर रास्ता बंद करने के लिए पुल के दोनों सिरों पर रस्सो का प्रयोग किया हुआ था और 5-6 पुलिस वाले गंगा जी के एक किनारे पर तथा 5-6 दूसरे किनारे पर तैनात थे। भीड़ पुलिस वालों को एक तरफ धक्का देकर निकल कर पुल पार करना चाहती थी तो पुलिस वाले और भीड़ आमने सामने होती।

पुलिस वाले महिलाओं की छाती पर हाथ रखकर उन्हें पीछे धकेलते और पीठ पर हाथ रखकर उन्हें पीछे की ओर आने वाली भीड़ उन्हें आगे धकेलती। ऐसा सीन था धक्का मुक्की का। पुलिस वाले महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें कर रहे थे। एक पुलिस वाले को मैंने दो महिलाओं के गले के लॉकेट व हार वगैरह उतार कर जेब में रखते देखा। मैंने चुपचाप जाकर एसपी को यह घटना बताई। दो पुलिसकर्मी को अपने साथ लेकर वे मेरे साथ घटना स्थल पर पहुंचे। मैंने उस पुलिस वाले की ओर इशारा कर दिया। पुलिस वाले की तलाशी ली गई और उसकी जेब से बरामदगी हुई और उस पुलिस वाले को निलंबित कर दिया गया। बाद में क्या हुआ होगा मैं नहीं कह सकता।

मैं तिमारपुर रहता था। केंद्रीय सचिवालय तक रूट नंबर आठ पर बस चलती थी। मैं स्कूल के लिए माल रोड स्टैंड से पहली बस सुबह 6:40 बजे की पकड़ता था। कभी-कभी वह बस आती ही न थी। स्पेशली वह खटारा बस ही इस रूट पर लगाई जाती थी। राम सिंह उस बस का निश्चित ड्राइवर था। एक दिन मैं जब स्टैन्ड पर पहुंचा तो बस जा चुकी थी। मैंने सोचा कि बस आज आई ही नहीं है। तिमारपुर की ओर जाने वाली बस जब आई तो मैंने उस बस के ड्राइवर से प्रार्थना की कि पहली बस आज आई नहीं है। आपको तिमारपुर स्टैन्ड पर सवारियों की भीड़ मिलेगी इसीलिए आप इस बस स्टैंड पर शायद बस ना रोकने की इच्छा रखेंगे तो ऐसा मत करना, मुझे यहां से अवश्य ले चलना। उसने कहा कि वह मुझे अवश्य लेकर जाएगा।

दस मिनट बाद बस लौटकर आ गई मगर मेरे हाथ देने के बावजूद उसने बस ना रोकी। मैं पीछे-पीछे भागा भी फिर भी वह ना रुका। 10-20 गज पर एक सिपाही माल रोड पर खड़ा था। उसने हाथ दिया ड्राइवर ने उसके लिए बस रोक ली। मुझे बहुत गुस्सा आया। अचानक

एक खाली ऑटो आ गया। मैंने कुतुब रोड के लिए उसे पकड़ा और मैं स्कूल के सामने जब पहुंचा तो देखा कि वह बस मेरे पीछे आ रही थी। बस आईपी कॉलेज के सामने से होकर अंडर हिलरोड से आने के कारण मुझसे पीछे रह गई थी। स्कूल में प्रार्थना हो चुकी थी। छात्र कक्षाओं में जा रहे थे। मैंने गेट के बाहर से ही 11वीं कक्षा के छात्रों को बाहर आने को कहा। 15-20 छात्र बाहर आ गए। मैंने उन्हें कहा कि देखो डीटीसी की बस आ रही है, यहां स्टैंड पर रुकेगी। ड्राइवर के हाथ पैर तोड़ने हैं, कंडक्टर का कुछ नहीं करना है। मेरी बहुत बड़ी मूर्खता थी, छात्रों की कोई गलती नहीं थी और मैंने उन्हें कानून हाथ में लेने को कह डाला। उन्होंने ड्राइवर को खूब मारा। बस खाली हो गई। मैं और छात्र स्कूल में घुस गए। बाहर डीटीसी की 6-7 बसें स्कूल के सामने इकट्ठे हो गई। बसों की हड़ताल हो गई। पुलिस व डीटीसी के अधिकारी भी आ गए। डीटीसी वाले पुलिस से मुझ को गिरफ्तार करने की बात कर रहे थे। पुलिस मना कर रही थी कि स्कूल के में वे नहीं जाएंगे। उन्होंने एफआईआर लिख ली। वहीं पास ही एक अध्यापक मेरे साथी रहते थे। वे अपने घर जाकर एक जोड़ी अपने कपड़े मेरे लिए ले आए। मैं उस साथी के कपड़े बदल कर बाहर निकल गया। मुझे कोई पहचान न पाया। वहां एडीएम सोहन लाल अरोड़ा भी आ गए थे। मैंने एसएचओ श्री केआर दत्त को फोन करके अपनी परेशानी बताई। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं थाना सदर से उनका नाम लेकर मिलूँ मगर वे मुझे थाने में न मिल पाए। अरोड़ा साहब मुझे अच्छी तरह जानते थे। वहां से बसों को चलता कराने में सफल हो गए। केवल उस बस को जिस से झगड़ा हुआ था, उसे थाने में ले गए। उस दिन मैं एसएचओ सदर थाना से भी मिला। उन्होंने आश्वासन दिया था कि मुझे परेशानी ना होगी।

एक दिन पुलिस ने थाने में मुझे 10 बजे सुबह बुलाया और मुझे 4 बजे तक कहीं न जाने दिया। शुक्रवार का दिन था। आईओ ने मुझे कोर्ट तीस हजारी में जाने के बाद बताया कि वह मुझे कोर्ट के सामने जमानत के लिए पेश करेगा। मुझे जमानती लाने का भी अवसर न दिया। वह चाहता था कि मैं हवालात में बंद रहूं। शाम 4 बजे मुझे कोर्ट ले जाया गया जहां सदर थाने के इलाका मजिस्ट्रेट उस दिन कोर्ट में न थे। वह मुझे वापस थाने ले जा रहा था। सौभाग्य से वह आईओ एडीएम अरोड़ा साहब की कोर्ट के सामने से गुजरा। मैं भाग कर उनकी कोर्ट में घुस गया। 4:45 का समय था। मैंने उन्हें बताया कि आईओ ने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे थाने ले जाकर अब हवालात में बंद करने का प्रोग्राम बना रहा है। अरोड़ा साहब ने उसे धमकाया और मुझे अगले दिन थाने जाकर जमानत का प्रबंध करने को कहा। उन्होंने एसएचओ को फोन करके मेरी सहायता करने को कहा। अगले दिन मेरी जमानत हो गई।

एक दिन मुझे कोर्ट का नोटिस आया। उस दिन डीटीसी के ड्राइवर व कंडक्टर गवाही के लिए पेश हुए। उनसे जब पूछा गया कि क्या मैंने ही ड्राइवर की पिटाई कराई? उन दोनों ने मना कर दिया कि मैंने उनकी पिटाई कराई थी। मैं बरी हो गया। मैंने उन दोनों से पूछा कि आप लोगों ने मुझे पहचानने से क्यों इंकार कर दिया। उन्होंने मुझे बताया कि मास्टर जी आप से गलती हो गई आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपकी नौकरी भी चली जाती, जेल भी चले जाते तो हमें कुछ लाभ नहीं होता। जाओ भूल जाओ, कोई बुरा वक्त आया था वह टल गया। मैं उनकी बुद्धि और शराफत की दाद देता धन्यवाद देकर घर चला आया। वाह रे कंडक्टर व ड्राइवर जो मुझ से कम पढ़े लिखे थे और जिनका काम भी मेरे जैसा ना था, उनसे मुझे एक अच्छी सीख मिली थी।

एक घटना इसके विपरीत एक ड्राइवर व कंडक्टर की बता रहा हूं। उस दिन बड़ा दुख हुआ था। मै लुडलो कैसल स्टैंड पर, छात्रों की छुट्टी के बाद, छात्रों के साथ ही बस पकड़ने हेतु खड़ा था। बस आने पर मैं गेट से हटकर छात्रों को पहले चढ़ने का अवसर दे रहा था। भीड़ काफी हो चुकी थी। मैंने बस के गेट का डंडा पकड़ रखा था। बस चल पड़ी। मैं लटका ही रह गया। न तो डंडे को छोड़ सकता और न ही पायदान पर पैर रख सका। मैं घिसटता चला गया। कंडक्टर को बहुत कहा कि बस रुकवा दे, मुझे उतर जाने दे, मगर उसे एहसास न हुआ कि मेरी मृत्यु भी हो सकती थी। वह कहता रहा कि तू बस में चढ़ा ही क्यूँ? मैं अगले स्टैन्ड पर बस रुकने पर ही बस का डंडा छोड़ पाया। मैंने डीटीसी के मुख्यालय में डाक द्वारा इस घटना की शिकायत कर दी। मुझे वजीरपुर डिपो बुलवाया गया। जब मैं वहां पहुंचा तो बयान देने के बाद कुछ कंडक्टर ड्राइवर मुझे पीटना चाहते थे। डिपो मैनेजर ने यह बात भांप ली और वह मुझे अपनी जीप से मेरे घर छोड़ कर गया। अक्सर बसों के झगड़े सुनने में आते रहते हैं प्राइवेट बसों के स्टाफ की तो गुंडागर्दी की कहानी देखने सुनने का तो आप सभी को अनुभव होगा।

मेरे एक बच्चे को पोलियो हो गया था। उस बच्चे की आयु 1970 में लगभग 9 वर्ष थी। उसको बुखार आने लगा, वह भी 15-20 दिन रोज ही आता रहा। मैं उसे हिंदूराव अस्पताल में ले गया। वहां एक डॉक्टर मेरा पड़ोसी था। उस डॉक्टर को दिखा कर बताकर कि इस लड़के ने कई दिन से शौच नहीं किया है, मैं चला गया। पत्नी उसके साथ अस्पताल में रह गई थी। मैं रात्रि के 9:30 बजे प्रौढ़ स्कूल की ड्यूटी खत्म करके पहुंचा था। पता किया कि बच्चे को टट्टी आई या नहीं तो पता लगा कि उसकी दवाई नहीं दी गई। बुखार के कैप्सूल दिए जा रहे हैं। मैं डॉक्टर से मिलने की कोशिश कर रहा था। पता लगा कि

डॉक्टर साहब सो रहे हैं। मैंने उन्हें जगाया। वह मुझ पर भड़क गए। पूछने पर की बच्चे को टट्टी क्यों नहीं कराई गई उन्होंने उत्तर दिया कि डॉक्टर तुम हो या हम। मैंने सुनाया कि तुम भले ही डिग्री लेकर डॉक्टर बन गए हो मगर डॉक्टरी पेशे के योग्य नहीं। मुझे अस्पताल से बच्चे की छुट्टी करानी पड़ी। नजदीक ही सेंट स्टीफंस अस्पताल में बच्चे को ले गया। उन दिनों अस्पताल केवल जच्चा-बच्चा की देखभाल करता था। बड़ी कठिनाई सामने आई उसे वहां दाखिल कराने में। मेरी बात सुनकर उन्होंने बच्चे को एनिमा कराया, बच्चे का 2 घंटे में ही बुखार उतर गया और बच्चा ठीक हो गया। उन्होंने बच्चे को टीबी होने की बात कही। मैं वहां डॉक्टर आतम को ले गया, उसने बताया कि बच्चे को टीबी बताना गलत है। उसकी छुट्टी कराकर मैंने पीली कोठी टीबी सेंटर में और फिर किंग्सवे कैंप राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल में दिखाया। वहां उन्होंने भी टीबी ना होने की बात कही। नाहक परेशान हो गया था मैं। कभी-कभी डॉक्टर की लापरवाही और गलत इलाज भी आदमी की जान ले लेता है।

एक बार छात्रों व अध्यापकों का एक टूर श्रीनगर गया था। हम लोगों ने दिल्ली के स्काउट्स एंड गाईडस दिल्ली के चीफ कमांडर व दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद श्री राधारमन जी से कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री शेख अब्दुल्ला जी के नाम पत्र लिखवाया और कश्मीर में यूथ हॉस्टल के मैनेजर को भी हमारे लिए कुछ कमरे पहले से बुक करके रिजर्व रखने हेतु प्रार्थना पत्र भिजवा दिया था।

मेरे जीवन की वही पहली व अंतिम हवाई यात्रा थी। हॉस्टल में गए तो रात्रि का समय था और हमारे लिए कमरे भी रिजर्व न थे। वहां 50 पैसे प्रति छात्र किराया था। हमारी वहाँ ठहरने की मजबूरी थी, हमें वहाँ घुसने नहीं दिया जा रहा था। मैंने अंदर उनसे जाकर बात की तो

मुझे एक हॉल खाली नजर आ गया। मैंने सभी छात्रों और अध्यापकों को अपने-अपने बिस्तर जमीन पर लगाने को कह दिया। उन्होंने पुलिस बुलाई जिसने हमारा ही पक्ष लिया। अगले रोज छात्रों को घुमाने हेतु बस बुक कर ली गई। छात्र अन्य अध्यापकों के साथ घूमने चले गए। वहां खाने, पानी पीने व स्नान आदि के लिए प्रबंध ना था। एक अध्यापक के रिश्तेदार वहां एसपी थे। उन्होंने हमारे लिए पानी के एक टैंकर की हर समय खड़े रखने की व्यवस्था करा दी थी। मैंने सभी छात्रों और अध्यापकों का 4 दिन के लिए राशन कार्ड बनवा लिया। सब वस्तुएं सस्ती मिली। तवा, परात, बड़ा भगोना खरीद लिया। दो लड़के जिन्होंने कश्मीर पहले कभी देखा था मेरे साथ हॉस्टल में ही रह गए। हम लोगों ने 3 दिन का स्वयं छात्रों के लिए खाना बनाया। मुझे खाना बनाना आता था। सस्ते में वहां का काम निपटा लिया था।

सातवीं कक्षा का एक छात्र बिना किसी अध्यापक को बताए गवर्नमेंट एंपोरियम चला गया था। हम कुछ लोग डल झील किनारे में घूमने गए थे। शिकारे वाले ने डल के किनारे कुछ दुकानों के पास शिकारा रोक लिया था। हम लोगों ने वहां से शहद खरीदा था। हमें शहद की मक्खियां पालने वालों ने मक्खियों के बड़े-बड़े छत्ते दिखा कर मोह लिया था। वह शहद नकली था। एक दुकानदार ने अपने को एक मास्टर जी की औलाद बता कर मीठी-मीठी बातों में बहला लिया था। हम लोगों ने उससे सौ-सौ रुपये की दर से कई गाउन खरीदे थे। वापस हॉस्टल जब पहुंचे तो सातवीं के छात्र उस लड़के की खोज कर रहे थे। वह लड़का वापस आया उसको हम लोगों ने समझाया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसने सरकारी एंपोरियम से हमारे जैसा ही एक गाउन 65 रुपये का खरीदा था। हम लोगों ने अध्यापक के रिश्तेदार एसपी को कहा। उसने एक थानाध्यक्ष को हमारे साथ भेजा तो हम

लोग गाउन वापस कराने में सफल हुए। एसएचओ ने हम लोगों को हमारे साथ जाने से पहले समझाया था कि यहां पर राज्य संगीनों की नोक पर चलता है, मुझसे अलग कोई अध्यापक ना होना। यहां के लोग बाहर वालों को काट कर झील में फेंक देते हैं। यह बात कहां तक सही थी, हम नहीं कह सकते।

मैं 1972 में हिंदी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद की स्टैन्डींग कमेटी का सदस्य बना था। मुझे उन दिनों वहाँ की परीक्षाओं का अनुभव हुआ। दिल्ली में गांधी नगर स्कूल के केंद्र पर मुझे परीक्षा अधीक्षक का कार्यभार दिया गया था। परीक्षाएं प्रारंभ होते ही अध्यापकों ने छात्रों को नकल कराने के सभी प्रकार के साधन उपलब्ध कराए। मेरे एतराज करने पर मुझ पर हमारे सरकारी स्कूलों के अध्यापकों ने ही, जो निरीक्षकों के काम पर लगे थे, हमला करने की कोशिश की। लोगों ने विद्यार्थियों को नकल करने के ठेके ले रखे थे। ज्यादातर हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापक ही वहां थे, उन्होंने छात्रों से सम्मेलन की विषयों व कक्षाओं में दाखिले से लेकर पास होने तक के ठेके लिए हुए थे। ऐसे ही ओपन स्कूल परीक्षा केंद्रों में देखने को मिला। दिल्ली सरकार के पत्राचार विद्यालय में ज्यादातर छात्र छात्राएं भी नकल करके ही पास होने की सोच रखते हैं, भले ही परीक्षाएं सीबीएसई के प्रबंधन में हों। वहां भी कुछ छात्र नकल करके अच्छे अंक लाने की कोशिश करते हैं। ऐसी प्रवृति अच्छी नहीं है, उनमें योग्यता की कमी रहती है। उसे ठीक दिशा देना अत्याधिक आवश्यक है।

एक दिन मैं मौरिस नगर में बस में जैसे तैसे चढ़ा। छात्रों की भीड़ थी। मैं गेट के पास ही खड़ा था। कुछ छात्र पायदान पर लटक रहे थे। वे चाहते तो अंदर तक आ सकते थे पर नहीं आए। रोशनआरा रोड पर बस पैलेस सिनेमा के सामने जब पहुंची तो वहां पर तिरछे खड़े ट्रकों

की पंक्ति काफी लंबी थी। पायदान पर खड़े एक छात्र को ट्रक का पीछे का हिस्सा टकराया। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे काफी चोट आई और काफी खून बह रहा था। मैंने छात्रों को ललकार कर कहा कि इस लड़के को लेकर अस्पताल जाए। मगर वह जाने को तैयार नहीं थे। उन्हें डर था कि पुलिस उन्हें तंग ना करे। मैंने वहां से गुजरने वाले थ्री व्हीलर वालों से गुजारिश की मगर कोई पुलिस के डर के कारण आने को तैयार न हुआ। बड़ी कठिनाई से एक तैयार हुआ जब उसे मैंने आश्वासन दिया कि मैं जिम्मेदार बनता हूं और किराया भी दूंगा। मैं और एक छात्र उसे हिंदूराव अस्पताल ले गए। लड़के की बोलने की शक्ति दो घंटे बाद लौटी। तब उस छात्र से उसके घर का पता तथा फोन नंबर पूछा और उसके घर फोन करके घरवालों को मैंने अस्पताल बुलाया। वे मुझे और साथ वाले छात्र को धन्यवाद दे रहे थे। तब उस छात्र ने मुझसे कहा कि सर उसे उस चोटिल छात्र की मदद करने से बड़ा सुकून मिला है और वह जहां भी उसे मौका मिलेगा अवश्य मदद करेगा।

एक दिन फिर मैंने मॉरिस नगर से कश्मीरी गेट के लिए बस पकड़ी। छात्र-छात्राओं की काफी भीड़ थी। मेरे हाथ में काफी तकलीफ थी, उसमें मवाद भरा हुआ था। पट्टियां बंधी थी। मैं पीछे कंडक्टर के पास खड़ा था। कंडक्टर की सीट से आगे की सीट पर तीन लड़के बैठे थे और उससे आगे तीन लड़कियां। फिर और आगे की सीट पर तीन लड़के थे। उन लड़कों ने अपनी पीठ पलटकर पीछे की सीट पर बैठी लड़कियों की ओर मुंह कर लिया। इस तरह वे और पीछे की सीट पर बैठे लड़कों के बीच की सीट पर बैठी लड़कियों के साथ काफी छेड़छाड़ करने लगे। उनकी अश्लीलता इतनी अधिक थी कि बयान नहीं की जा सकती। पीछे से पीछे वाले छात्र उनको चींटे भर रहे थे और आगे वाले पीछे मुंह कर के उनकी छातियों पर हाथ डाल रहे थे। दो चार आदमी

व दो चार स्त्रियाँ ही बस में होंगी। उन छात्रों ने बस को लाल किले से पहले रुकने भी नहीं दिया। मैं बिल्कुल ही असहाय था। वे लड़की और मैं लाल किले पर उतर गए। मैंने लड़कियों से कहा कि तुम अब यहाँ जनता को कहो और मैं भी कहूंगा। मगर लड़कियों ने कुछ कहने से मना कर दिया। कहने लगीं कि यह लड़के हमें फिर रोज-रोज तंग करेंगे। शिकायत करने पर भी क्या होगा, कोई कुछ नहीं करेगा।

एक दिन मैं दिल्ली से हापुड़ प्राइवेट बस में जा रहा था। आगे की सीट पर था मैं। बस ने जब मसूरी से गंग नहर के पुल को पार किया तो मुझे एक व्यक्ति सड़क पर पड़ा हुआ दिखाई दिया। वह लग रहा था कि बेहोश होकर मर चुका है। उसके पास ही एक नई साइकिल पड़ी हुई थी जिस पर कैरियर पर बिस्तर बंधा हुआ था। मैंने ड्राइवर से बस रुकने को कहा। उसने बताया कि सुबह वह अपनी बस को लगभग 4 घंटे पहले लेकर जब यहां से गुजर रहा था तब भी वह व्यक्ति इस स्थिति में पड़ा था। फिर मैंने ड्राइवर से कहा कि भैया इसका मतलब है कि यह व्यक्ति मर चुका होगा। किसी ने पुलिस को खबर नहीं की होगी। उन दिनों मोबाइल फोन का जमाना नहीं था। ड्राइवर ने मेरे कहने पर बस वही उस आदमी के पास रोक ली। कुछ लोग और भी बस से मेरे साथ उतरे और उसे गौर से देखा कि वह मरा हुआ सड़क पर पड़ा है। हम सब लोग दो-तीन मिनट बाद ही बस में चढ़ गए। पिलुखुवा का स्टैंड था। मैं वहां उत्तर गया और थाने पहुंचा। थाने वालों को मैंने वह स्थान बताया जहाँ पर वह शव पड़ा था। वे मुझसे कहने लगे कि चोट उसे कैसे लगी, किसने मारी, अर्थात मुझसे ऐसे बात करने लगे जैसे मैं स्वयं खड़ा एक्सीडेंट की घटना देख रहा था। मुझे बर्दाश्त न हुआ। मैंने कहा कि मैंने वहां एक पुलिस वाले को देखा था जो उस व्यक्ति को पीट रहा था और वह व्यक्ति मर गया। व्यक्ति को वह कह

रहा था कि मैं पिलखुआ का थानेदार हूँ। मैंने उन्हें कहा कि तुम लोगों को 4 घंटे में किसी ने इसीलिए नहीं बताया कि तुम लोग नाजायज तंग करते हो। मैंने अपना पूरा परिचय दिया, फोन नंबर बताया और उन्हें यह भी बताया कि मेरठ शहर के एसपी मेरे अच्छे परिचित हैं। उनका फोन नंबर भी मैंने थाने वालों को बताया तब कहीं जाकर उन्होंने मुझे वहां से जाने दिया।

हमारे स्कूल में एक अध्यापक ओपी पाहूजा था। वह ललिता पार्क आजाद पुर में रहता था। फैक्ट्री भी लगा रखी थी। सुना है कि उसने अपनी पत्नी को हरिद्वार गंगाजी में डूबाकर मारा था। और एक मालदार पत्नी से शादी कर ली थी। उसी के नाम फैक्ट्री थी। हमारे स्कूल में दो शिफ्ट थी, वह शाम की शिफ्ट में था। दोनों शिफ्टों का प्रधानाचार्य एक ही था जो सुबह की शिफ्ट में काम करता था क्यूंकि 9वीं, 10वीं और 11वीं कक्षाओं में काम ज्यादा होता था। पाहुजा एक बजे स्कूल में आता था। हाजिरी लगाकर, थोड़ी देर रहकर भाग जाता था और सदर बाजार में व्यापारिक काम करता था। शिक्षाधिकारी के घर किसी ना किसी बहाने मिठाई या कोई तोहफा लेकर जाता रहता था। उस पर कंट्रोल हेतु प्रधानाचार्य ने मेरी सलाह से उसे पहली पाली में अपनी देखरेख में तब्दील कर लिया था। उसका काम खराब होने लगा, उसने कई शिकायतें की कि मैंने अपना स्कूटर उसे चोट पहुंचाने हेतु उसके स्कूटर से टकराया है। मैं उसे कभी मार दूंगा, इसलिए प्रथम पाली में ना रख कर शाम की पाली में तब्दील कराए। मैं प्रथम पाली में था। उसकी दलील किसी को रास ना आई। एक दिन उसने स्टाफ मीटिंग में भी यह बात उठाई। मीटिंग खत्म होते ही वह जोर-जोर से मेरे पीछे भागा और उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। मैंने उसको काफी पीटा। वह सस्पेंड होना चाहता था ताकि व्यापार हेतु अच्छा समय मिल सके।

निलंबन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी उसकी सोच थी। हम दोनों ही उस मामले में निलंबित हो गए थे। मुझे काफी हानि पहुंच रही थी। वह तो व्यापार से कमा रहा था। मेरी पुत्री की शादी होकर निबटी थी। पैसा था नहीं, बच्चों का पालन कठिन हो गया था। इससे पहले भी 1975 में ही मेरा निलंबन अध्यापकों की हड़ताल में भाग लेने के कारण हुआ था। परंतु दो ढाई माह में ही निलंबन समाप्त हो गया था। दूसरा निलंबन पाहुजा की बदमाशी से 1975 में हुआ था जो 1977 तक चला था। 1970 में तथा 1975 में भी, तीनों निलंबन बीके अग्रवाल के द्वारा ही कराए गए थे।

1977 में जब जनता पार्टी पावर में आई तो उसने शाह कमीशन का गठन किया था जिसमें इमरजेंसी के दौरान परेशान किए गए लोग अपनी शिकायतें कर सकते थे। मैंने बीके अग्रवाल के खिलाफ लिखा था। सुनवाई हुई और बीके अग्रवाल द्वारा माफी मांगने के बाद केस समाप्त हुआ। आईओ श्री वीके सिंह ने बीके अग्रवाल के विरुद्ध मेरे पक्ष में लिखा था कि जांच कर बीके अग्रवाल को सजा दी जाए।

1977 में श्री केके भसीन संयुक्त निदेशक (प्रशासन) थे। उन्होंने मेरा निलंबन समाप्त करने के लिए आदेश लिखे थे मगर उस दिन वे आदेश मुझे न दे सके थे। अगले दिन मैं आदेश लेने गया तो भसीन जी छुट्टी पर थे और उनके स्थान पर श्री लक्ष्मण दास गुप्ता काम कर रहे थे। उन्होंने मेरी फाइल निकलवा कर पढ़ी और मुझे बताया कि दोनों के निलंबन का एक ही केस है इसलिए निलंबन दोनों का ही रद्द करना पड़ेगा। मेरा अकेला का रद्द नहीं हो सकता। पाहुजा को सुनवाई हेतु बुलाते मगर वह किसी न किसी बहाने बहुत ही कम तारीखों पर जाता था। मुझे निलंबन शीघ्र रद्द कराना था तो गुप्ताजी ने हम दोनों ही का निलंबन रद्द करा दिया। उसका अनुमोदन हेतु शिक्षा निदेशक बीके सिंह

के पास फाइल गई तो उन्होंने मेरी सेवा पंजिका में भी "चेतावनी" हेतु लिख दिया था। उस समय जनता पार्टी का राज था। दिल्ली के प्रमुख महानगर पार्षद श्यामा चरण गुप्ता जी थे। उन्होंने शिक्षा निदेशक को धमकाया तब वह "चेतावनी" शब्द हटाया गया। पाहुजा को एक गांव में तब्दील किया गया और मुझे कुतुब रोड में ही रखा गया। मैंने वहां नहीं रहना चाहा तो मुझे लारेंस रोड में और फिर 15 दिन बाद अशोक बिहार में तब्दील कर दिया गया।

उसके बाद लुडलो कैसल स्कूल नंबर दो में तब्दील हो गया। वहां प्रसिद्ध प्रधानाचार्य श्री आर सी पाठक थे जो काफी योग्य व बुजुर्ग थे। वे दिसंबर की शरद ऋतु से कुछ पहले अस्पताल में दाखिल हो गए थे। स्कूल खुलने के तीन-चार दिनों बाद तक डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने के लिए छुट्टी दे दी। यदि उन्होंने छुट्टी के पहले या बाद (एक ही ओर) छुट्टी ली होती तो 7-8 दिन की छुट्टी का लाभ मिल जाता, मगर उन्हें शरद अवकाश का लाभ नहीं मिल रहा था। मैं अस्पताल गया वहां के डॉक्टर श्री पीएस गुप्ता (एचओडी) मेरे मित्र थे और उन्हीं के द्वारा पाठक साहब का इलाज हुआ था। मैंने उन्हें परेशानी बताई और उनकी बीमारी के कारण आराम करने का समय कम करा लिया। इस प्रकार उनको छुट्टियों का लाभ मिल गया। सरकारी अवकाश के दिन बीमारी के कारण अवकाश में नहीं जुड़े। वे दोबारा फिर काफी बीमार पड़े। काफी गंभीर बीमारी थी उनको। बार-बार पेशाब बिस्तर पर निकल रहा था। मैं उन्हें अस्पताल देखने गया था। मैंने चादर खराब होने पर दूसरी चादर निकलवाई और खराब चादर स्वयं धोकर सुखा दी। फिर नई चादर शीघ्र ही मल से खराब हो गई। मैंने फिर नई चादर ली और खराब धोकर सुखा दी। इस प्रकार मैंने तेरह नई चादर ली और खराब चादर धोकर सूखा दीं। कुछ समय तक सबसे पहली चादर सूख चुकी

थी इस प्रकार मुझे बाद में बार-बार नई चादर नहीं लेनी पड़ी। मैं खराब चादर धोता रहा और सूखी हुई प्रयोग करता रहा। दो दिन यही हालत बनी रही और मैं अस्पताल में ही रहा। मेरी डॉ गुप्ता से अच्छी दोस्ती थी। उनकी कृपा से ही तेरह चादर निकलवाने में सफल रहा था। बाद में पाठक साहब को अस्पताल दिखाने, दवाइयां खरीदना व क्लेम करना मेरे ही में जिम्मे रहा।

उन्होंने मेरे दो पीरियड, तीसरा व चौथा, खाली कर दिए। साथ में आधी छुट्टी का समय भी मुझे मिल जाता। इन तीन पीरियड में मैं लगभग हर दिन लोकनायक अस्पताल जाकर किसी न किसी स्टाफ के परिवार वालों को डॉक्टरों को दिखाकर उनकी मदद करता था। करीब-करीब हर डॉक्टर, एक्स-रे व खून टेस्ट करने वालों से मेरी उन दिनों दोस्ती हो गई थी। लुडलो कैसल स्कूल में छात्रों का दाखिला कठिन कार्य था। मैं इस काम में अस्पताल वाले लोगों की सहायता करता था।

लुडलो कैसल नम्बर 2 स्कूल के प्रांगण में स्कूली छात्रों के खेलने के लिये एक बड़ा हाल था जो दिल्ली सरकार ने शारीरिक कॉलेज को दे दिया। कॉलेज के छात्र कपड़े उतार अश्लील हरकते करते थे। स्कूल की खुली जगह पर कब्जा जमाने लगे। मुझे यह बर्दाश्त न हुआ। लड़कों का झगड़ा भी हो गया। मारपीट हो गई। स्टाफ के सदस्यों को चोट भी आ गई। दोनों तरफ से सिविलि लाईन्स थाना में एफआईआर की गयी। शिक्षा निदेशक ने प्रधनाचार्य की तबदीली कर दी। मुझे दुख पहुंचा कि झगड़े को समाप्त करने मुझे प्रधनाचार्य ने भेजा था। उस झगड़े की जिम्मेदारी मुझ पर पड़नी चाहिए थी। शिक्षा निदेशक महोदय को मैंने मामला समझाया। प्रधानाचार्य की तबदीली रूकवाई और अपनी करा ली। केस दोनों तरफ से कोर्ट में लगभग आठ साल चले। हम लोगों ने समझौता कर लिया था। केस समाप्त हो गये।

4

मैंने जैसा बताया कि हमारा दूध, घी व खोए का भी अच्छा व्यापार था। दिल्ली मिल्क स्कीम का प्लांट शादी पुर डिपो में है। 1958 में यह प्लांट चालू हुआ था। हमारा उस समय खारी बावली, कंपनी बाग, चांदनी चैक में खोए का व्यापार था। वहां खोए की पुरानी दुकानें मेरे भाई बंधुओं की ही थी। हम 1958 तक दूध कुछ दुकानदारों को और कुछ डेरी को देते थे। 1958 में कुछ दूध दिल्ली मिल्क स्कीम की डेरी पर दे दिया। दूध के ठेकेदार बनवाए। मैं सेक्रेटरी बना। 1975 में मैं सस्पेंड हो गया था। समय काफी था। पत्नी शकुंतला व बेटे राजेश के नाम से अग्रवाल एंड कंपनी और गुप्ता ब्रदर्स के नाम से दो फर्म बनाकर मिल्क स्कीम डेयरी के चेयरमैन आनंद मोहन लाल से हमने आइसक्रीम बेचने के लिए नई दिल्ली कमेटी से 20 लाइसेंस के लिए लिखवा दिया। 15 लाइसेंस लेकर मिल्क स्कीम पर आइस क्रीम का बंद प्लांट चलवा दिया। घी व मक्खन की एजेंसी ली। मैं यहाँ 1975 में यूनियन का सचिव चुना गया था। गांव के लोग ठेकेदार पढ़े लिखे न थे।

मैंने दूध के 5 रुपये रेट बढ़ाने पर जोर दिया। एक दिन की हड़ताल भी करा दी। उस दिन सारी दिल्ली में कहीं से भी दूध न आने दिया, रेट बढ़ गए।

एक दिन चेयरमैन ने कहा कि डेरी में चार चार किलो के डिब्बों में हजारों टन घी जमा हो रहा है जिनमें एक-एक इंच मोटा काला घी जमा हो रहा है। डिब्बे कैसे बिकें। मैंने सलाह दी कि आप दुकानदारों को अपनी दूध की गाड़ियों में सप्लाई करते हैं। आप एक टन घी लेने वाले दुकानदारों को ही आठ-दस घंटे गाड़ी फ्री में दे दे। दो सौ किलो तक

की बिक्री करने वालों को कमीशन 65 पैसे प्रति किलो देते हो और एक टन पर ₹110 देते हो। अच्छा हो हर 100 किलो पर 10 पैसे बढ़ा दो।

मैंने एक टन घी और 200 से 500 किलो मक्खन अपने दोनों फ़र्मों के नाम बिना एडवांस जमा कराए दो गाड़ी डेरी से निकलवाई। जगह बारहटूटी चौक, खारी बावली, लाहोरी गेट चुनी। कभी-कभी और जगहों के दिन बाँट दिए। दोनों गाड़ियों में जो माल बच जाता डेयरी वापस भिजवा देता। मैं अपना कमीशन रखकर पैसे जमाकर देता था। घी दो माह में ही समाप्त हो गया। बूथों पर उन दिनों दूध टोकन से मिलता था। टोकन बनते न थे। मैंने चेयरमैन से शर्त रखी कि हर ठेकेदार जिसका रोज दो क्विंटल दूध आए उसकी सिफारिश पर चार बोतल का एक टोकन माहवार जारी करें। उन ठेकेदारों की सूची मेरे पास रहती। मैं ठेकेदारों के नाम से सिफारिश करता था जिससे 10-20 टोकन रोज बनवा देता। वहां के कर्मचारी और अफसर भी मुझ से सिफारिश करवा कर टोकन बनवाते थे। मैं चेयरमैन का मुख्य आदमी बन गया था। मैंने आइसक्रीम के लाइसेंस पत्नी की फर्म अग्रवाल एंड कंपनी के नाम बनवा रखे थे। सेल्समैन आईसक्रीम बिक्री करके जो पैसे लाएं वे किसी ना किसी बहाने देते न थे। कई कई हजार रुपये मार लिए, कभी वापस नहीं किए। आइसक्रीम भी दिल्ली मिल्क स्कीम की न बेचकर और ही कंपनी की बेचने लगे। मैंने काम बंद कर लाइसेंस वापस कर दिए।

एनडीएमसी में वीएस एहलावादी मेम्बर सेक्रेटरी था। वह मेरे सहपाठी का छोटा भाई था। वह मेरे काफी नजदीक हो गया था। उसे जनता सरकार ने सस्पेंड कर दिया था। मैंने चैधरी चरणसिंह के गाँव के लोगों की व श्यामाचरण गुप्ता जी की सहायता से उसे बहाल करवा दिया था। इतना ही नहीं उसे डीडीए के वाइस चेयरमैन की पोस्ट पर

लगवा दिया। मैंने उसे दो काम डीडीए के बताए थे। उसने एक भी न किया। मैंने भी जिन लोगों की सहायता से उसे वाइस-चेयरमैन के पद पर पहुंचाया था, उन्हीं की सहायता से दिल्ली से भगवा दिया। वह पंजाब कैडर से था। उसे वहीं भिजवा दिया।

उन दिनों दीपचंद बंधु डिप्टी मेयर थे। इलाहावादी एक दिन मुझे बंधु जी के पास बैठा मिला। वह नगर निगम का कमिश्नर बनने के लिए कह रहा था। बंधु जी मेरे साथ अध्यापक रहे थे और उस समय मैं उनके सगे छोटे भाई की तरह था। मैंने इलाहावादी का हाथ पकड़ कर बंधु जी के कमरे से बाहर निकाल दिया था। बंधु जी मुझसे नाराज हो गए थे। मैंने उन्हें बताया कि यह व्यक्ति बेवफा है, मेरा ना हुआ आपका क्या होगा। मैंने इसकी सस्पेंशन समाप्त करवाई, डीडीए का वाइस चेयरमैन बनवाया और वह मेरे से गद्दारी कर गया, इसलिए पंजाब वापस चला गया है। अब इसे दिल्ली में नहीं आने दूंगा।

मैं सरकारी कवाटर 506 तिमार पुर में रहता था। 505 नंबर में मेरे नीचे एक थानेदारनी वीना नागरथ रहती थी। उसका अपने पति से लगभग रोज ही झगड़ा होता था। वह गुंडा था। एक दिन 9-6-1980 को उसने पत्नी पर रात को मिट्टी का तेल छिड़कर जला कर मार डाला। मैं जब घर पर नहीं था। वह जलाकर घर के बाहर आया ही था कि मैं घर पहुँच गया। उसे पकड़ा। पुलिस के हवाले किया। उसका एक बेटा साढ़े चार वर्ष आयु का था और दूसरा बेटा 5-6 माह का था। बड़ा बेटा गवाह था। मैं भी गवाह बना परंतु चश्मदीद गवाह न बन सका क्योंकि मैंने उसे जलाते न देखा था। तीन साल मुकदमा चला। वह छूट गया। मेरे घर आकर गुंडागर्दी करने लगा। पुलिस ने FIR लिख ली। उससे भी मेरे तीन मुकदमे चले। नाहक ही मैं फंसा, परंतु मुझे संतोष था कि मैंने अपना फर्ज अदा किया था। सच बोला। थानेदारनी का बाप पागल

हो गया था। उसका बड़ा भाई चिराग दिल्ली में रहता था। वह दिल के फेल होने से मर गया। माँ बाप, एक बहन और दो भाई ईस्ट ऑफ कैलाश में रहते थे। आमदनी का जरिया न था। वकील को 500 रुपए मैंने दिए थे। पुरानी दिल्ली जुबली सीनेमा के सामने हार्डिंग लाइब्रेरी थी। थानेदारनी वीना नागरथ की बहन को मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को सहायता से नौकरी दिलायी थी। प्रोफेसरों के द्वारा उस लड़की की लाइब्रेरी में नौकरी हेतु परीक्षा मे फेल होने पर मैंने कॉपी दोबारा जांच के लिए आवेदन कराया। उन प्रोफेसरों को वीना के घर वालों की हालत बतायी। वे रहम कर के दूसरी परीक्षा में पास कर गये थे।

1980 मे वीना नागरथ मर्डर केस के बाद वीना के घर वालों ने मुझे चश्मदीद गवाह बनने के लिये कहा। मैंने जो देखा उससे अधिक मैं कहने के लिये तैयार न हुआ। जब कभी मैं अकेला कमरे में या अपनी छत पर अकेला रात्री में सोने जाता तो अक्सर वीना नागरथ की आत्मा मेरे सामने आ जाती जो मुझ से चश्मदीद गवाह बनने का कहती। मैं बहुत परेशान हो गया और यही बात लेकर एस्टेट निदेशालय निर्माण भवन क्वाटर बदलने कि गुहार करने जाने लगा।

निर्माण भवन मे क्लर्क (लेडी) ने मुझे अपनी बहन सरोज की शादी मे धोखाधड़ी की बात बतायी। सरोज का कोई भाई-बहन न था पिता भी मर चुका था। सरोज लगभग 22-23 वर्ष की थी। माँ दहेज देकर शादी कर नहीं सकती थी। गुजारा करना भी कठिन था। उसके पड़ोसी के पास नगर निगम में चपरासी भवर सिंह बांसल आया करता था जिसकी आयु लगभग 40 वर्ष थी। उसके पड़ोसी ने सरोज की माँ से भवर सिंह बांसल का परिचय भवर सिंह बंसल कह कर कराया। बांसल व बंसल की अंग्रेजी मे एक ही स्पेलिंग Bansal होती है। पड़ोसी ने

सरोज की माँ को समझाया कि भवर सिंह बांसल वैश्य है, उम्र जयादा हुई तो क्या पर तुम्हारी ही जात का वैश्य है और सरकारी नौकरी है। सरोज की शादी भवर सिंह बांसल से बंसल समझ कर हो गई। बांसल गुज्जर होते है। सरोज शाहदरा में रह रही थी। बांसल शादीशुदा था। गाँव में उसकी बीवी अपने चार बच्चों के साथ रह रही थी। दूसरी शादी के बारे में उसकी पहली बीवी को नहीं बताया गया था और सरोज को भी नहीं बताया गया था। सरोज के चार बच्चे थे। एक गर्भ में भी था। ऐसे समय में भवर सिंह टी.बी. से मर गया था।

उसके स्थान पर नौकरी पाने हेतु पहली बीवी और सरोज दोनों एक दूसरे से नगर निगम कार्यालय में मिले तो सारा राज खुला। नगर निगम किस को उसके स्थान पर नौकरी व दूसरे लाभ दे, यह झगड़ा पड़ गया। मुझसे इस मामले को सुलझाने की प्रार्थना की गई। नगर निगम ने कहा कि कोर्ट से हमें जिसके हक फैसला लिख कर मिलेगा उसी को नौकरी देंगे।

मैं उसके गाँव गया। उसके जेठ, देवरों, सास-ससुर व गाँव के प्रधान से मिला। उन्हें बताया कि मैं सरोज का रिश्तेदार हूँ। कोर्ट में मुकदमा मैं लड़ूँगा। सरोज अकेली नहीं है। उन्हें समझाया कि गाँव में भवर सिंह के हिस्से की दस बीघे जमीन पहली बीवी को दे दी जाए। उसमें सरोज का दखल नहीं होगा और शहर की नौकरी सरोज को दे दी जाए। दोनों का गुजारा हो जाएग। सरोज के बच्चे छोटे है और पहली बीवी के बच्चे बड़े हैं। दोनों का ठीक ठाक गुजारा हो जाएगा। इस बात पर सब राजी हो गये।

उपरोक्त राजीनामा के गाजियाबाद एसडीएम के हस्ताक्षर से कागज तैयार कराकर नगर निगम गया। उन्होंने दिल्ली कोर्ट की बात भी कही। मैंने अपने मित्र वकील से जज के यहाँ केस डलवाया। दो महीने में ही

उस कागज पर जज का फैसला सरोज के हक में हो गया। उसे नौकरी (वाटर वोमैंन) मिल गई। सभी लाभ भी मिल गए। पता लगा कि सरोज की गाँव वालों ने भवर सिंह के छोटे भाई से शादी करवा दी। सरोज की परेशानी दूर होने से मुझे अत्यंत खुशी हुई कि दो चार दिन परेशान रहकर उस बेसहारा का काम करा दिया। ईश्वर ने मेरे द्वारा एक और नेक काम करा दिया।

13-6-1980 को गुजराती समाज के पीछे स्थित नारी रक्षा समिति के कार्यालय में समिति की अध्यक्षा श्रीमती सरला मुद्गल से श्रीमती ताजदार बाबर के आदमियों से झगड़ा हो गया था। लुडलो कैसल स्कूल न. 2 के पीछे गली मे समिति का दफ्तर है। वहाँ से चीखने की आवाज आई। सरला मुद्गल की आवाज थी। मैंने दीवार फाँदी। वहाँ कमरे में से सरला को छुड़ाया। मुझे चोट आई। दफ्तर के दरवाजे के पास गली में तीन थ्री व्हीलर खड़े थे। उनके ड्राइवरों को मैंने लानत दी कि तुम एक औरत के झगड़े को देख रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती। उसकी मदद नहीं कर सकते थे। वह महिला रो रही थी। उसकी साड़ी खोलने की कोशिश की गयी थी। मैंने उसे थ्री व्हीलर में बैठया और उसके पूछने पर मैंने उसे बताया कि मैं इस स्कूल मे अध्यापक हूँ। वह अगले रोज मेरे घर पहुंची। मुझ से मदद मांगी। मैंने उसे बहन बनाया और थाना सिविल लाइंस में FIR लिखवाने पहुंचे। एसएचओ जयपाल सिंह मेरा मित्र था। उसने बताया कि उसे एफआईआर न लिखने का आदेश पुलिस कमिशनर भिंडर से आया है। वह उपराज्यपाल जगमोहन के पास भी गई और फिर मेयर के भी। दोनों ने उसे सहायता करने से मना कर दिया। बताया कि संजय गांधी ताजदार बाबर का मददगार है। वह इंद्रा गांधी के पास गई। उसने कहा कि संजय से बात करना। 23-6-1980 को संजय गांधी का हवाई जहाज क्रैश होने पर स्वर्गवास हो

गया। 28-6-1980 को सरला मुद्गल कार्यकर्ताओं की एक बस भरकर शोक मनाने इंद्रा जी की कोठी पर ले गई। वहाँ इंद्रा जी ने सरला से पूछा कि तुम्हारा काम हुआ या नहीं तो मैंने उत्तर दिया कि सभी संबंधित अधिकारियों से मिल लिये है मगर किसी ने सहायता न दी। इंद्रा जी जाने लगीं तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने चिल्लाकर कहा कि यदि मैं मौके पर न होता तो सरल कि इज्जत तार-तार हो जाती। इंद्रा जी बिना कुछ कहे रोती हुई हम लोगों के पास से चली गयी। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि तुम्हें काँग्रेस के गुंडे उठा कर ले जाएंगे। हम लोग सर्राफ हॉस्पिटल दरियागंज के प्रांगण में इकट्ठे हुए और विचार विमर्श कर सारे लोगों ने इंद्रा जी के नाम एक प्रार्थना पत्र लिखा और उसमें सारा मामला बताया जिसकी कॉपी सांसदों की कोठियों पर जाकर उन्हें बांटी। शुक्र है मुझे कुछ न हुआ। मैं बच गया।

मेरे बेटे ने सरला जी को सलाह दी कि नारी रक्षा समिति को छोड़ कर नई संस्था बना लो। नई संस्था "कल्याणी" के बैनर तले कई लड़कियों के घर बसावाये गये। बहुत से लोग बहुओं से दहेज की मांग करते है और दहेज न मिलने पर उन्हे प्रताड़ित करते है। घर से निकाल देते है। ऐसे कई मामले हमने सुलझाये। मेरे लड़के ने शादी में पाँच बाराती ले जाने की जिद्द की। मैंने दहेज व आडंबर रहित दिन में सवा रुपया सगुन से शादी करने की ठानी। लड़की वाले काफी मुश्किल से माने थे। शादी में तत्कालीन श्री जगप्रवेश चंद्र (सी.ई.सी.) ने दुल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद दिया था और शादी कि रौनक बढ़ाई। मैंने सभी बच्चों की शादी सवा रूपया के सगन से ही की और दहेज नहीं लिया।

सन् 1981 की बात है कि एक दिन मैं बेला रोड, यमुना जी के किनारे सुबह सात बजे योगाश्रम ढूंढ रहा था। संयोग से जब मैं यमुना किनारे के पास पहुंचा तो मुझे एक व्यक्ति यमुना के गहरे पानी में

पहुचता हुआ दिखाई पड़ा। बाहर किनारे पर केवल दो चप्पल पड़ी थीं। कोई कपड़ा न था। जब वह व्यक्ति छाती तक पानी में डूब गया तो मुझे लगा कि शायद वह आत्महत्या करने जा रहा है। मैंने उसे ''ओ बूढ़े-ओ बूढ़े'' कहकर आवाज देनी आरम्भ की। आवाज ऊंची है, उसके कानों तक आवाज पहुंची। उसने पीछे पलटकर देखा और वह फौरन यमुना जी के बाहर आ गया और मेरे गले लिपट गया। वह मेरा एक पुराना मित्र था। हम दोनों शक्तिनगर एक ही मकान में अलग-अलग दो फ्लैटों में किरायेदार रह चुके थे। मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि वह यमुना जी में डूबकर मरने जा रहा था। उसका नाम लाला रामकिशन था। वह किसी दफ्तर से यू.डी.सी. के पद से रिटायर हुआ था और तीस हजारी कोर्ट में स्थित खजाने के गेट के पास एक मेज कुर्सी डाल टाईपिंग कर गुजारा कर रहा था। उसने मुझे बताया कि वह अपनी बेटी से परेशान था जो लड़की राजौरी गार्डन मार्केट में एक टी.वी. विक्रेता की दुकान पर काम करती थी। वहीं पर जौनपुर के एक गांव का रहने वाला एक राजपूत लड़का काम करता था। उस लड़के और लड़की में प्यार हो गया। उन्होंने शादी का दिन तय कर लिया था। बिड़ला मन्दिर में शादी करके राजौरी गार्डन फ्लैट पर पहुंचकर बाराती व घरातियों का खाने-पीने का प्रबन्ध लड़की के भाई राजेन्द्र कुमार गुप्ता ने किया हुआ था। राजेन्द्र पटेल नगर में पंजाब नेशनल बैंक का डिप्टी मैनेजर था। वह चाहता था कि लड़की शीघ्र शादी करे। घर में फिर मां बाप ही रह जायेंगे जो बूढ़े हैं और शीघ्र मर जायेंगे। फ्लैट पर अकेला अपने बच्चों के साथ काबिज हो जाऊंगा। यह सारी बात लालाजी ने मुझे विस्तार से बतायी। मैं उन्हें अपने घर ले आया। लालाजी से मैंने कहा कि शादी कर दो। जाति का फर्क है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने मुझे बताया कि वे राजपूत लड़के से मिले हैं। उस लड़के ने उन्हें बताया था कि वह

शादी शुदा है। उसकी पत्नी है और एक बच्चा भी है। वह जिला आजमगढ़ के किसी गांव में ब्याहा हैं। लालाजी शादी करना अनुचित समझ रहे थे। मुझे भी अनुचित लगा। लालाजी ने लड़के की ससुराल को एक पत्र द्वारा सूचना दे दी थी कि उनकी लड़की का पति दूसरी शादी उनकी (लालाजी की) बेटी के साथ कर रहा है।

मैं और लालाजी राजौरी गार्डन गये। दुकान पर लड़के व लड़की से मैं मिला। मैंने दुकान मालिक को भी यह सारा मामला बताया। लड़का-लड़की दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की। वे न माने। शादी करने पर तुले थे। मैं और लालाजी उस लड़के की ससुराल गये। लड़की के दो भाई लड़की की ससुराल वालों से मिले। लड़की ने अपने भाईयों को कहा कि वह शादी में रूकावट नहीं डालना चाहती। वह ससुराल वालों को नाराज करना नहीं चाहती। यदि नाराज होने पर ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया तो वह कहां जायेगी। अगले दिन लड़की के भाईयों के साथ हम लड़की की ससुराल वालों से मिले। उन्होंने कहा कि उन्हें शादी से इन्कार नहीं है। हम लड़की के भाईयों को दिल्ली में शादी के समय और स्थान का पता देकर वापिस दिल्ली आ गये। हम उन तीन दिनों में लगभग 30 कि.मी. पैदल चले थे। हम आजमगढ़ व जौनपुर के थाने में पुलिस को सूचना देकर ही लड़की की ससुराल गये थे। हमने थानों में बताया था कि हम ''कल्याणी'' संस्था से आये हैं। हमारी मदद करो। थाने वालों ने हमारी कोई सहायता न की।

दिल्ली बिड़ला मन्दिर पर लड़की के भाई आ गये थे। यहां हम लोगों ने शादी रूकवा दी। लड़का भाग गया था। हम लोग राजौरी गार्डन थाना भी गये। वहां सारा मामला सुनाया। हमने उनसे कहा कि हम शादी नहीं होने देंगे और हम टैंट उखाडेंगे, खाना जानवरों को

खिलायेंगे। थाने वालों ने हमे जुबानी अनुमति दे दी थी। शादी का सारा खाने-पीने का सामान हमने जानवरों को खिला दिया। बाराती व घराती सभी को मामला बता दिया था। वे शान्त अपने घरों को चले गये थे।

तीन दिन बाद लालाजी मेरे पास आये। उन्होंने बताया कि लड़का व लड़की दोनों ही भाग गये हैं और उन्हें लड़के राजेन्द्र कुमार ने मारा पीटा भी है। मुझे सहन न हुआ। मैं पटेलनगर बैंक गया ओर राजेन्द्र को पीटने लगा। बैंक वालों ने मुझसे पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया है तो मैंने सारा किस्सा बताया कि राजेन्द्र अपने बाप को मार पीटकर बैंक में आया है। सबने उसे जलील किया और बैंक ने शादी के लिए राजेन्द्र के पी.एफ. फंड से निकलवाये रुपये वापिस करने का आदेश दिया। कुछ लोन भी लिया था, उसे भी वापिस लिया गया। मुझे कष्ट हुआ कि लड़की काबू में न आई परन्तु खुशी है कि लालाजी आत्महत्या के पाप से बच गये। मेरा प्रयत्न कुछ तो सफल हुआ।

मैं दिल्ली सरकार के फ्लैट बी–109 मे रहता था। बी-105 में श्री चमनलाल प्रेमी रहते थे। वे लुडलो कैसल न. 1 स्कूल में अध्यापक थे। उनकी टांग मे कैंसर हो गया था। वे लोकनायक अस्पताल मे इलाज करा रहे थे। मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि जो भी दवाई डॉक्टर लिखे, आप उन्हें सम्हाल कर रख लें। तीन महीने से पहले से रियंबर्स हेतु बिल लगाएंगे। मगर उन्होने लगभग डेढ़ वर्ष तक बिल न लगाये। ठीक भी न हुए। इलाज बराबर चलता रहा। फिर उनकी टांग काटी गई। वे दो तीन माह खाट में पड़े रहे। मैंने सारी कैशमेमो लेकर अस्पताल में डॉक्टरों की खुशामद करके बिल वेरीफाई करवाये। स्कूल बिल लेने को तैयार नहीं। रिश्वत मांगी गई। मैं उनकी पत्नी को स्कूल ले गया। बिल लगाने की और अच्छा व्यवहार करने की बजाए उपप्रधानाचार्य व अधीक्षक ने बदतमीजी की। मैंने उपप्रधानाचार्य को एक थप्पड़

लगाया। फिर उनकी पत्नी से उपप्रधानाचार्य द्वारा उनके और मेरे साथ बदतमीजी की शिकायत थाना सिविल लाइंस, शिक्षा निदेशक व शिक्षामंत्री श्री कुलानंद भारतीय को करायी। मैं गवाह बना। लुडलो कैसल न. 1 स्कूल के अध्यापकों ने मेरा साथ दिया। टीचर्स की समस्या हल कराने का मुझे हक था। बिल स्कूल से चले गये। PAO-IX में बिल लग गये। उन्होने पास करने से इन्कार किया तो मैंने कंट्रोलर अकाउंटस, विकास भवन मे शिकायत कर दी। मेरा तर्क था कि इलाज खतम नहीं हुआ था। डॉक्टरो ने कहा है कि इलाज पूरा होने पर बिल verify करेंगे। अधिक संख्या होने के कारण बिल हस्ताक्षर कराने हेतु एक-डेढ़ घंटा लगा था। मुझे हेल्थ सर्विसेज़ निदेशालय में शिकायत करनी पड़ी। बिल पास हो गया जो लगभग सवा लाख रुपये का था।

मैंने 1986 में प्रशिक्षित स्नातक एवं भाषा अध्यापक कल्याण संगठन और दिल्ली प्रशासन स्कूल शिक्षक संगठन का पंजीकरण करा कर दोनों संगठनों के बैनर तले शिक्षा जगत की बहुत सी समस्याएं हल कीं। श्री देव सिंह नेगी शिक्षा निदेशक थे। मैंने अपने पैसे से शिक्षा, छात्र, अध्यापकों से संबंधित 11 सेमिनार किए। उन दिनों काफी काम हुआ। मैंने `गुरु दृष्टि' व DASTA TIMES नामक दो पत्रिकाओं के कई अंक मासिक निकाले जिनमें शिक्षा जगत की समस्याओं की ओर प्रशासन का ध्यान खींचा। उनका काफी हद तक समाधान भी हुआ। पत्राचार विद्यालय के पास सरकारी स्कूलों हेतु लगभग 3 एकड़ भूखंड से कुछ एस सी डॉक्टरों का कब्जा हटवाया। उन डॉक्टरों ने अंबेडकर की मूर्ति लगाकर रातों-रात सरकारी भूमि पर कब्जा किया था। उस कब्जे को हटाने हेतु कई अदालतों में मुकदमे भी मुझे भुगतने पड़े। कुछ वकीलों की फीस व अन्य खर्च विभाग ने उठाए थे। मैंने साथियों के साथ केंद्रीय शिक्षा बोर्ड व शास्त्री भवन पर धरने दिए।

1992 में उपरोक्त एस सी डॉक्टरों ने एक संस्था (सोसायटी फॉर एरडिक्शन ऑफ क्रूलटी ऑफ ह्यूमनिटी) बनाई हुई थी। उन लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया था कि मैंने अंबेडकर के सिर में जूते मारे थे और अंबेडकर का अपमान किया था। वे अंबेडकर की मूर्ति की पूजा करते थे। मूर्ति उठाकर पता नहीं कहां फेंकी है। उन्होंने टेंपो पर लाउडस्पीकर लगाकर कई दिन तक लगातार ऐसा गलत प्रचार किया। इलाके में एक गलत संदेश जा रहा था। मेरी उपराज्यपाल के यहां पेशी लगी थी। मैंने उन्हें फोटो दिखाए कि हमारे सारे स्टाफ ने अंबेडकर की मूर्ति को माला पहनाकर सम्मान किया था। उनके चरणों को हाथ लगाया था और मूर्ति को सिर पर उठाकर पत्राचार विद्यालय में लेकर गए थे। हमने मूर्ति उठाने के लिए उपराज्यपाल महोदय से विभागीय अनुमति भी ली थी। उन एस सी डॉक्टरों ने उच्च न्यायालय में मेरे, एक अध्यापक टीपीएस मलिक, उपशिक्षा निदेशक श्री एलपी वर्मा, शिक्षा निदेशक श्री शक्ति सिन्हा तथा शिक्षा सचिव श्री एसआर आर्य तथा श्री मुंशी राम एसआई पुलिस के विरुद्ध नामजद अपराधिक मुकदमा किया था। उसमें मैंने निजी वकील भी किया था। हमारे स्टाफ में लगभग 14-15 एससी व एसटी कोटे का स्टाफ था। हमारे उपशिक्षा निदेशक व अधीक्षक एससी तथा प्रधानाचार्य एसटी कोटे से थे। शिक्षा सचिव भी एससी कोटे से थे। उन डाक्टरों ने मेरे विरुद्ध कहा था कि मैं अध्यापक था न कि कब्जा हटाने वाला। अंबेडकर की मूर्ति हटा कब्जा हटाने के कारण मेरी नौकरी भी जा सकती थी और जेल भी काटनी पड़ सकती थी।

सब झंझट समाप्त होने के बाद मैं भागदौड़ करके उस भूमि पर पत्राचार विद्यालय के लिए 13 कमरे, दीवार से लगे कन्या विद्यालय के लिए 12 कमरे और बाल विद्यालय के लिए 6 कमरे शिक्षा निदेशक श्री

बीपी सूरी तथा श्री केके भसीन की सहायता से बनवाने में सफल हुआ। पत्राचार में तो दीवारें शौचालय आदि भी बनवाई। सेवानिवृत्ति से 2 माह पहले मैंने नगर निगम (मजनू टीले कार्यालय) के छोटे मजदूरों को अपनी जेब से ₹5000 इनाम देकर पानी के मेन पाइप से तीन जगह गेट वाल्व तीनों स्कूलों (एक पत्राचार में, एक बराबर में स्थित कन्या विद्यालय तथा एक बाल विद्यालय) में लगवाए और इस तरह उन पाइपों से तीनों स्कूलों में 30 पाइप लगवा कर छात्रों के लिए पानी का प्रबंध कराया। मेरे पिता जी हर वर्ष गर्मियों में अपने गांव से फरीद नगर जाने वाले रास्ते में एक कुएं पर प्याऊ लगवाया करते थे, मैंने पत्नी की अनुमति लेकर यह ₹5000 खर्च करके विभाग छोड़ते समय प्याऊ के स्थान पर उपरोक्त तरीके से तीनों स्कूलों में पीने के लिए स्थाई बंदोबस्त किया था। 1997 से आज तक पानी की कमी कभी भी उन स्कूलों में महसूस नहीं हुई। मैं कई वर्ष पत्राचार विद्यालय द्वारा पीसीपी क्लासों के केंद्रों का इंचार्ज रहा। उपशिक्षा निदेशक (पत्राचार) ने आदेश निकाल रखे थे कि हर केंद्र के प्रधानाचार्य व अध्यापकों द्वारा किए हुए कार्य का अवलोकन कर उपशिक्षा निदेशक को रिपोर्ट दूँ। वहां के अध्यापकों द्वारा पढ़ाए गए कार्यों का पूर्ण निरीक्षण किसी भी दिन करने के लिए मुझे अधिकृत किया गया था।

मैं अध्यापकों की समस्याओं को हल करने हेतु अदालतों में भी मुकद्दमों में उलझ रहा। उच्च न्यायालय में एक अध्यापक व उसके प्रधानाचार्य के झगड़े को ले जाना पड़ा। वकील भी मुझे करना पड़ा। उपराज्यपाल महोदय द्वारा लुडलो कैसल कैम्पस के चार स्कूलों में पहली कक्षा के लिये साक्षात्कार में फेल हुए 8 बच्चों को दाखिल करने हेतु शिक्षा निदेशक को आदेश दिये जाने पर कानून की अवहेलना हुई। मुझे वह केस भी उच्च न्यायालय में ले जाना पड़ा। अन्याय बर्दाश्त नहीं

होता है मुझे। `कल्याणी' संस्था के कामों को भी देखना पड़ता था। बाहर भी जाना पड़ा। बहुत सी लड़कियों के झगड़े सुलझाने का काम भी मिलता था, समय वहां भी देना पड़ता था।

कुछ भ्रष्टाचार, अपराधिक, सामाजिक कार्य भी सुलझाने हेतु मेरे पास आ जाते थे। मुझे पता लगा था कि आनंद पर्वत में कमल रैस्टोरेंट में नंगे डांस होते हैं और लाल किला की दुकानों में रूपये व डोलर्स की अदला-बदली होती है। मैंने वहां दोनों जगह छापे डलवाये।

पंत हस्तपाल में 70 करोड़ का घोटाला, हस्पताल निदेशक डॉ. खलील उल्लाह के समय में हुआ। कुछ मशीनें पंत हस्पताल के लिए आयी मगर उन्हें बतरा व एस्कोर्ट हस्पातालों में दे दिया गया। कुछ दवाई 25 लाख रूपये की खरीदी गईं दिखायी गयी। उन्हें चोरी हो गयी दिखाया गया। लोकनायक हस्तपाल में कुछ दवाई मरीजों को दी गयी दिखाते थे परन्तु देते न थे। पानी की टंकियों में सड़ा पानी व उसमें कीड़ें-मकौड़ें मरे हुए रहते थे। और भी मशीनों व दवाईयों की गड़बड़ी थी। मैंने अपने दो अखबारों में छापा। तिबिया कॉलेज व खानदानी दवाखाना में सांठ-गांठ करके काफी घोटाला था। प्रोफेसरों के नौकरी सम्बन्धी घोटाले भी छापे और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डा. हर्षवर्धन को शिकायत की मगर कुछ जांच नहीं हुईं। डॉक्टरों के सम्बन्ध देश के राष्ट्रपति व प्रधानमन्त्री तक से होते हैं। उन पर कोई हाथ न डालता था।

5

1979 में सरस्वती कुंज ग्रुप हाउसिंग सोसायटी की शुरुआत हुई। मैं भी फाउंडर सदस्य था। विनोदनगर के पास 5 एकड़ भूखंड 300 व्यक्तियों के लिए अलॉट हो गया। हम 1606 सदस्य थे। 1306 को और भूमि चाहिए थी जो मिल नहीं रही थी। मैं सन 1959 से श्री एचकेएल भगतजी के संपर्क में था। अध्यापकों के कामों में उनके पास जाता रहता था। अपना काम कभी उनसे नहीं कराया। 1983 में 1306 सदस्यों के लिए 21.766 एकड़ भूखंड बिना किसी रिश्वत के हमने भगतजी से अलॉट करा लिया जहां अब ईस्टर्न अपार्टमेंट्स है। मेरे भगतजी से संबंध काम आ गए और 1306 सदस्यों का भला हो गया। चिल्ला के प्रधान ने कुछ हिस्से पर यहाँ कब्जा कर लिया था। वह भी मैंने भगत जी की सहायता से हटवाया।

सोसायटी में भी अनेक बदलाव आए कई प्रशासक आए श्री जगदीश चंद्र जी आए उन्होंने यहां बड़े-बड़े आदमियों को सदस्य बना दिया। उनमें से ज्यादातर फ्लैट बेच कर चले गए। इलेक्शन हुए 1901-04 में एसके बोस इस सोसाइटी के सचिव बन गए। बोस ने कैप्टन सुरेंद्र मोहन तथा उसकी मां रमा देवी की सदस्यता समाप्त कर दी। 29 जनवरी 2003 को एक ही दिन में एन. दिवाकर से शो कॉज़ नोटिस जारी करा लिया। 18 जुलाई 2003 को अखबार में विज्ञापन दिया जो निम्न प्रकार है:

"Vacancy in East End Apartments Co-operative Group Housing Society Ltd. Delhi-110096. Apply in 2 days. Contact Office."

विज्ञापन में सभी सूचनाएं छिपाई। समय 2 दिन दिया गया मानो कोई बम फटने वाला था। विज्ञापन ऐसा था कि पता ही नहीं चलता कि वैकेंसी किस लिए है, पता भी पूरा नहीं। टेलिफोन दो थे, एक का भी नंबर नहीं दिया। लोगों को पता ही ना लगा। 27 जुलाई 2003 को प्रस्ताव पास कर लिया कि सदस्यता बोस के दामाद व बेटी को दे दी जाए। सदस्यता के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस को लेटर भेज दिया जिसमें 30 जुलाई 2003 को फॉर्म भरा हुआ और प्रस्ताव 27 जुलाई 2003 को पास किया दिखाया गया है। क्या कभी बिना सदस्यता फॉर्म भरे भी सदस्यता देने का रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। बिना फॉर्म भरे सदस्यता कैसे अप्रूव होगी। अगस्त 2003 से आज तक सदस्यता अप्रूव नहीं हुई। मैंने इस धोखाधड़ी को उजागर किया। धोखाधड़ी के बावजूद 3 आर्बिट्रेटर ने सोसाइटी की मदद से FC की कोर्ट ने व DCT की कोर्ट ने सोसाइटी पर 25 लाख का हर्जाना पास कर दिया और सदस्यता बहाल करने का आदेश भी दे दिया। क्या यह सरासर बेईमानी और फ्रॉड नहीं है? सोसाइटी ने जीबीएम में पिछले वर्ष 145 अपने ही खास सदस्य बुला लिए और उनको सदस्यता देने का गैर कानूनी प्रस्ताव पास करा लिया। क्या यह सब बेईमानी व धोखाधड़ी नहीं है? किसी को ईश्वर से भय नहीं हुआ। कितनी बड़ी हेराफेरी सभी सदस्यों द्वारा। क्या ऐसा प्रस्ताव पास हो सकता है? यही एतराज अब हाई कोर्ट व FC के सामने हैं। DCT में भी हैं।

सोसाइटी की बदमाशी के कारण 10 वर्ष कुसुम भंडारी की गलत सदस्यता पर 10 वर्ष तक सोमदत्त से मुकदमा चला। सोमदत्त का घर बैठकर पत्नी के साथ राजीनामा से तलाक लिख लेना कानूनी रूप से वैध है क्या? कुसुम रानी के फॉर्म में जन्मतिथि 19 अप्रैल 1961 है। जो औरत कोर्ट में उसकी जगह पेश हुई उसकी ड्राइविंग लाईसेंस में 20

अगस्त 1976 है। 15 वर्ष छोटी। दोनों महिलायें रहने वाली लुधियाना की। सन 1988 में सदस्यता ली। तब आयु 11.5 थी। क्या कोई नाबालिग सदस्यता ले सकता है? लाखों रुपए की गई रिश्वत चलीं। कई रजिस्ट्रारों के विरुद्ध लिख चुका हूं मगर कोई कार्यवाही नहीं। डिप्टी रजिस्ट्रार से एसके बोस मेरे विरुद्ध लगभग एक करोड़ का अवॉर्ड लाया है। लुधियाना की कुसुम भण्डारी ने नई दिल्ली में चार फ्लैट खरीदे और बेचे हैं, क्या वह प्रॉपर्टी डीलर नहीं जिसके खिलाफ शिकायत पर जांच न हो। रजिस्ट्रार का दफ्तर अधिकतर रिश्वतखोरों और दलाल वकीलों से भरा है। जांच किसी के विरुद्ध नहीं होती। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व अन्य संबंधित अधिकारियों को लिख चुका हूं, कोई जांच नहीं कर रहा। कहते हैं इनके विरुद्ध जांच का प्रावधान नहीं है। कई लाख की रिश्वत दी गई है। FC भी कई लाख सोमदत्त से खा गया। घर बैठे सरकारी कर्मचारी हलफनामे में तलाक लिख रहा है। बोस उस कागज को भी ठीक बता रहा है। बोस ने सबके कागज ठीक बताए, क्यों? पैरवी नहीं की, क्यों?

6

दिन तो हमारे सन 1951 से ही खराब हो गये थे परन्तु सब से अच्छी बात यह थी कि पत्नी या बच्चों ने कभी किसी चीज की डिमांड नहीं की, न खाने पीने वस्तुओ की, न पहनने और न खेलने की। पत्नी को मैंने घर में पहनने के लिए दो तीन साल 1962-1964 में दो-दो जोड़े धोती खरीद कर दी। वह क्रीम व पाउडर आदि की कभी शौकीन न थी। घर आने वाले मेहमानों के कपड़े तक धो देती थी। खाना बड़े प्रेम से बनाती थी। मेरे अलावा किसी से कभी नाराज न हुई थी। वह मुझ से एक-एक पैसे का हिसाब लेती थी व उसे रोज लिखती भी थी। मुझे भी बहुत आनंद आता था। हमारे घर मे कभी कोई पैसा बरबाद न हुआ। वह सब बच्चों के कपड़े स्वयं सीती थी। मैंने कभी किसी किस्म का फैशन वाला सामान नहीं लाकर दिया। सब सामान खुद खरीदती थी। अच्छी बचत कर लेती थी। जेवर आदि की तो कोई बात कभी नहीं आयी। 1963 में वह गाँव में रही। वहाँ उसने सिलाई को अपने खर्चे का साधन बना लिया था। मैं 8 माह की बिना वेतन छुट्टी लेकर मेरठ बीटी करने गया था। वह स्वेटर बुनना भी अच्छी प्रकार जानती थी। हमने कभी कोई स्वेटर बाजार से नहीं खरीदा था। जिनसे मेरी कभी अनबन हो जाती, वह उन सब से प्रेम भाव रखती थी। सब को एक बनाये रखा था।

मेरे सभी सामाजिक कार्यों में समय लगता था, पैसा भी खर्च होता था। स्कूलों में भी मुझे जाना पड़ता था, कहीं झगड़ा, कहीं समस्याएं, कहीं मीटिंग आदि कामों में फंसा रहता था। मुझे अपने बच्चों की देखभाल का समय नहीं मिला। पत्नी ही उनकी देखभाल करती थी।

दूसरों की सहायता करने में यदि हमें टेंशन हुई या जान माल की हानि हो गयी तब भी उसके चेहरे पर मैंने कभी जरा भी शिकन नहीं देखी। उपरोक्त लिखी घटनाओं को हल करने में पत्नी का मुझे पूरा-पूरा सहयोग मिला। व्यक्तिगत समस्याएं भी बड़ी-बड़ी आयीं मगर मैं कभी नहीं घबराया। निलम्बन व बर्खास्तगी से बड़े और क्या झटके हो सकते हैं, सभी को आसानी से झेल गया। हमारा आपस में अक्सर झगड़ा हो जाता था। कई-कई दिन भी बोलचाल नहीं हो पाती थी। लगता था कि जीवन ही बेकार है। एक दिन ऐसे झगड़े के निदान का नुस्खा मुझे मिल गया। मैंने अपने लिए चाय बनायी, साथ ही पत्नी की भी बना ली और दोनों कप उठाकर पत्नी के सामने रख दिये। मैंने उसे एक कप पकड़ाना चाहा उसने न पकड़ा फिर कप को मैं उसके होठों तक ले गया। वह हंस पड़ी। हम लोगों ने चाय पी ली, झगड़ा खत्म। भविष्य में कभी कोई झगड़ा हुआ तो हममें से कोई एक चाय बना लेता और एक-दूसरे को पिला देता, झगड़ा खत्म। बहुत से जीवन में बड़े-बड़े झटके लगे। पत्नी का सहयेाग मिलता रहा और मैं सभी झटके झेल गया।

एक झटका सब से बड़ा 2009 में लगा जब मेरा बहुत ही होनहार एक बेटा 45 वर्ष की आयु में स्वर्ग सिधार गया। वह मालवीय इंजीनियरिंग कालेज जयुपर में प्रौफेसर था और तीन साल एआईसीटीई में 'सलाहाकार' के पद पर डप्यूटेशन पर रह चुका था। वह साधुवृत्ति का था। घर में भगवान की तस्वीर के साथ हम दोनों पत्नी-पति की तस्वीर साथ रखकर हमें पूजता था। दो छोटी-छोटी बच्चियों का पिता था। उसका कई जगह इलाज कराया मगर लाभ न हुआ। तब मूलचन्द हस्पताल के डॉ. के.के. अग्रवाल (जो IMA के अध्यक्ष भी रह चुके थे) से इलाज कराया। वह मेरे बेटे सुदेश से कहते थे कि तुम ठीक हो जाओगे और मैं तुम्हें अपनी बनने वाली यूनिवर्सिटी का उपकुलपति

बनाऊंगा। डॉ अग्रवाल मेरे बेटे को साहस बंधाते रहते थे। मगर कुछ न बना, लड़का हम सब को छोड़कर चला गया। झटका जबरदस्त था, सोचता था कि पता नहीं बच्चों का क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी भी एक कालेज में उस समय लैकचरर थी। अब प्रोफैसर है और बच्चों को पढ़ा लिखा रही है। एक बेटी इंजीनियर बन गई है, एमबीए भी कर रही है। दूसरा बड़ा झटका 28.6.2019 को लगा जब जीवन साथी भी चला गया। मेरी पत्नी काफी बीमार थी मगर मेरी हिम्मत बढ़ाती रहती थी। मैं अब 85 वर्ष से ऊपर हूं उसके रहते अपने को जवान समझता रहा परन्तु अब बिल्कुल बूढ़ा महसूस करने लगा हूं।

मेरी बेटी को ईश्वर ने 5.12.1975 को एक बहुत सुन्दर, स्वस्थ, होनहार पुत्र दिया। बदकिस्मती से मेरी बेटी बीमार हो गई। बेटी व नाती की देखभाल ठीक नहीं हो पा रही थी। हम उस बच्चे को अपने घर ले आये। उसकी देख-रेख हमने ही की है। अब वह एक बेटे का बाप भी बन गया है जो बीबीए कर रहा है। उसने दिल्ली में कोरोना के कारण लॉकडाउन लगने पर मुझे अपने पास गुरूग्राम में लाकर जीने का सहारा दिया है। उसने तीन बार मेरी रम्ज़ोप्लास्टी करायी है। मेरे सभी बच्चे अच्छे हैं, मुझसे सब को प्रेम है परन्तु मुझे गुरूग्राम में अधिक सुविधा है। अच्छे दिन कट रहे हैं। किसी की सहायता करने योग्य नहीं हूं इसलिए मन बुझा-बुझा रहता है। मेरी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हो चुका है।

मैं भले ही एक छोटा सा अध्यापक था परंतु मेरे रिश्ते बड़े-बड़े नेताओं और अफसरों से हो गए थे। मेरे द्वारा शिक्षा निदेशक, डीडीए, अस्पतालों में और इधर उधर बहुत से कार्यालयों में बहुत से लोगों के काम होते रहे है। गिनने लगूँगा तो गिनती नहीं हो पायेगी। अध्यापक का पद सबसे बड़ा होता है, भले ही कोई माने या न माने। मेरी आयु

85 वर्ष की हो चुकी है, बीमार रहता हूं। न जाने किस क्षण जीवन लीला समाप्त हो जाए। अभी ईस्ट एंड अपार्टमेंट की कहानी मेरे द्वारा चल रही है। देखो ईश्वर को क्या मंजूर है। लगता तो यही है कि ईश्वर उस कहानी को भी अपनी इच्छा अनुसार अवश्य ही पूरी कराएंगे। ईश्वर ही कण-कण में विराजमान हैं वे ही सब कुछ जानते हैं कि क्या होगा। हर एक को यश अपयश दिलाना उन्हीं के अधीन है। सब कुछ ईश्वर ही तो कराते हैं।